

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 नवम्बर 2016—कार्तिक 20, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2016

(2) अवकाशकाल में श्री पी. नरहरि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. नरहरि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-772-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पी. नरहरि, आयएस., कलेक्टर, जिला इन्दौर को निम्नलिखित अवधियों का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है:—

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2016

- दिनांक 19 से 22 सितम्बर 2016 तक चार दिन.
- दिनांक 26 से 29 सितम्बर 2016 तक चार दिन.

क्र. ई-15-160-2016-5-एक.—ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति इस वर्ष 22-23 अक्टूबर 2016 को इन्दौर शहर में आयोजित किया जा रहा है. इस 2 दिवसीय मेगा इवेंट में देश विदेश के निवेशक, राजदूत, शासकीय अधिकारीगण, ग्लोबल CEOs तथा उद्योग विशेषज्ञों का समागम होगा. यह समिति निवेशकों के परस्पर व्यापार व संवाद हेतु अपार अवसर प्रस्तुत कर संबंधित सेक्टर्स में ज्वाइंट वेंचर/भागीदारी हेतु मार्ग प्रशस्त करेगा.

(2) राज्य शासन निम्नलिखित परिवीक्षाधीन भागसे अधिकारियों की सेवाएं इन्दौर शहर में आयोजित उक्त ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, 2016 की गतिविधियों में सहयोग व समन्वय हेतु दिनांक 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2016 तक संलग्न कार्यक्रम अनुसार उपस्थित होने के लिए संबद्ध करता है. इन अधिकारियों द्वारा इस समिट के दौरान अर्जित अनुभव/जानकारी इस विभाग एवं एम.पी. ट्रायफेक को उपलब्ध कराई जावेगी:—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद आवंटन वर्ष	वर्तमान पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती उमा महेश्वरी आर. (2013)	सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर.
2	श्री बालागुरू के., (2015)	सहायक कलेक्टर, जिला ग्वालियर.
3	श्री पार्थ जैसवाल, (2015)	सहायक कलेक्टर, जिला बालाघाट.
4	श्री हिमांशु चन्द्र, (2015)	सहायक कलेक्टर, जिला रायसेन.
5	सुश्री जे. रीभा, (2015)	सहायक कलेक्टर, जिला सागर.
6	सुश्री संस्कृति जैन (2015)	सहायक कलेक्टर, जिला होशंगाबाद.
7	श्री हर्षल पंचोली (2015)	सहायक कलेक्टर, जिला बैतूल.
8	श्री मृणाल मीना (2015)	सहायक कलेक्टर, जिला रीवा.
9	सुश्री रानी बंसल, (2015)	सहायक कलेक्टर, जिला उज्जैन.
10	श्री अर्पित वर्मा (2015)	सहायक कलेक्टर, जिला मंदसौर.
11	सुश्री अदिति गर्ग, (2015)	सहायक कलेक्टर, जिला खण्डवा.
12	श्री हर्ष सिंह, (2015)	सहायक कलेक्टर, जिला धार.
13	श्री रौशन कुमार सिंह (2015)	सहायक कलेक्टर, जिला सीहोर.
14	श्री रितुराज, (2015)	सहायक कलेक्टर, जिला रतलाम.

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2016 से संबंधित कार्यों में सहयोग हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों हेतु कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2016.

दिनांक 17-10-2016 :

- रिपोर्टिंग : प्रातः 10:00 बजे, प्रबंध संचालक, एमपीएकेव्हीएन, इन्दौर.
- आयोजन स्थल (ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, इन्दौर) का भ्रमण.

दिनांक 18-10-2016 :

- समिट संबंधित जानकारी से अवगत कराया जाना द्वारा अतिरिक्त प्रबंध संचालक, एमपीट्रायफेक.

दिनांक 19-10-2016 से 23-10-2016 :

- राजदूत/उच्चायुक्त/ग्रेस्ट ऑफ हॉनर/भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी के सहायक/सम्पर्क अधिकारी.
- कन्ट्री सेशन के दौरान समन्वय.
- सेक्टर सेमीनार के आयोजन में सहयोग.
- सीईओ कॉन्क्लेव में समन्वय व सहयोग
- बी 2 बी मीटिंग.

दिनांक 24-10-2016 से 27-10-2016 :

- समिट के दौरान सम्पन्न गतिविधियों की रिपोर्ट इत्यादि तैयार करने में नॉलेज पार्टनर (ई एण्ड वाय) व नेशनल पार्टनर (सीआईआई) के साथ जानकारी सांझा करना.

दिनांक 27-10-2016 कार्यमुक्त : अपराह्न 5.00 बजे प्रबंध संचालक, एकेव्हीएन, इन्दौर.

क्र. ई-1-330-2016-5-एक.—राज्य शासन एतद्वारा श्री डी. पी. आहूजा, भा.प्र.से. (1996), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. (ट्रायफेक) भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक दिनांक 7-9 जनवरी, 2017 को बैंगलूर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन से संबंधित कार्यों हेतु नोडल अधिकारी करता है।

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2016

क्र. ई-5-532-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सलीना सिंह, आयएस., मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि (निर्वाचन) विभाग को दिनांक 24 से 29 अक्टूबर 2016 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश एवं दिनांक 31 अक्टूबर 2016 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती सलीना सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एस. एस. बंसल, (सेवानिवृत्त भाप्रसे) विकअ-सह-संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य (केवल निर्वाचन कार्य) विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलीना सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि (निर्वाचन) विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती सलीना सिंह द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि (निर्वाचन) विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एस. बंसल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-607-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सी. गुप्ता, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति

तथा उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम को दिनांक 28 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2016 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री के. सी. गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-814-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उर्मिल मिश्रा, आयएस., आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकअ-सह-संचालक, विमुक्त-धुमकड़ तथा अर्द्धधुमकड़ जाति कल्याण मध्यप्रदेश को दिनांक 4 से 7 अक्टूबर 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिल मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2016

क्र. ई-1-337-2016-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री उमाकांत उमराव (1996) आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन (अतिरिक्त प्रभार).	कमिश्नर, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद	—
2	श्री एम. बी. ओझा (2001) अपर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग.	संचालक, उच्च शिक्षा तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन (अतिरिक्त प्रभार).	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
3	श्री अजय कुमार शर्मा (2005) कलेक्टर, अनूपपुर.	अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
4	श्री आलोक कुमार सिंह (2008) क्षेत्रीय प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, इन्दौर.	कलेक्टर, अनूपपुर	—

(2) उपरोक्तानुसार श्री उमाकांत उमराव द्वारा कमिश्नर, नर्मदापुरम सभाग होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, भाप्रसे (1996), कमिश्नर, भोपाल संभाग और नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद (अतिरिक्त प्रभार) केवल नर्मदापुरम सभाग होशंगाबाद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2016

क्र. ई.-5-904-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शैलेन्द्र कियावत, आयएएस., अपर सचिव, राज्यपाल सचिवालय, भोपाल को दिनांक 25 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2016 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, राज्यपाल सचिवालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र कियावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2016

क्र. ई-1-329-2016-5-एक.—डॉ. मंजू शर्मा, भाप्रसे (2007), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्ट्रेट, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास का प्रभार भी अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) इस विभाग के ससंख्यक आदेश दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 जिसके द्वारा डॉ. श्रीकांत पाण्डे भाप्रसे (2007) पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्ट्रेट, ग्वालियर पदस्थ किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्ट्रेट, भोपाल पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-5-766-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शोभित जैन, आयएएस, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर को दिनांक 21 नवम्बर से 12 दिसम्बर 2016 तक बाईस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 नवम्बर 2016 एवं 13 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री शोभित जैन की अवकाश अवधि में श्री राघवेन्द्र सिंह, भाप्रसे, आयुक्त वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री शोभित जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री शोभित जैन द्वारा श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राघवेन्द्र सिंह, श्रम आयुक्त के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री शोभित जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शोभित जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2016

क्र. ई-5-677-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. के. वाष्णीय, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मा.अ.) को दिनांक 19 से 24 दिसम्बर 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 दिसम्बर 2016 एवं 25 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान का जाती है।

(2) श्री एम. के. वाष्णीय की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे सचिव, (कार्मिक) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. वाष्णीय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मा.अ.) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एम. के. वाष्णीय द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मा.अ.) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री एम. के. वाष्णीय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. वाष्णीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अॅटोनी डिसा, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2016

क्र. एफ 5-19-2016-एक-(1).—उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्रीमती नंदिता दुबे, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 22 अगस्त 2016 से दिनांक 23 अगस्त 2016.	02	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	—

क्र. एफ 5-20-2016-एक-(1).—उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री एस. ए. धर्माधिकारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 15 जुलाई 2016 से दिनांक 5 अगस्त 2016.	02	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पश्चात् दिनांक 6 एवं 7 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने के अनुमति सहित.

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2016

क्र. एफ 5-12-2013-एक-(1).—उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री एन. के. गुप्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 12 सितम्बर 2016 से दिनांक 16 सितम्बर 2016.	05	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 एवं 11 सितम्बर 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 17 एवं 18 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने के अनुमति सहित.

क्र. एफ 5-17-2016-एक-(1).—उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री एच. पी. सिंह, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 8 अगस्त 2016 से दिनांक 12 अगस्त 2016.	05	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 एवं 7 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने के अनुमति सहित.

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2016

क्र. एफ 5-17-2015-एक-(1).—उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस सुश्री वन्दना कसरेकर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 10 अगस्त 2016 से दिनांक 12 अगस्त 2016.	03	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पश्चात् दिनांक 13 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने के अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2016

क्र. ई-5-992-आयएस-लीव-5-एक-(1) श्री रवि डफरिया, आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 29 से 30 सितम्बर 2016 तक दो दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री रवि डफरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि डफरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अपर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-1(ए)95-99-ब-2-दो.—श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, जबलपुर रेंज जबलपुर को आवश्यक कार्य हेतु दिनांक 16 से 30 सितम्बर 2016 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भा.पु.से. को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भा.पु.से., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-1(ए)26-15-ब-2-दो.—श्री विवेक अग्रवाल, भा.पु.से., (2012) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सागर को दिनांक 17 से 31 अक्टूबर 2016 तक पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक अग्रवाल, भा.पु.से. (2012) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विवेक अग्रवाल, भा.पु.से. (2012) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक अग्रवाल, भा.पु.से. (2012) उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-1(ए)85-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री एन. पी. बरकडे, भा.पु.से. सेनानी 9वीं वाहिनी, विसबल, रीवा का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उन्हें दिनांक 11 से 13 अगस्त 2016 तक तीन दिवस लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से छह दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एन. पी. बरकडे, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

क्र. एफ-1(ए)23-2015-ब-2-दो.—श्री कुमार प्रतीक, भा.प्र.से. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत दिनांक 11 से 15 जुलाई 2016 तक पांच दिवस अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 द्वितीय ब्लाक वर्ष 2016-17 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा पुणे की अवकाश यात्रा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. एफ-1(ए)400-88-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भा.पु.से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (पुलिस सुधार) पुलिस मुख्यालय, भोपाल का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उन्हें दिनांक 31 अगस्त 2016 से 3 सितम्बर 2016 तक, चार दिवस लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से आठ दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

फा.क्र. 3910-2016-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशांसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी, श्री अरविंद मोहन सक्सेना, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, म. प्र. उच्च न्यायालय

खण्डपीठ, ग्वालियर की सेवाएं मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति किये जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को सौंपता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वाणी, सचिव.

शुद्धि-पत्र

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2016

फा.क्र. 78-इक्कीस-ब(दो)-एजी-2015.—राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2015 में श्री मकबूल अहमद अंसारी शासकीय अधिवक्ता के स्थान पर श्री मकबूल अहमद मंसूरी, शासकीय अधिवक्ता एवं त्याग-पत्र दिनांक 10 जुलाई 2015 के स्थान पर दिनांक 10 अगस्त 2015 पढ़ा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार सोनी, अतिरिक्त सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2016

क्र. 1663-2015-आठ.—मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 3238-2016-इक्कीस-ब(एक); दिनांक 14 सितम्बर 2016 द्वारा श्री विजय कुमार गुप्ता, स्टेनोग्राफर ग्रेड-3, न्यायिक जिला स्थापना, श्योपुर की सेवाएं, कार्यालय म. प्र. राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, मध्यप्रदेश, ग्वालियर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना करने हेतु अनुशंसा की गई है।

2. अतः, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री विजय कुमार गुप्ता, स्टेनोग्राफर ग्रेड-3, न्यायिक जिला स्थापना, श्योपुर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश पर्यन्त कार्यालय राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, मध्यप्रदेश, ग्वालियर में रिक्त स्टेनोग्राफर के पद पर पदस्थ किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र निबसैया, अवर सचिव.

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2016

क्र. एफ 16-05-2016-ए-ग्यारह.—राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के अनुक्रम में वृहद श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिये संलग्न परिशिष्ट अनुसार विशिष्ट वित्तीय सहायता प्रदान की जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.

परिशिष्ट

वृहद श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिये विशिष्ट वित्तीय सहायताएं

1. परिभाषा.—वृहद खाद्य प्रसंस्करण इकाई से अभिप्रेत है कि मध्यप्रदेश के किसी भी जिले में यंत्र एवं संयंत्र में रु. दस करोड़ (रु. 10 करोड़) से अधिक पूंजी निवेश वाली खाद्य प्रसंस्करण विनिर्माण/सेवा इकाई जिसने विनिर्माण औद्योगिक/सेवा इकाई (कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चैन, राईपनिंग चेम्बर, इंडिविज्युअल क्विक फ्रीजिंग युनिट इत्यादि) के रूप में औद्योगिक परियोजना सचिवालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से उद्यम ज्ञापन-भाग ए की अभिस्वीकृति पत्र प्राप्त किया हो तथा एमपी ट्रायफेक की वेबसाइट में निवेश आशय प्रस्ताव दर्ज किया गया हो तथा इस पैकेज हेतु जारी अधिसूचना दिनांक को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो।

2. वृहद श्रेणी के खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में संलग्न उद्योगों एवं सेवाओं यथा वृहद कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चैन, राईपनिंग चेम्बर, इंडिविज्युअल क्विक फ्रीजिंग इत्यादि को प्रोत्साहित करने तथा अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से निम्न विशिष्ट सुविधाएं/रियायतें उपलब्ध होंगी, यह सुविधाएं खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को शर्तों के अध्याधीन उपलब्ध होंगी।

2.1 वेट/सीएसटी सहायता.—पात्र इकाई द्वारा इनपुट टैक्स रिबेट के समायोजन के पश्चात् वेट और केन्द्रीय विक्रय कर के रूप में जमा की गई राशि का शतप्रतिशत सहायता के रूप में इकाई को 10 वर्षों के लिये उपलब्ध कराई जाएगी। सहायता की अधिकतम सीमा इकाई द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में किये गये निवेश की राशि के 200 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

2.2 विद्युत् खपत सहायता.—प्रचलित विद्युत् टैरिफ में उच्च दाब उपभोक्ताओं को नवीन संयोजन प्राप्त करने पर रु. 1 प्रति यूनिट अथवा 20 प्रतिशत की छूट जो भी कम हो, प्रदान की जावेगी। यह

छूट खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के लिये उत्पादन/व्यावसायिक परिचालन की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि के लिये देय होगी. ऑफ-सीजन में कॉन्ट्रेक्ट डिमांड के 10 प्रतिशत अथवा वास्तविक रिकार्ड की गयी डिमांड में से जो भी अधिक होगा, उसकी बिलिंग सामान्य टैरिफ पर की जावेगी, यह छूट संबंधित श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को देय होगी.

2.3. कृषि/उद्यानिकी/डेयरी प्रोसेसिंग हेतु कोल्ड चेन की स्थापना हेतु सहायता.—कृषि उद्यानिकी/डेयरी प्रोसेसिंग हेतु कोल्ड की चेन की स्थापना पर किए गए व्यय का 35 प्रतिशत अधिकतम राशि रु. 5 करोड़ की अनुदान सहायता देह होगी.

2.4 फूड पार्क विकसित करने पर विशेष सहायता :

2.4.1 अधोसंरचना विकास सहायता.—प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं अधोसंरचनाओं को बेहतर बनाने के लिये भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित मेगा फूड पार्क की स्थापना की योजना के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार निजी क्षेत्र द्वारा मेगा फूड पार्क की स्थापना पर परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 5 करोड़ सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. यह सहायता विकसित पार्क में न्यूनतम 10 इकाईयों की स्थापना पर देय होगी. यह सहायता टाप-अप के रूप में देय होगी.

2.4.2 स्टाम्प ड्यूटी सहायता—

- (i) मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिये प्रवर्तकों द्वारा स्पेशल परपज व्हीकल को स्थानांतरित भूमि में प्रवर्तकों द्वारा भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी.
- (ii) वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 अंतर्गत दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क में छूट/कमी हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक एफ बी-4-29-2014-2-पांच (01) दिनांक 2-1-2015 में निहित प्रावधान अनुसार पार्क के विकासकर्ता द्वारा किसी खाद्य प्रसंस्करण इकाई के पक्ष में फूड पार्क में विकसित भूमि के अन्तरण हेतु निष्पादित लिखत पर निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुए छूट रहेगी.
 - (क) उक्त भूमि की क्रय की लिखत पर प्रभाय शुल्क का समायोजन अंतर्गत भू-भाग के अनुपात में किया जाएगा; और
 - (ख) यदि समायोजन पर कोई शुल्क संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं हो, तो अंतरण के लिये न्यूनतम शुल्क केवल पांच सौ रुपए होगा.

2.5 मण्डी शुल्क छूट—

- 2.5.1 ऐसी सभी पात्र वृहद खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को संयंत्र और मशीनरी में निवेश के अधिकतम 50 प्रतिशत या पांच वर्ष की अवधि (इनमें से जो भी कम हो) के लिए मण्डी शुल्क से छूट दी जाएगी.
- 2.5.2 शुल्क से छूट की यह सुविधा उन इकाईयों को ही होगी, जो इस राज्य के कृषि उपजों का क्रय करेंगे.
- 2.5.3 मण्डी शुल्क छूट की सुविधा विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन करने वाली इकाईयों पर लागू नहीं होगी.

2.6 प्रवेश कर छूट.—पात्र खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 7 वर्ष तक प्रवेश कर छूट की सहायता दी जाएगी.

2.7 विद्युत् शुल्क में छूट.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 4 मार्च, 2014 को प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-3-23-2013-तेरह में निहित प्रावधानों के दृष्टिगत सभी पात्र खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों, जिन्हें जिनके द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2014 से दिनांक 3 मार्च 2019 तक राज्य की विद्युत् वितरण कंपनियों से नवीन उच्च दाब संयोजन प्राप्त किए जाने पर 33 केवी कनेक्शन के लिये 5 वर्षों की अवधि तक, 132 केवी कनेक्शन के लिए 7 वर्षों की अवधि तक तथा 220 केवी कनेक्शन के लिये 10 वर्षों की अवधि तक विद्युत् शुल्क (ड्यूटी) में छूट शर्तों के अध्याधीन दी जायेगी.

पैकेज की प्रभावशीलता, विस्तार एवं स्पष्टीकरण.—खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिये विशेष पैकेज अंतर्गत प्रावधानित सुविधाओं का लाभ विशेष पैकेज की प्रभावशील अवधि में उत्पादन/संचालन प्रारंभ करने वाली वृहद श्रेणी की इकाईयों को प्रदान किया जावेगा.

यह पैकेज मध्यप्रदेश शासन के अधिकारिक राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा एवं पैकेज में घोषित सुविधाओं का लाभ जारी अधिसूचना की तिथि के पश्चात् की अवधि हेतु ही देय होगा और शासन द्वारा संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक प्रभावी रहेगा.

इस विशेष पैकेज का लाभ प्राप्त करने वाली इकाईयों को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के अन्तर्गत घोषित अन्य सुविधाएं यथा मूलभूत अधोसंरचना विकसित करने पर सहायता, हरित औद्योगीकरण हेतु सहायता इत्यादि का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नीति अनुरूप होगी.

जीएसटी प्रणाली लागू हो पर, खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के अंतर्राज्यीय विक्रय पर चुकाये गए

स्टेट जीएसटी (जिसमें प्रवेश कर भी शामिल है) के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति (इनपुट क्रेडिट का शुद्ध), इस शर्त पर की जावेगी, कि चुकाई गयी कर राशि वास्तविक रूप से मध्यप्रदेश सरकार के कोष में एकत्रित हुई है। यह भी कि जीएसटी प्रणाली लागू होने पर स्टेट जीएसटी की प्रतिपूर्ति उस कर दर पर जावेगी, जो उस विशिष्ट वस्तु पर प्रभार्य वर्तमान प्रचलित मूल्य संवर्धित कर/प्रवेश कर की दरों से अधिक नहीं होगी। यह भी कि सहायता राशि इकाई अंतर्गत प्लॉट एवं मशीनरी में किये गये कुल निवेश की राशि से अधिक नहीं होगी।

विभाग किसी भी समय—

- (1) इस पैकेज को संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा,
- (2) इस पैकेज के प्रावधानों को लागू करने में शिथिलीकरण कर सकेगा.
- (3) पैकेज के क्रियान्वयन को सुगम बनाने की दृष्टि से अथवा विसंगति दूर करने पर पैकेज के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिये निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रसारित कर सकेगा.

4. संशोधन, शिथिलीकरण/निरसन की शक्तियां.—खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर हेतु विशेष पैकेज अन्तर्गत प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार

5. पैकेज अन्तर्गत समस्त देय सुविधाओं का निराकरण एमपी ट्रायफेक द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अन्तर्गत गठित सक्षम समिति "राज्य स्तरीय साधिकार समिति" के माध्यम से किया जावेगा.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-3-34-2012-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-34-2012-बत्तीस, दिनांक 20 मई 2014 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ग्राम अमझरा	447/1/ख, 448/2	0.64 हेक्टेयर	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक के अन्तर्गत (नर्सिंग कालेज).
			योग . . . 0.64		

1. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अन्तर्गत देय राशि रु. 30,72,000/- (रुपये तीस लाख बहत्तर हजार रुपये मात्र) दिनांक 23 जून 2016 को भारतीय स्टेट बैंक एम पी नगर शाखा, भोपाल के चालान क्रमांक-74 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है.

2. उक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

सूचना

क्र. एफ-3-60-2014-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा सीहोर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना, 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(2) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. कलेक्टर, सीहोर मध्यप्रदेश.
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सीहोर-भोपाल मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, सीहोर, मध्यप्रदेश.

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-3-60-2014-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर 2016 का

अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

Bhopal, the 24th October 2016

NOTICE

No. F-3-60-2014-XXXII.—Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Sehore, 2031 under sub-section (2) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:—

1. Collector, Distrcit Sehore, Madhya Pradesh.
2. Joint Director, Town & Country Planning Distt. Office Sehore-Bhopal, Madhya Pradesh.
3. C.M.O., Municipal Council Sehore, Madhya Pradesh.

(2) The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under Section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973:—

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
C. K. SADHAV, Dy. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर एवं उपसचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मण्डला

मण्डला, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

मध्यप्रदेश अधिनियम 1969 की धारा 'क' के अन्तर्गत

क्र. डूडा-1041.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला मण्डला परिषद् साधारण सम्मिलन की बैठक दिनांक 31 अक्टूबर 2012 एवं संकल्प क्र. 09, दिनांक 22 जून 2016 के अनुसार निम्नलिखित ग्रामों को नगरपालिका परिषद् मण्डला में सम्मिलन किये जाने बावत् निर्णय लेते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया है:—

अनुसूची

नगरपालिका परिषद्, मण्डला की सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की घोषित भूमि निम्नानुसार हैं:—

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	प.ह.नं.	घोषित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मण्डला	मण्डला	लालिपुर	29	ख. नं. 1 से 1254 में सम्मिलित समस्त क्षेत्र

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
2	मण्डला	मण्डला	बिंझिया	28	ख. नं. 1 से 1311	तदैव
3	—''—	—''—	गोंझी माल	27	ख. नं. 1 से 601	तदैव
4	—''—	—''—	कटरा	28	ख. नं. 1 से 856	तदैव
5	—''—	—''—	देवदरा	27	ख. नं. 1 से 1403	तदैव
6	—''—	—''—	गोंझी रैयत	27	ख. नं. 1 से 678	तदैव
7	—''—	—''—	पोंडी	17	ख. नं. 1 से 410	तदैव
8	—''—	—''—	मोहनटोला केहरपुर	17	ख. नं. 1 से 1030	तदैव
9	—''—	—''—	मानादेई	19	ख. नं. 1 से 187	तदैव
10	—''—	—''—	माली मोहगांव	19	ख. नं. 1 से 460	तदैव
11	—''—	—''—	पुरवा	30	ख. नं. 1 से 542	तदैव
12	—''—	—''—	रामबाग	30	ख. नं. 1 से 1104	तदैव
13	—''—	—''—	सकवाह	31	ख. नं. 1 से 594	तदैव
14	—''—	—''—	बिनैका	35	ख. नं. 1 से 2806	तदैव
15	—''—	—''—	बड़ी खैरी	32	ख. नं. 1 से 417	तदैव
16	—''—	—''—	आमानाला	32	ख. नं. 1 से 615	तदैव
17	—''—	—''—	गाजीपुर	26	ख. नं. 1 से 183	तदैव

उक्त विनिर्दिष्ट क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी या प्रश्नाधीन क्षेत्र के निवासी को कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना प्रकाशित होने से 30 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. उक्त अवधि अवसान होने के पश्चात् किसी के द्वारा कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 24 अक्टूबर 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मेथिल, कलेक्टर एवं उपसचिव तथा पदेन सचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

क्र. एफ 2-11-2004-एसएण्डटी-इकतालीस.—प्रोफेसर डॉ. प्रमोद के. वर्मा को मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, भोपाल के सेवा भरती नियम 1997 के प्रावधान के अन्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अगस्त 2008 के द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त महानिदेशक मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, भोपाल के पद पर नियुक्त किया गया था.

2. राज्य शासन द्वारा प्रोफेसर डॉ. प्रमोद के. वर्मा, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, भोपाल को तत्काल प्रभार से महानिदेशक के पद से कार्यमुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चंद्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2016

क्र. 1423-1074-2015-ए-सोलह.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश श्रम कल्याण कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1999 के विनियम 3(1) खण्ड (क) में निहित प्रावधान अनुसार श्री भानुप्रताप सिंह, सहायक श्रमायुक्त, भोपाल को न्यासी मंडल के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मिलिन्द गणवीर, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

Bhopal, the 2nd November 2016

No. F-03-30-2011-XIII.—The Government of Madhya Pradesh Department of Energy vide Gazette Notification No. F-3-30-2-2011-13 dated 1st October 2013 has established an authority known as Grievances Redressal Authority for Maheshwar Hydro Electric Project Affected Persons (PAPs), with its 'Term' as two (2) years i.e. upto 30th September 2016.

2. Now, the State Government hereby extend the 'term' of the Grievances Redressal Authority for a further period of 1 year i.e. up to 30th September 2017.

3. Dr. Anil Pare Retired District & Session Judge, has been appointed as the Chairman of the Grievances Redressal Authority, vide GoMP Energy Department's order No. F-03-30-2011-13 dated 15th October 2014 for a period upto 30th September 2016. The Term of Dr. Anil Pare, as Chairman, Grievances Redressal Authority is hereby extended further for one (1) year period i.e. upto 30th September 2017.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
NEERAJ AGARWAL, Dy. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
हरदा, दिनांक 25 जुलाई 2016

क्र. 7218-भू-अर्जन-अ-82-15-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि के कॉलम (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा-11 के की उपधारा (2) में दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण				धारा 11 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
हरदा	सिराली	धौलपुर	77	4.776	0.445	शाखा प्रबंधक म. प्र. वेयर हाउस, लाजिस्टिक का. हरदा.	वेयर हाउस निर्माण हेतु

नोट.—

- (2) भूमि का नक्शा प्लॉन एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण आदि भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं शाखा प्रबंधक म. प्र. वेयर हाउस, लाजिस्टिक का. हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भूमि अर्जन) हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
- (4) सरकार की समुचित वेबसाइट www.harda.nic.in पर भी अपलोड किया गया.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीकांत बनोट, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 27 जुलाई 2016

प्र. क्र. 03-अ-82-2014-2015.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि घोघरा मध्यम परियोजना, तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे क्रमांक वार विवरण निम्न अनुसूची में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

ग्राम—बोरखेड़ा खुर्द तहसील नसरुल्लागंज

अनुसूची

गोपालपुर वितरिका

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	प्रेमनारायण, केवलराम, बलराम, शिवनारायण आ. गोटिया, गोटिया आ. बट्टू जाति बलाई निज ग्राम भूमि स्वामी.	81, 84 86/2/1/1/3	7.618	0.000	7.618	0.180	0.000	0.180
कुल योग . .			7.618	0.000	7.618	0.180	0.000	0.180

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग सीहोर के कार्यालय में किया सकता है.
- (3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भू-अर्जन), सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
- (4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सारांश.—

घोघरा सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है. अतः धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सारांश निरंक है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुदाम खाड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

क्र. 9135-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम—काराबोह, प.ह.नं.-20, ब. नं.-20, रा.नि.मं.-चौरई, तहसील-चौरई.	रकबा 0.400 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 9136-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-03-2016-17-ल.सि.-31-997, भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2016 के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के संबंध में म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2ए, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 म. प्र. के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम—नदेवानी, ब.नं.-210 प.ह.नं.-10, रा.नि.मं.-सौंसर, तहसील-सौंसर.	रकबा 07.021 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा.	मोहगांव जलाशय के लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत ग्राम नंदेवानी के टोले सीतापार एवं घोडकीढाना में आबादी के 53 मकान एवं 8 भूमि स्वामियों के वनअधिकार पट्टेधारियों की निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग सौंसर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी, जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 21 सितम्बर 2016

क्र. 33 अ-82-15-16-8032.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अन्तर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं अनुसूची के पद (3) में वर्णित स्थाई संरचनाओं की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) एवं (3) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है—

(1)	परियोजना का नाम	:	परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनान्तर्गत बांध निर्माण हेतु
(2)	भूमि का विवरण	:	
(क)	जिला	:	सागर
(ख)	तहसील	:	सागर
(ग)	ग्राम	:	बक्सवाहा
(घ)	पट. ह. नं.	:	137
(ङ)	क्रय की जा रही भूमि का क्षेत्रफल	:	200.890 हेक्टेयर

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	ख. नं.	कुल रकबा	अर्जित रकबा (हे.मे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नन्हेभाई पिता मानसींग सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	4 10 490	1.270 0.560 1.250	1.270 0.560 0.590
		योग . .	3	3.080	2.420
2	महीप सींग पिता मान सींग सा. देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	5 9 221	0.480 0.260 0.090	0.480 0.260 0.090
		योग . .	3	0.830	0.830
3	प्रीतम सिंह वल्द हरीराम सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	6 224 227 232	0.230 0.100 0.490 0.570	0.230 0.100 0.490 0.570
		योग . .	4	1.390	1.390
4	प्रवेश दुलैया बेवा प्रेमसींग बादल अजब सिंह आकाश वल्द प्रेमसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	7 220 223 226	0.250 0.370 0.100 0.490	0.250 0.370 0.100 0.490
		योग . .	4	1.210	1.210
5	गब्बर सींग पिता बीर सींग चन्द्रेश दुलैया बेवा वीर सींग सा. देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	8 222 225	0.270 0.090 0.470	0.270 0.090 0.470
		योग . .	3	0.830	0.830
6	माखन सींग तुलसीराम भाईराम बाबूसींग शंकर सींग पिता जगन्नाथ सींग पता सा. केवलारी भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	11 15 20	1.190 0.300 0.180	1.190 0.300 0.180
		योग . .	3	1.670	1.670

7	कुंवर सींग पिता मानसींग सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	12	0.700	0.700
योग:-			1	0.700	0.700
8	माखन तुलसीराम भाईराम पिता जगन्नाथ सींग पता सा0 केवलारी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	13	1.190	1.190
			18	0.440	0.440
योग:-			2	1.630	1.630
9	श्री नंदन पिता जयसींग पता सा0 केवलारी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	14	0.940	0.940
			16	0.260	0.260
			19	0.170	0.170
योग:-			3	1.370	1.370
10	श्री सींग जवाहर सींग पिता हिमांचल सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	21	3.520	3.520
योग:-			1	3.520	3.520
11	मुन्नी बाई पत्नि राजकुमार पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	22/1	1.070	1.070
			22/2	0.210	0.210
योग:-			2	1.280	1.280
12	जितेन्द्र पिता जगदीश पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	22/3	0.800	0.800
			23/2	0.020	0.020
			50/2	0.330	0.330
योग:-			3	1.150	1.150
13	हरीबाई वेबा गुलाब सचेन्द्र नरेन्द्र ना0वा0 पिता गुलाब कृष्णा ना0वा0 रविता ना0वा0 पुत्री गुलाब वली माँ हरीबाई पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	23/1	0.080	0.080
			50/3	0.350	0.350
योग:-			2	0.430	0.430
14	जगदीश सिंह पिता करन सिंह सा0 केवलारी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	24	0.090	0.090
			49	1.400	1.400
योग:-			2	1.490	1.490
15	लच्छू पिता खानजू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	28/1	1.140	1.140
			32	0.710	0.710
योग:-			2	1.850	1.850
16	चुन्नी पिता दुर्जन पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	28/2	0.460	0.250
			29/1	0.440	0.440
योग:-			2	0.900	0.690
17	गोदन पिता दुर्जन पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	28/3	0.450	0.260
			29/2	0.450	0.450
योग:-			2	0.900	0.710
18	फूल सींग पिता दुर्जन पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	28/4	0.230	0.230
			29/3	0.220	0.220
योग:-			2	0.450	0.450
19	शिवानी पिता माखन लाल पता सा0 भोपाल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	33/1	1.100	1.100
योग:-			1	1.100	1.100
20	माखन पिता गनेश पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	33/2	0.900	0.900
योग:-			1	0.900	0.900

प्र.क्र-33 अ/82/15-16

21	हरीराम सुक्के दिब्बा लखन शोभा पिता चेतु पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	34/1	1.350	1.350
योग:-			1	1.350	1.350
22	लाल सींग पिता सुक्के सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	34/3	0.360	0.360
योग:-			1	0.360	0.360
23	हरीराम पिता चेतु पता सा0 आफत गंज सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	34/2	0.460	0.460
योग:-			1	0.460	0.460
24	रघुवीर शीलाबाई कुसुमबाई परतू किशन पिता रामा पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	36	1.620	1.220
योग:-			1	1.620	1.220
25	रगवीर परतू किशन पिता राम अनुजाति पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	37/1	0.400	0.400
योग:-			1	0.400	0.400
26	विनीता पति नरेन्द्र सिंह पता सा0 केवलारी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	37/2	0.220	0.220
			38	0.670	0.670
			39	1.130	1.130
योग:-			3	2.020	2.020
27	जानकीबाई बेवा कच्छेदी संतोष कमल रम्मू राजू तुलसीराम पिता कच्छेदी द्रोपती पुत्री कच्छेदी पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	40	4.040	4.040
योग:-			1	4.040	4.040
28	पुष्पेन्द्र सिंह चन्द्रभान सिंह जाहर सिंह ना0वा0 बल्द रूपसींग वली अजा हीरासींग पिता सुजान सींग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	43	1.870	1.870
योग:-			1	1.870	1.870
29	देववती पति गोपाल सिंह पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	44	0.310	0.310
			61	0.320	0.320
			75	0.710	0.710
			217	0.120	0.120
योग:-			4	1.460	1.460
30	राकेश कुमार राजेश कुमार पिता कोमल चंद्र पता सा0 सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	45	0.220	0.220
			55	4.200	4.200
			57	0.470	0.470
			72	0.580	0.580
			486	0.030	0.030
			488	5.440	5.440
योग:-			6	10.940	10.940
31	श्रीबाई पति हीरासींग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	46/1	1.130	1.130
योग:-			1	1.130	1.130
32	प्यूस ना0वा0 बल्द पुष्पेन्द्र वली अजा हीरासींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	46/2	1.000	1.000
			76/2	0.800	0.800
योग:-			2	1.800	1.800

33	राजकुमार पिता करन सींग पता सा0 केवलारी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	48	1.430	1.430
योग:-			1	1.430	1.430
34	मोहन लाल पिता मिही लाल पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	50/1	0.640	0.640
योग:-			1	0.640	0.640
35	मंजू कुमारी पुत्री कोमलचंद्र पता सा0 सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	53	6.960	6.960
योग:-			211	0.100	0.100
योग:-			2	7.060	7.060
36	मीनाबाई पति विनोद कुमार पता सा0 गंजवासोदा जिला विदिशा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	54	2.060	2.060
योग:-			1	2.060	2.060
37	राजेश कुमार पिता कोमल चंद्र सा0 सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	56	6.650	6.650
योग:-			63	1.880	1.880
योग:-			2	8.530	8.530
38	सोहन गुड्डा पिता बल्ला पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	58/1	0.010	0.010
योग:-			212/1	0.020	0.020
योग:-			213/1	0.010	0.010
योग:-			218/1	0.040	0.040
योग:-			682/1	0.210	0.210
योग:-			682/2	0.170	0.170
योग:-			6	0.460	0.460
39	छुट्टी पिता बिहारी सा0 सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	59/1	0.700	0.700
योग:-			1	0.700	0.700
40	प्रभाबाई पत्नि अमोल पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	59/2	0.610	0.610
योग:-			94/2	0.400	0.400
योग:-			2	1.010	1.010
41	गौरी तुलैया पिता हल्का पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय	शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि	60/1	0.650	0.650
योग:-			1	0.650	0.650
42	धनबाई वेबा निरपत दीना सुखराम अमोल शोभाराम पिता निरपत सवित्री शीलाबाई वती दशोदा पुत्री निरपत सा0 देह देवरी कला भूमि स्वामी	शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि	60/2	0.650	0.650
योग:-			1	0.650	0.650
43	लीलाधर काशीराम बावू पिता रम्मू फूलबाई संगीता पुत्री रम्मू सा0 देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त आहस्तांतरणीय	शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि	62/1	0.730	0.730
योग:-			1	0.730	0.730
44	मल्ला पिता शेवलाल पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	62/2	0.720	0.720
योग:-			1	0.720	0.720
45	गनपत पिता रेवा पता सा0 देह सेवा खातेदार	सेवा भूमि	64	1.280	1.280
योग:-			676	1.430	0.380
योग:-			680	1.000	0.320
योग:-			3	3.710	1.980

46	आशाराम मूंगाबाई पिता मिट्टूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय	शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि	65/1	0.620	0.620
योग:-			1	0.620	0.620
47	तुलसी भरोसी पिता भीकम पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय	शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि	65/2	0.620	0.620
योग:-			1	0.620	0.620
48	प्यारीबाई बेवा कन्छेदी देवी मंगल पिता कन्छेदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	65/3	0.940	0.940
योग:-			2	0.940	0.940
49	अनुरुद्ध सिंह पिता बैजनाथ सिंह पता सा० खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	69/1	0.240	0.240
			70/2	0.140	0.140
योग:-			2	0.380	0.380
50	वीरेन्द्र सिंह पिता बैजनाथ पता सा० खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	69/2	0.230	0.230
			70/3	0.140	0.140
योग:-			2	0.370	0.370
51	राजेन्द्र सिंह पिता बैजनाथ सिंह पता सा० खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	69/3	0.240	0.240
			70/4	0.150	0.150
योग:-			2	0.390	0.390
52	नरेन्द्र सिंह पिता बैजनाथ सिंह पता सा० खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	69/4	0.230	0.230
			70/1	0.140	0.140
योग:-			2	0.370	0.370
53	रामजी पिता रतन सिंह पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	71	0.580	0.580
योग:-			1	0.580	0.580
54	नीलेश सतनारायण ना०बा० बल्द व वली सुदामा वल्द रामप्रसाद पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	74/1	2.160	2.160
योग:-			1	2.160	2.160
55	बैजनाथ पिता छुट्टी पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	74/2	0.190	0.190
			74/3	1.020	1.020
			104/2	0.200	0.200
			109	1.180	1.180
योग:-			4	2.590	2.590
56	हीरासींग पिता सुजानसींग पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	76/1	0.850	0.850
			215	0.020	0.020
			216	0.080	0.080
योग:-			3	0.950	0.950
57	आशाराम पिता मिट्टू पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय	शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि	77/3	1.000	1.000
योग:-			1	1.000	1.000
58	संतोषरानी पति नन्हेभाई पता सा० मनक्याई भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय	शासकीय पट्टे पर प्राप्त	77/4	1.000	1.000
योग:-			1	1.000	1.000

59	दुर्जन पिता पंचे सियारानी पति दुर्जन भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	77/5	1.000	1.000
योग:-			1	1.000	1.000
60	रतनसींग कोमल सींग पिता टुन्डे पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	81	1.100	0.280
		भूमिस्वामी	84	1.220	0.850
योग:-			2	2.320	1.130
61	गोरेलाल पिता दलू पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	82	1.160	0.850
योग:-			1	1.160	0.850
62	गोरेलाल कुवंरबाई रामवती पिता दलू धरमाबाई बेवा दलू पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	83	1.620	1.620
योग:-			1	1.620	1.620
63	रामकृष्ण ना0वा0 बल्द वली गोरेलाल पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	85	1.170	0.370
योग:-			1	1.170	0.370
64	मथुराबाई बेवा चैतू पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	86	1.050	0.500
योग:-			1	1.050	0.500
65	बब्बू दुर्जन पिता पंचा पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	89/1	0.170	0.030
योग:-			1	0.170	0.030
66	कमलरानी पति नर्मदा प्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	89/5	0.200	0.030
योग:-			4	0.200	0.030
67	संतोष ग्याबाई पिता पंचू पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	95/1	0.730	0.730
योग:-			1	0.730	0.730
68	प्रवेशरानी पत्नि जयसिंह पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	95/2	0.200	0.200
योग:-			1	0.200	0.200
69	प्रभाबाई पति अमोल कुन्दन हल्लू पिता संतोष पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	97/1	0.090	0.090
योग:-			1	0.090	0.090
70	करसी पिता पिरूवा सविता पुत्री पूरन पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	97/2	0.060	0.060
योग:-			1	0.060	0.060
71	काशी पिता पिरूआ पता सा0 देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय	शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि	98	1.210	1.210
योग:-			1	1.210	1.210
72	प्रभाबाई पति किशन पता निवासी ग्राम पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	100	0.120	0.120
योग:-			1	0.120	0.120
73	नरबदी पिता रूपसींग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	101/1	0.340	0.340
		भूमिस्वामी	121/2	0.490	0.490
योग:-			2	0.830	0.830

74	चित्तर पिता रूपसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	101/2	0.350	0.350
			121/3	0.490	0.490
			125/8	0.250	0.250
			113/4	0.120	0.120
			124/6	0.100	0.100
			114/4	0.450	0.450
			114/7	0.180	0.180
			123/6	0.190	0.190
			125/3	0.290	0.290
योग:-			9	2.420	2.420
75	सन्नू पिता छुट्टी पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	104/1	0.980	0.980
योग:-			1	0.980	0.980
76	मुन्ना पिता छुट्टी पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	105	0.200	0.200
			107	0.990	0.300
योग:-			2	1.190	0.500
77	राधारानी पत्नि बैजनाथ पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	106	1.210	1.210
योग:-			1	1.210	1.210
78	बैजनाथ मुन्ना रल्ली सन्नू पिता छोटेलाल पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	110	1.180	1.180
योग:-			1	1.180	1.180
79	रल्ली पिता छुट्टी पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	108	1.180	1.180
योग:-			1	1.180	1.180
80	जीवन पिता मनधत पता सा0 देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय	शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि	111	1.350	1.350
योग:-			1	1.350	1.350
81	घसीटे पिता घनश्याम पता सा0 देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय	शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि	112	0.800	0.800
योग:-			1	0.800	0.800
82	तेजाबाई बेवा पंचा पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	113/1	0.400	0.400
योग:-			1	0.400	0.400
83	नरवदी वल्द रूपसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	113/2	0.120	0.120
योग:-			1	0.120	0.120
84	किशन पिता रूपसीग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	101/3	0.350	0.350
			113/3	0.120	0.120
			114/3	0.450	0.450
			114/8	0.180	0.180
			121/1	0.490	0.490
			123/4	0.190	0.190
			124/4	0.200	0.200
			124/8	0.100	0.100
			125/1	0.090	0.090
योग:-			9	2.170	2.170

85	मुन्ना पिता रूपसीग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	101/4	0.350	0.350
			113/5	0.120	0.120
			114/1	0.450	0.450
			114/6	0.180	0.180
			121/4	0.480	0.480
			123/1	0.180	0.180
			123/2	0.060	0.060
			123/7	0.090	0.090
			124/1	0.200	0.200
			124/2	0.100	0.100
			124/7	0.070	0.070
			125/4	0.250	0.250
			125/9	0.120	0.120
86	इमरत पिता पंचा पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	113/22	0.130	0.130
			114/10	0.050	0.050
			120/1	0.020	0.020
			126/1	0.010	0.010
योग:-			4	0.210	0.210
87	चंदा पति कोमल राठौर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	113/7	0.220	0.220
योग:-			1	0.220	0.220
88	अमोल पिता पंचा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	113/8	0.150	0.150
			114/13	0.050	0.050
			120/4	0.020	0.020
			126/4	0.010	0.010
योग:-			4	0.230	0.230
89	गोपाल सींग पिता हीरासींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	58/4	0.010	0.010
			212/4	0.010	0.010
			213/5	0.010	0.010
			218/5	0.030	0.030
			682/8	0.050	0.050
			682/9	0.180	0.180
			682/7	0.250	0.250
			682/10	0.400	0.400
			664	0.040	0.040
666	0.730	0.180			
योग:-			12	1.710	1.160
90	अमनसींग ना0वा0 बल्द राजासींग अनीताबाई बेवा राजासींग वली चाचा उदयसींग बल्द हिमांचल पता सा0देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	116	0.810	0.810
योग:-			1	0.810	0.810
91	प्यारे पिता पंचे पता सा0 देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि	शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि	117	1.350	1.350
योग:-			1	1.350	1.350

92	कृष्णाबाई बेवा रामसींग पता सा0 देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि	शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि	119	1.360	1.360
योग:-			1	1.360	1.360
93	माखन पिता नरबदी पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	123/3	0.060	0.060
			123/5	0.180	0.180
			124/3	0.080	0.080
			124/5	0.100	0.100
			125/2	0.290	0.290
			125/5	0.120	0.120
			125/7	0.240	0.240
योग:-			7	1.070	1.070
94	सीताबाई बेवा रूपसींग चित्तरसींग किशनसींग नरबदी मुन्ना पिता रूपसींग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	127	0.110	0.110
योग:-			1	0.110	0.110
95	खिलान पिता नथू सा0 चारटोरिया	भूमिस्वामी	130/1	1.630	1.630
योग:-			1	1.630	1.630
96	मुलाम पिता नथू सा0 चारटोरिया	भूमिस्वामी	130/2	1.590	1.590
योग:-			1	1.590	1.590
97	सुखराम पिता नथू सा0 चारटोरिया	भूमिस्वामी	130/3	0.170	0.170
			132/1	1.420	1.420
योग:-			2	1.590	1.590
98	मेहताब पिता नथू सा0 चारटोरिया	भूमिस्वामी	132/2	1.590	1.590
योग:-			1	1.590	1.590
99	कुंवर पिता नथू सा0 चारटोरिया	भूमिस्वामी	140/1	1.010	1.010
			132/3	0.580	0.580
योग:-			2	1.590	1.590
100	अबधरानी बेवा नथू द्रोपती कृष्णा भागबाई कौशिल्या नैकीबाई पुत्री नथू सा0 चारटोरिया	भूमिस्वामी	143	0.650	0.650
योग:-			1	0.650	0.650
101	गीताबाई पति घनश्याम पता सा0 चारटोरिया भूमि स्वामी	शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि	134	1.030	1.030
योग:-			1	1.030	1.030
102	घनश्याम निर्भयसींग उर्फ नारायण पिता बालकिशन पता सा0 चारटोरिया भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	135	1.330	0.830
योग:-			1	1.330	0.830
103	सीताराम नन्हेभाई कुंवरबाई सुशीला हेमाबाई पिता गोटीराम अमर सिंह पिता कडोरी हरिनारायण रामेश्वर चंदन श्रीराम पिता रतन चंद्रभान कृष्णमुरारी भगतसींग गोरीशंकर सोहन व मोहनसींग ना0वा0 पिता मुल्ले वली खुद माँ सियारानी बेवा मुल्ले पता निवासी ग्राम चारटोरिया भूमि स्वामी घनश्याम निर्भय पिता बालकिशन मीरा राजबाई कुंवरबाई पुत्री बालकिशन पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	140/2	1.330	1.330
			136	0.370	0.370
योग:-			2	1.700	1.700

104	नरान फूलबाई पि० भैयाराम रामटेकवारी बेवा भैयाराम मजबूत चैतू धनीराम वती प्यारीबाई पिता उदयभान पता सा० चारटोरिया भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	140/3	0.710	0.710
योग:-			1	0.710	0.710
105	रगवर पिता कन्छेदी पता सा० चारटोरिया भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	141	3.480	3.480
योग:-			1	3.480	3.480
106	परसू पति मंजू पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि	शासकीय पट्टे पर प्राप्त	142	1.380	1.380
योग:-			1	1.380	1.380
107	मानसींग पिता दुरगसींग पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	219	0.380	0.380
योग:-			3	0.380	0.380
108	महेश पिता गोठल कमलेशरानी बेवा गोठल पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	228/1	0.400	0.400
योग:-			1	0.400	0.400
109	जितेन्द्र पिता गोठल कमलेशरानी बेवा गोठल पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	228/2	0.210	0.210
			230/1	0.190	0.190
योग:-			2	0.400	0.400
110	धनसींग पिता कन्छेदी पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	229	0.600	0.600
योग:-			1	0.600	0.600
111	राजाराम पिता बाबूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	230/2	0.410	0.410
योग:-			1	0.410	0.410
112	सरोजनी पति प्रीतम पता सा० देह भूमि	भूमिस्वामी	231/1	0.160	0.160
योग:-			2	0.160	0.160
113	संतोषरानी पिता मुन्ना पता सा० देह भूमि	भूमिस्वामी	231/2	0.420	0.420
योग:-			1	0.420	0.420
114	आलम पिता रतन चन्द्ररानी पति आलम पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	265/4	1.000	1.000
योग:-			1	1.000	1.000
115	कमलेश पिता दिब्बा उषा पत्नि कमलेश पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	265/5	1.000	1.000
योग:-			1	1.000	1.000
116	बुद्धू पिता रेबा पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	265/6	1.000	1.000
योग:-			1	1.000	1.000
117	खचौरी पिता तुलई पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	265/7	0.400	0.400
योग:-			1	0.400	0.400
118	पार्वती उर्फ कमलरानी पत्नि बैजनाथ सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	265/15	0.400	0.400
			265/16	0.200	0.200
योग:-			2	0.600	0.600
119	लालसींग पिता मंगल कौशिल्या बाई पति लालसींग पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि	शासकीय पट्टे पर प्राप्त	265/8	1.000	1.000
योग:-			1	1.000	1.000

120	मंगल पिता कन्छेदी अशोकरानी पति मंगल पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि	शासकीय पट्टे पर प्राप्त	265/9	1.000	1.000
योग:-			1	1.000	1.000
121	प्रहलाद पिता गनेश कंचनबाई पति प्रहलाद पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि	शासकीय पट्टे पर प्राप्त	265/10	1.000	1.000
योग:-			1	1.000	1.000
122	कलू पिता हल्का नन्नीबाई पति कलू पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि	शासकीय पट्टे पर प्राप्त	265/11	1.000	1.000
योग:-			1	1.000	1.000
123	मोहन पिता हीरालाल कुसमरानी पति मोहन पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि	शासकीय पट्टे पर प्राप्त	265/12	1.000	1.000
योग:-			1	1.000	1.000
124	गजराज सींग पिता कपोद सींग महीपसींग पिता मानसींग पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	481	1.860	1.860
योग:-			1	1.860	1.860
125	मानसींग पिता दुरगसींग प्रवेश दुलैया वेबा प्रेमसींग बादल अजबसिंह आकाश ना०बा० वल्द प्रेमसींग वली माँ प्रवेश दुलैया पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	482	3.630	3.630
योग:-			1	3.630	3.630
126	ब्रजकिशोर पिता ओंकार प्रसाद पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	483	0.090	0.090
योग:-			1	0.180	0.090
127	राकेशकुमार पिता कोमलचंद्र पता सा० सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	485	1.910	1.910
			683	3.780	3.780
योग:-			2	5.690	5.690
128	राजकुमारी पति धन्यकुमार पता सा० छिन्दवाडा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	487	3.670	3.670
योग:-			1	3.670	3.670
129	वैजनाथ पिता शंकर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	233/1	0.150	0.150
योग:-			3	0.150	0.150
130	पार्वती वाई पति वैजनाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	233/2	0.160	0.160
			233/3	0.160	0.160
योग:-			2	0.320	0.320
131	अविरल वल्द राकेशकुमार पता सा.सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	218/2	3.140	3.140
योग:-			1	3.140	3.140
132	राजेश कुमार पिता सुरेश चंद्र पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	478/2	2.640	0.050
योग:-			1	2.64	0.050

133	हूकूम चंद पिता पूरन चंद पता सा.सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	479/1	3.410	2.630
योग:-			1	3.410	2.630
134	सुनील कुमार पिता सुरेश चंद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	479/2	3.410	3.410
योग:-			1	3.410	3.410
135	कुवंर सिंह पिता मान सिंह वशरह नं.-12	भूमिस्वामी	489	1.250	1.250
योग:-			1	1.25	1.250
136	शोभा पति सकेश कुमार पता सा0 सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	684	0.400	0.400
			58/2	0.270	0.270
योग:-			2	0.670	0.670
137	ओमकार प्रसाद पिता ग्या प्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	681	0.490	0.330
योग:-			1	0.490	0.330
138	इन्दर सींग पिता रतन सींग पता सा.देह भूमि स्वामी महाराजसींग पिता बहादुरसींग पता सा.देह	भूमिस्वामी	77/824	0.300	0.300
योग:-			1	0.300	0.300
139	सिंगारदुलैया बेबा रघुराजसींग राजेश्री बा. प्रदीपसिंह सरला ना.बा.पिता रघुराज वली मां सिंगारदुलैया बशरह नं. 192.	भूमिस्वामी	77/825	0.240	0.240
योग:-			1	0.240	0.240
140	शंतिबाई बेवा रतन सिंह रघुराज मलखान इंद्ररामजी मालती जानकी रामराज बल्द रतनसिंह भू स्वामी महाराज सिंह पिता बहादुर सींग लक्ष्मण अमरसींग पिता खिलान भू स्वामी विजयसींह पिता मोहन सिंह पता केवलारी भूमि स्वामी सिंगार दुलैया वेबा रघुराज राजेश्री बा0 प्रदीप सिंह सरला ना0वा0 बल्द रघुराज बली मां सिंगार दुलैया पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	77/826	0.480	0.480
योग:-			1	0.480	0.480
141	रामदास हेमंत पिस.परमलाल राठौर पता सा.नेहानगर मकरोनिया भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	94/1	0.810	0.200
योग:-			1	0.810	0.200
142	विजय सिंह बल्द हिमांचल पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	115	1.380	1.380
योग:-			1	1.380	1.380
143	कुन्दन हल्लू पिता संतोष सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	113/6	0.220	0.220
			120/2	0.020	0.020
			126/2	0.010	0.010
			113/18	0.130	0.130
			114/11	0.050	0.050
योग:-			5	0.430	0.430
144	जय सिंह पिता पंचा पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	113/9	0.210	0.210
			113/23	0.060	0.060
			113/16	0.140	0.140
			114/17	0.050	0.050

			120/8	0.030	0.030
			126/8	0.010	0.010
योग:-			6	0.500	0.500
145	अनिल कुमार पिता हुकुमचंद्र जैन पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	113/15	0.140	0.140
			114/12	0.050	0.050
			126/3	0.010	0.010
योग:-			3	0.200	0.200
146	पप्पू पिता पंचा सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	113/10	0.210	0.210
			120/3	0.020	0.020
			2	0.230	0.230
147	महेन्द्र पिता पंचा सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	113/12	0.210	0.210
			113/21	0.140	0.140
			114/15	0.050	0.050
			120/6	0.020	0.020
			126/6	0.020	0.020
योग:-			5	0.440	0.440
148	चित्तरसींग किशनसींग नरबदी मुन्ना पिस. रूपसींग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	114/5	0.600	0.600
योग:-			1	0.600	0.600
149	प्राग पिता पंचा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	113/11	0.210	0.210
			113/17	0.080	0.080
			114/14	0.050	0.050
			120/5	0.020	0.020
			126/5	0.010	0.010
योग:-			5	0.370	0.370
150	कोमल पिता पंचा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	113/13	0.210	0.210
			113/14	0.060	0.060
			113/19	0.140	0.140
			113/20	0.140	0.140
			114/16	0.050	0.050
			120/7	0.020	0.020
			126/7	0.010	0.010
योग:-			7	0.630	0.630
151	नरबदी पिता रूपसिंह सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	114/2	0.450	0.450
			114/9	0.180	0.180
योग:-			2	0.630	0.630
152	माखन पिता नरबदी सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	123/3	0.060	0.060
योग:-			1	0.060	0.060
153	किशन पिता रूपसिंह सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	125/6	0.250	0.250
योग:-			1	0.250	0.250
154	हीरा पिता गुलई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	58/3	0.010	0.010
			682/3	0.700	0.700
			218/3	0.030	0.030
			213/3	0.010	0.010
			212/2	0.020	0.020
			682/4	0.170	0.170
योग:-			6	0.940	0.940

155	सोहन गुड्डा पिता बल्ला वती पुत्री बल्ला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	218/4	0.030	0.030
			682/5	0.700	0.700
			212/3	0.010	0.010
			213/4	0.010	0.010
			682/6	0.180	0.180
योग:-			5	0.930	0.930
156	टन्डू संतोष पिता लालसींग अमान पिता नन्धू गनपत बब्बू बुध्दू विन्नबाई पिता रेवा (अ.जा.) सा० देह भूमि स्वामी गोलू ना०वा० पिता रामजी बली माँ लक्ष्मीबाई बेवा रामजी पता सा० केवलारी	भूमिस्वामी	675	0.420	0.150
			योग:-		
157	राकेशकुमार राजेश कुमार पिता कोमलचंद्र पता सा० सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	662	0.300	0.300
			670	0.440	0.440
योग:-			2	0.740	0.740
158	गजराज सींग सुरजबाई कलीबाई पिता कमोद सींग रामराज सींग शेरसींग रचना पिता भगवान सींग सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	669	1.590	0.200
			योग:-		
159	बिमलाबाई गोपीबाई पुत्री परमू पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तारित भूमि	शासकीय पदटे पर प्राप्त	59/3	0.700	0.700
			योग:-		
160	बेनीबाई वेबा मंजू पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	133	1.370	1.370
			योग:-		
161	ममतारानी पति प्रानसींग सपनारानी पति पारीक्षत पता चारटोरिया भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	137	0.670	0.400
			योग:-		
162	दुर्गा प्रसाद पिता गनेश पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	678	1.240	0.380
			533	0.840	0.300
			532	0.840	0.240
			531	1.210	0.350
			4	4.130	1.270
163	सीतारानी बेवा शिवदयाल दुर्गाबाई पवन पिता शिवदयाल सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	534/1	0.470	0.290
			538	0.060	0.060
योग:-			2	0.530	0.350
164	मुन्ना पिता टीकाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	534/2	0.010	0.010
			योग:-		
165	परषोत्तम रगराज मोहन कल्लोबाई हल्कीबाई पिस गनेश सदारानी बेवा गनेश हरीसींग हरीराम रतीराम पिता करनसींग पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	430/1	0.890	0.100
			431/1	0.080	0.080
			योग:-		
166	राम शंकर पिता सूरज प्रसाद पता निवासी सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	430/2	0.780	0.030
			431/2	0.050	0.050
योग:-			2	0.830	0.080

167	रतीराम बल्द करनसिंह पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	430/5	0.170	0.170			
			431/3	0.020	0.020			
			437	0.060	0.060			
योग:-			3	0.250	0.250			
168	रामकृवर पिता गनेश पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	535	0.060	0.060			
			435	0.010	0.010			
			योग:-			2	0.070	0.070
169	कांतिबाई पति मुन्ना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	536	0.060	0.060			
			539	0.060	0.060			
			627	0.500	0.200			
			433	0.010	0.010			
			436	0.010	0.010			
			योग:-			5	0.640	0.340
170	रमेश सिंह पिता श्रीसिंह पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	537	0.060	0.060			
			438	0.010	0.010			
			434	0.010	0.010			
			योग:-			3	0.080	0.080
171	टीकाराम वल्द धरनीधर पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	540	0.300	0.220			
			432	0.010	0.010			
			योग:-			2	0.310	0.230
172	चंदाबाई पति राकेश पाण्डेय पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	626/3	0.400	0.330			
			योग:-			1	0.400	0.330
			173	सुरेन्द्र पिता लक्ष्मण सींग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	528	0.120	0.080
योग:-						1	0.120	0.080
174	रामप्रसाद पिता अनंदा पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी				529	1.290	0.520
			योग:-			1	1.290	0.520
			175	राधारानी पति चिन्तामन पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	522/1	0.410	0.280
योग:-						1	0.410	0.280
176	किशोरी पिता रामप्रसाद पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी				522/2	0.410	0.280
			योग:-			1	0.410	0.280
			177	राजा सिंह पिता श्रीसिंह पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	642	1.190	0.450
650	0.070	0.070						
654	0.750	0.380						
योग:-						3	2.010	0.900
178	नन्हेवीर पिता खिलानसींग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	652	0.600	0.370			
			योग:-			1	0.600	0.370
			179	सियारानी बेवा सूरतसींग अशोक अमोल बेनीबाई गीताबाई पिता सूरतसींग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	653	0.700	0.130
योग:-						1	0.700	0.130

180	जाहरसींग पिता श्रीसींग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	655	0.740	0.090
			661	0.150	0.150
			807	0.680	0.680
योग:-			3	1.570	0.920
181	सरोजबाई पिता रामप्रसाद सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	511	0.150	0.040
			1	0.150	0.040
182	राजाराम पिता रामप्रसाद सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	659/1	0.080	0.080
			658/1	0.350	0.150
योग:-			2	0.430	0.230
183	सुंदामा वल्द रामप्रसाद सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	658/2	0.090	0.020
			659/2	0.340	0.260
योग:-			2	0.430	0.280
184	श्रीराम वल्द रामप्रसाद पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	659/3	0.300	0.260
			1	0.300	0.260
योग:-			1	0.300	0.260
185	बावूलाल हरपाल सिंह पिता विशान सिंह पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	513	0.080	0.080
			1	0.080	0.080
योग:-			1	0.080	0.080
186	महेन्द्रसींग छोटेसींग पिता जगतसींग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	514	0.390	0.390
			1	0.390	0.390
योग:-			1	0.390	0.390
187	सेवक धनश्याम चंद्रेश प्रेम पिता सहू पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	515	0.130	0.130
			1	0.130	0.130
योग:-			1	0.130	0.130
188	नन्हेवीर पिता खिलानसींग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	516	0.120	0.120
			1	0.120	0.120
योग:-			1	0.120	0.120
189	रामराज सिंह पिता लक्ष्मणपता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	517	0.530	0.400
			521	0.550	0.300
योग:-			2	1.080	0.700
190	श्रीमती चन्द्ररानी पति मुलू पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	518/2	0.320	0.050
			1	0.320	0.050
योग:-			1	0.320	0.050
191	रूपराजसिंह पिता हीरासिंह पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	663	0.090	0.090
			665	3.060	0.280
योग:-			2	3.150	0.370
192	रामप्रभू पिता हरीराम पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	778/1	0.900	0.090
			1	0.900	0.090
योग:-			1	0.900	0.090
193	कमल पिता हरीराम पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	778/2	0.900	0.100
			1	0.900	0.100
योग:-			1	0.900	0.100
194	लालसींग पिता मोती पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	782	1.950	0.140
			1	1.950	0.140
योग:-			1	1.950	0.140

195	श्रीराम पिता रामप्रसाद पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	808/1	0.030	0.030
	योग:-	भूमिस्वामी	1	0.030	0.030
196	प्रकाश पिता रामप्रसाद पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	808/2	0.180	0.180
	योग:-	भूमिस्वामी	1	0.180	0.180
197	चन्द्ररानी पति राजाराम पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	808/3	0.080	0.080
	योग:-	भूमिस्वामी	1	0.080	0.080
198	सुन्दर पिता रामप्रसाद सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	808/4	0.430	0.160
	योग:-	भूमिस्वामी	1	0.430	0.160
199	श्रीमहावीर जी स्वामी मुह0 परबोलाल महेश कुमार पि. रामप्रसाद राजरानी बेवा रामप्रसाद प्रबं. कलेक्टर सागर पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	235	2.610	0.450
	योग:-	भूमिस्वामी	1	2.610	0.450
200	जितेन्द्र ना0वा0 वल्द व वली गोपाल सिंह पिता हीरासिंह पता ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	677	0.580	0.040
	योग:-		1	0.580	0.040
	कुल योग:-		376	234.030	200.890

3- स्थवर परिसंपत्तियों का विवरण

स.क्र.	धारक का नाम एवं पता	संपत्तियों का विवरण	ख.नं. जिस पर स्थावर परिसंपत्ति स्थित है
1	2	3	4
1	किशन पिता रुपसींग साहू सा. देह भूमि स्वामी बकस्वाहा	कच्चा खपरैल शौचालय (नि.स्व.अ.)	103
2	बल्लू पिता चित्तर सा. देह भूमि स्वामी बकस्वाहा	कच्चा खपरैल शौचालय (नि.स्व.अ.)	103
3	प्रहलाद पिता चित्तर बकस्वाहा	कच्चा खपरैल शौचालय (नि.स्व.अ.)	103
4	देवीसींग, लखन पिता चित्तर बकस्वाहा	कच्चा खपरैल कच्चा खपरैल (गौशाला) शौचालय (नि.स्व.अ.)	103
5	चित्तर पिता रुपसींग बकस्वाहा	कच्चा खपरैल बाटर टैंक पक्का शौचालय (नि.स्व.अ.)	103
6	सत्यभान पिता चित्तर बकस्वाहा	ईंटों की दीवार बगैर प्लास्टर घासफूस का छप्पर झोपड़ी कच्ची घासफूस का छप्पर	103
7	बन्दू पिता चित्तर बकस्वाहा	कच्चा खपरैल कच्चा खपरैल शौचालय (नि.स्व.अ.)	103
8	आशाराम पिता छुट्टी साहू बकस्वाहा	कच्चा खपरैल शौचालय (नि.स्व.अ.)	103
9	पूरन पिता छुट्टी बकस्वाहा	कच्चा खपरैल शौचालय (नि.स्व.अ.)	103
10	नरेन्द्र पिता गुड्डा साहू बकस्वाहा	कच्चा खपरैल	103

11	यशपाल पिता गुड्डा बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल	103
12	गुड्डा पिता चित्तर बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल	103
		शौचालय (नि.स्व.अ.)	
13	गंगाराम पिता धनसीग यादव नि0 बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल	103
14	धनसीग पिता कच्छेदी यादव नि0 बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल	103
		शौचालय (नि.स्व.अ.)	
15	संजू पिता धनसीग बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल	103
16	सिद्धा पिता रघुनाथ, मुकेश पिता सिद्धा बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल	103
17	इमरत पिता पंचा नि0 बक्स्वाहा	ईट की दीवाल फलेग स्टोन छत	103
		ईट दीवाल खपरैल	
		पक्का (आर.सी.सी) कुंआ-1	
18	रल्ली पिता छोटेलाल, कलू पिता रल्ली यादव बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल एवं ए.सी. शीट रुफिंग	103
19	नरेन्द्र पिता रल्ली नि0 बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल	103
		शौचालय (नि.स्व.अ.)	
20	मुन्ना पिता छोटेलाल यादव नि0 बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल	103
		शौचालय (नि.स्व.अ.)	
		कुंआ पत्थर जुड़ाई -1	
		शौचालय (नि.स्व.अ.)	
21	बाबू पिता मुन्ना यादव बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल	103
22	बैजनाथ पिता छुट्टी यादव बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल	103
		शौचालय (नि.स्व.अ.)	
23	हरपाल पिता बैजनाथ बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल	103
		शौचालय (नि.स्व.अ.)	
24	अनंतसीग पिता खिलानसीग यादव नि0 बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल	103
25	चन्द्रेश पिता बैजनाथ यादव नि0 बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल	103
26	सन्नू पिता छुट्टी यादव नि0 बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल	103
		शौचालय (नि.स्व.अ.)	
		कुंआ-1 (पक्का पत्थर जुड़ाई)	
27	बैजनाथ पिता छुट्टी यादव बक्स्वाहा	कुंआ-1 (पक्का पत्थर जुड़ाई)	68
28	चैनसिंह पिता धनसीग यादव निवासी बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल	67
		शौचालय (नि.स्व.अ.)	
		कुंआ-1 नग (पक्का पत्थर जुड़ाई)	
29	धनसीग पिता कच्छेदी यादव नि0 बक्स्वाहा	कुंआ-1 नग कच्चा	67
30	जितेन्द्र पिता अमोल साहू नि0 बक्स्वाहा	कच्चा मडवाल खपरैल	99
31	नरेश पिता अमोल साहू नि0 बक्स्वाहा	कच्चा मडवाल खपरैल	99
32	हन्ना पिता कुददी पटेल नि0 बक्स्वाहा	कच्चा मडवाल घास-फूस छप्पर	99
33	मुलायम पिता कुददी नि0 बक्स्वाहा	कच्चा मडवाल घास-फूस छप्पर	99
34	लच्छू पिता खन्जू पटेल नि0 बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल	30
35	जगदीश पिता रामप्रसाद चढ़ार नि0 बक्स्वाहा	कच्चा मडवाल घास-फूस छप्पर	3/1
36	हरिसीग पिता करन पटेल नि0 बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल	265/13
		शौचालय (नि.स्व.अ.)	
		कुंआ-1 नग (पक्का पत्थर जुड़ाई)	
37	जाहर पिता हरिसीग नि0 बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल	265/13

38	बैजनाथ पिता शंकर पटेल नि० बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल	234
39	परमलाल पिता बैजनाथ पटेल नि० बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल	234
40	कुन्दन पिता बैजनाथ नि० बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल	234
41	कुन्दन, हल्लू पिता संतोष सा. देह भूमि स्वामी	कच्चा खपरैल, मडवाल शौचालय (नि.स्व.अ.)	114/11
42	इमरत पिता पंचा साहू सा. देह बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल, मडवाल शौचालय (नि.स्व.अ.)	114/10
43	महेन्द्र पिता पंचा सा. देह भूमि स्वामी बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल, मडवाल	114/15
44	प्राग पिता पंचा सा. देह भूमि स्वामी बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल, मडवाल	114/14
45	पप्पू पिता पंचा सा. देह भूमि स्वामी बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल, मडवाल कच्चा खपरैल, मडवाल शौचालय (नि.स्व.अ.) पक्का चबूतरा	113/10
46	कोमल पिता पंचा सा. देह भूमि स्वामी बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल, मडवाल कच्चा खपरैल, मडवाल कच्चा खपरैल, मडवाल	114/16
47	जयसिंह पिता पंचा सा. देह भूमि स्वामी	कच्चा खपरैल, मडवाल	114/17
48	अमोल पिता पंचा सा. देह भूमि स्वामी बक्स्वाहा	खपरैल झोपड़ी लकड़ी के खंभो पर दो मंजिला पक्की दीवाले खपरैल छत कमरा कच्चा खपरैल दहलान AC शीर छत शौचालय (नि.स्व.अ.)	114/13
49	मुन्ना पिता रुपसींग सा. देह भूमि स्वामी बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल मडवाल दहलान कच्चा खपरैल दहलान कच्चा खपरैल कच्चा खपरैल मडवाल दहलान कच्ची शौचालय (नि.स्व.अ.)	114/1
50	नरबदी पिता रुपसींग सा. देह भूमि स्वामी बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल मडवाल कच्चा खपरैल मडवाल झोपड़ी लकड़ी के खंभो पर शौचालय (नि.स्व.अ.)	114/2
51	रतन कोमलसिंह पिता टुंडे अहिरवार सा. देह भू-स्वामी बक्स्वाहा	कच्चा मडवाल घास-फूस छप्पर	84
52	मथुराबाई पति चैतु अहिरवार नि० बक्स्वाहा	कच्चा घास-फूस छप्पर	86
53	संतोष पिता पंचू ग्याबाई पुत्री पंचु नि० बक्स्वाहा	कच्चा घास-फूस छप्पर	95/1
54	कमलेश पिता दिब्बा, ऊषा पत्नि कमलेश पता सा. देह भूमि स्वामी बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल	265/5
55	खचौरी पिता तुलई धानक नि० बक्स्वाहा	कच्चा मडवाल घास-फूस छप्पर	265/7
56	काशीराम पिता हरिसींग नि० बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल शौचालय (नि.स्व.अ.)	265/14
57	चतरु पिता हरिसींग पटेल नि० बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल शौचालय (नि.स्व.अ.)	265/14
58	मुन्ना पिता छिकोड़ी पटेल नि० बक्स्वाहा	कच्चा खपरैल	265/14

उपरोक्तानुसार भूमि अर्जन करने पर संभावित 56 कुटुम्ब पुनर्व्यवस्थापित हो रहे हैं जिसमें से मूलतः स्थावर संपत्ति (भवन) से बेदखल होने वाले व्यक्तियों को "पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र" के रूप में

विस्थापन क्षेत्र के नजदीक भूमि चिह्नित की जाकर 30x30 वर्गफुट शासकीय भूमि का आवासीय पट्टा दिया जाना प्रस्तावित है तथा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन हेतु समय सीमा तीन माह निर्धारित की गई है।

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार निम्नानुसार है:-

- 1(1) प्रभावित हितग्राही को इंदिरा आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक मकान स्वीकृत किया जायेगा।
- 1(2) ऐसे किसी प्रभावित कुटुंब को जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- 1(3) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- 2(1) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- 3(1) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन, सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- 4(1) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा।
- 5(1) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- 5(2) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- 5(3) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसरचलात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त समुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी :-

- 1- सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- 2- वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- 3- भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- 4- पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- 5- राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- 6- उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- 7- यथोचित पंचायत घर
- 8- जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- 9- स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- 10- प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- 11- शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- 12- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय
- 13- दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उपस्वास्थ्य केन्द्र
- 14- भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

15. बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र.
 16. प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
 17. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा.
 18. व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो.
 19. मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र.
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, कार्यालय सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जाता जाता है.

विकास नरवाल, कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, (श्रम विभाग) जिला झाबुआ मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्र. 60-भू-अभि.-ब.श्र.-99.—बंधक श्रमिक (प्रथा समाप्ति) अधिनियम, 1976 (क्र. 19-1976) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं आशीष सक्सेना, कलेक्टर जिला झाबुआ के लिए "मध्यप्रदेश" में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिए निम्नानुसार जिला सतर्कता समिति का गठन करता हूँ:—

जिला झाबुआ

धारा 13 के उपधारा "2" "क" के अधीन—

जिला दण्डाधिकारी झाबुआ — अध्यक्ष

धारा 13 की उपधारा-2 "ख" के अधीन अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के तीन सदस्य —

1. श्री शांतिलाल बिलवाल, विधायक क्षेत्र झाबुआ (अ.ज.जा.)
2. श्री निर्मला भूरिया, विधायक क्षेत्र पेटलावद (अ.ज.जा.)
3. श्री कलसिंह भाबोर, विधायक क्षेत्र थांदला (अ.ज.जा.)

धारा 13 की उपधारा-2 के खण्ड "घ" के अधीन—

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ (मध्यप्रदेश). — सदस्य
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश. — सदस्य
3. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी सेवा संभाग झाबुआ (मध्यप्रदेश). — सदस्य

धारा 13 की उपधारा-2 के खण्ड "ड" के अधीन—

1. प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित झाबुआ, मध्यप्रदेश. — सदस्य

आशीष सक्सेना, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश

दमोह, दिनांक 6 अक्टूबर 2016

क्र. 8-2016.—बंधक श्रम पद्धति उत्सादन अधिनियम, 1976 [क्रमांक (19) 1976] की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर जिला दमोह एतद्वारा दमोह जिले के लिए "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिये, जिला स्तरीय सतर्कता समिति को निम्नानुसार पुनर्गठित करता हूँ:—

1	धारा 13(2) अन्तर्गत—अध्यक्ष	कलेक्टर, जिला दमोह
2	धारा 13(2) बी अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रतिनिधि—सदस्य	1. श्री गणेशराम खटीक, पूर्व विधायक, पथरिया जिला दमोह. 2. श्री लखनलाल रोहित/काशीराम रोहित बजरिया वार्ड नं. 03, दमोह. 3. श्री नंदराम आदिवासी, ग्राम पंचायत, बिजवार, हटा जिला दमोह
3	धारा 13(2) सी अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता—सदस्य	1. हीरासिंह ठाकुर, ग्राम केरबना, बटियागढ़, जिला दमोह 2. श्रीमती प्रभा नामदेव W/o श्री राजेन्द्र नामदेव, नया बाजार नं. 05, दमोह.
4	धारा 13(2) डी अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि—सदस्य	1. पुलिस अधीक्षक, दमोह 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दमोह 3. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, दमोह
5	धारा 13(2) ई अन्तर्गत वित्त एवं ऋण संस्था के प्रतिनिधि—सदस्य.	1. लीड बैंक ऑफिसर, दमोह

श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं उपसचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मण्डला

मण्डला, दिनांक 8 नवम्बर 2016

क्र. 1101-डूडा.—इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्र. डूडा/1041, मण्डला दिनांक 24 अक्टूबर 2016 में लिपिकीय त्रुटिवश मध्यप्रदेश अधिनियम, 1969 की धारा 5 'क' के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ है जिसे सुधार कर मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5-क पढ़ा जावें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मेथिल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2016

क्र. एफ. 87-25-15-ग्यारह-446.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-क के अनुसार महापौर पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2014” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर, 2014 में सम्पन्न हुये नगरपालिक निगम, ग्वालियर, जिला ग्वालियर, के आम निर्वाचन में श्री अफजल खान (पठान), महापौर पद के अभ्यर्थी थे। इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी, 2015 तक श्री अफजल खान (पठान) को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, ग्वालियर के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, ग्वालियर से मेल से प्राप्त परिशिष्ट-36, दिनांक 12 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री अफजल खान (पठान) द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्री अफजल खान (पठान) को आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 27 जनवरी 2015 को जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस में श्री अफजल खान (पठान) से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ नोटिस के

प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी, श्री अफजल खान (पठान) द्वारा जारी नोटिस के संबंध में अपना जवाब आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया है कि नामांकन भरते समय से अनिन्द्रा की शिकायत से पीड़ित होने लगा था, जिसका उपचार दिनांक 11 नवम्बर 2014 से चल रहा था उसके बाद मतगणना के परिणाम आने के बाद से यह रोग मानसिक तनाव का रूप लेकर डिप्रेशन में परिवर्तित हो गया। मनोचिकित्सक ने दो महीने का पूर्ण विश्राम कर व पूरी नींद लेने की सलाह दी, जिसके कारण व्यय लेखा प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। मैंने निर्वाचन अवधि के दौरान जो भी आय व्यय किया था उसका लेखा प्रस्तुत करने का मुझे मात्र 10 दिन का समय प्रदान करें, इन दस दिनों के अन्दर मैं पूरा आय व्यय का लेखा आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा।

अभ्यर्थी से उक्त जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त आयोग द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों पर अंतिम निर्णय लिए जाने हेतु अभ्यर्थी श्री अफजल खान (पठान) को दिनांक 20 सितम्बर, 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्री अफजल खान (पठान) आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अभ्यर्थी श्री अफजल खान (पठान) को जारी सूचना पत्र उनकी माताजी को दिनांक 6 अगस्त 2016 एवं अभ्यर्थी, श्री अफजल खान (पठान) को दिनांक 19 अगस्त 2016 की तामीली विहित समयावधि में कराई गई।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री अफजल खान (पठान) द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अभ्यर्थी श्री अफजल खान (पठान) को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम, ग्वालियर, जिला ग्वालियर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2016

क्र. एफ. 67-04-2013-तीन-452.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ-67-04-2013-तीन-242, दिनांक 11 मई 2016 द्वारा नगरपालिका परिषद, पीथमपुर, जिला धार के माह दिसम्बर, 2012 में सम्पन्न हुये आम निर्वाचन के अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी डॉ. रमेश कुशवाह को निर्वाचन व्यय का लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत न किये जाने से नगरपालिका परिषद, पीथमपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए 5 वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित किये जाने संबंधी आदेश कि "मध्यप्रदेश राजपत्र" (भाग-एक) क्रमांक 20, दिनांक 11 मई 2016 में प्रकाशित की गई है. प्रकाशित आदेश के अंतिम पैरा में प्रकाशित "नगर परिषद, धामनोद" के स्थान पर "नगरपालिका परिषद, पीथमपुर" पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

क्र. बफा-बंधक-श्रउसर-2016.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13(2) एवं 13(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए मैं, बी. चन्द्रशेखर जिला दण्डाधिकारी, रतलाम बंधक श्रमिक जिला स्तरीय सतर्कता समिति, रतलाम/उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, रतलाम, सैलाना, जावरा एवं आलोट का निम्नानुसार पुनर्गठन करता हूँ. समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा.

जिला स्तरीय सतर्कता समिति

धारा 13 की धारा की उपधारा (2) के खण्ड (ए) के अन्तर्गत अध्यक्ष—

जिला दण्डाधिकारी रतलाम अध्यक्ष

धारा 13 की धारा की उपधारा (2) के खण्ड (बी) के अन्तर्गत सदस्य—

1. श्री श्यामलाल परमार, ग्राम सेजावता, जिला रतलाम (अ.जा.).

2. श्री नागुलाल मालवीय, 83/14, शिवशक्ति कालोनी, ग्राम नामली, जिला रतलाम (अ.जा.).
3. श्री रूपचन्द रावत, 6, इन्द्रलोक नगर, रतलाम, जिला रतलाम (अ.जा.).

धारा 13 की धारा की उपधारा (2) के खण्ड (सी) के अन्तर्गत सदस्य—

1. श्री दिलीप मेहता, 28 नागरवास, रतलाम, जिला रतलाम
2. श्री योगेन्द्रसिंह चौहान, 93, सैनिक कालोनी, रतलाम, जिला रतलाम.

धारा 13 की धारा की उपधारा (2) के खण्ड (डी) के अन्तर्गत सदस्य—

1. पुलिस अधीक्षक, जिला रतलाम.
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रतलाम
3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, रतलाम.

धारा 13 की धारा की उपधारा (2) के खण्ड (ई) के अन्तर्गत सदस्य—

प्रबंधक, लीड बैंक, रतलाम.

रतलाम जिले के उपखण्ड रतलाम

धारा 13 की धारा की उपधारा (3) के खण्ड (ए) के अन्तर्गत अध्यक्ष—

1. अनुविभागीय अधिकारी, रतलाम अध्यक्ष

धारा 13 की धारा की उपधारा (3) के खण्ड (बी) के अन्तर्गत सदस्य—

1. श्री कैलाशचन्द्र पिता श्री रामचन्द्र निनामा, ग्राम लीलताई, पोस्ट धराड, जिला रतलाम (अ.जा.).
2. भरतलाल मालवीय पिता श्री रतनलाल मालवीय, ग्राम पोस्ट ढिकवा, जिला रतलाम (अ.जा.).
3. श्री रधवीर पिता दयाराम मईडा, ग्राम पोस्ट पिपलेदी, जिला रतलाम (अ.जा.).

धारा 13 की धारा की उपधारा (3) के खण्ड (सी) के अन्तर्गत सदस्य—

1. श्री शांतिलाल पाटीदार पिता श्री हीरालाल पाटीदार, पाटीदार मांगलिक भवन के सामने, ग्राम पोस्ट धराड, जिला रतलाम.
2. श्री अशोक पिता श्री हजारीलाल मीणा, ग्राम पोस्ट धराड, जिला रतलाम.

धारा 13 की धारा की उपधारा (3) के खण्ड (डी) के अन्तर्गत शासन द्वारा मनोनीत सदस्य—

1. महापौर, नगर निगम, रतलाम
2. प्रबन्धक, लीड संस्था, रतलाम
3. अध्यक्ष, कृषि उपज मण्डी, रतलाम

धारा 13 की धारा की उपधारा (3) के खण्ड (ई) के अन्तर्गत सदस्य—

प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, रतलाम

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी—

1. तहसीलदार, रतलाम.

रतलाम जिले के उपखण्ड सैलाना

धारा 13 की धारा की उपधारा (3) के खण्ड (ए) के अन्तर्गत अध्यक्ष—

1. अनुविभागीय अधिकारी, सैलाना अध्यक्ष

धारा 13 की धारा की उपधारा (3) के खण्ड (बी) के अन्तर्गत सदस्य—

1. श्री कैलाश झोडिया, ग्राम पंचायत चिकनी, जिला रतलाम (अ.ज.जा.).
2. श्री कैलाश परिहार, जुनावास, सैलाना, जिला रतलाम (अ.जा.).
3. श्रीमती पार्वती सैनी, ग्राम पंचायत रावटी, जिला रतलाम

धारा 13 की धारा की उपधारा (3) के खण्ड (सी) के अन्तर्गत सदस्य—

1. श्री मुकेश काग, नगर पंचायत सैलाना, जिला रतलाम
2. श्री हरिश ठक्कर, ग्राम पंचायत, रावटी, जिला रतलाम.

धारा 13 की धारा की उपधारा (3) के खण्ड (डी) के अन्तर्गत शासन द्वारा मनोनीत सदस्य—

1. अध्यक्ष, नगर पंचायत, सैलाना
2. प्रबन्धक, लीड संस्था, सैलाना
3. अध्यक्ष, कृषि उपज मण्डी, सैलाना

धारा 13 की धारा की उपधारा (3) के खण्ड (ई) के अन्तर्गत सदस्य—

1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, सैलाना

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी—

1. तहसीलदार, सैलाना.

रतलाम जिले के उपखण्ड आलोट

धारा 13 की धारा की उपधारा (3) के खण्ड (ए) के अन्तर्गत अध्यक्ष—

1. अनुविभागीय अधिकारी, आलोट अध्यक्ष

धारा 13 की धारा की उपधारा (3) के खण्ड (बी) के अन्तर्गत सदस्य—

1. श्री कालुसिंह परिहार, जनपद अध्यक्ष, निवासी ग्राम पाटन, आलोट, जिला रतलाम.
2. श्रीमती पैपाबाई पति वर्दीचन्द्रजी मालवीय, जनपद सदस्य, ग्राम नारायणी, तहसील आलोट, जिला रतलाम.
3. श्री प्रभूलाल पिता भैरूलाल राठौड, वार्ड क्र. 6, पार्षद नगर पंचायत ताल, जिला रतलाम.

धारा 13 की धारा की उपधारा (3) के खण्ड (सी) के अन्तर्गत सदस्य—

1. श्री रमेशचन्द्र मालवीय, ग्राम डेहरी, तहसील आलोट, जिला रतलाम.
2. असरफखां, सरपंच, ग्राम शेरपुरखुर्द, तहसील आलोट, जिला रतलाम.

धारा 13 की धारा की उपधारा (3) के खण्ड (डी) के अन्तर्गत शासन द्वारा मनोनीत सदस्य—

1. अध्यक्ष, नगर पंचायत, आलोट
2. प्रबन्धक, लीड संस्था, आलोट, जिला रतलाम
3. अध्यक्ष, कृषि उपज मण्डी, आलोट, जिला रतलाम

धारा 13 की धारा की उपधारा (3) के खण्ड (ई) के अन्तर्गत सदस्य—

1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, आलोट

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी—

1. तहसीलदार, आलोट.

रतलाम जिले के उपखण्ड जावरा

धारा 13 की धारा की उपधारा (3) के खण्ड (ए) के अन्तर्गत अध्यक्ष—

1. अनुविभागीय अधिकारी, जावरा अध्यक्ष

धारा 13 की धारा की उपधारा (3) के खण्ड (बी) के अन्तर्गत सदस्य—

1. श्री कचरूलाल पिता श्री नाथूलाल मालवीय, निवासी ग्राम कलालिया, तहसील जावरा, जिला रतलाम.
2. श्रीमती कृष्णा पति श्री कैलाश मालवीय, निवासी ग्राम

कांकरवा, तहसील जावरा, जिला रतलाम.

3. श्री राधेश्याम पिता गोविन्दराम निम्बडवा, निवासी ग्राम हनुमन्तिया, तहसील जावरा, जिला रतलाम.

धारा 13 की धारा की उपधारा (3) के खण्ड (सी) के अन्तर्गत सदस्य—

1. श्री स्नेह मेहरा, अभिभाषक, निवासी पोस्ट सुकेड़ा, तहसील पिपलौदा, जिला रतलाम.
2. श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, निवासी नरसिंहपुरा, जावरा, जिला रतलाम.

धारा 13 की धारा की उपधारा (3) के खण्ड (डी) के अन्तर्गत सदस्य—

1. अध्यक्ष, नगर पंचायत, जावरा, जिला रतलाम
2. प्रबन्धक, लीड संस्था, जावरा, जिला रतलाम
3. अध्यक्ष, कृषि उपज मण्डी, जावरा, जिला रतलाम

धारा 13 की धारा की उपधारा (3) के खण्ड (ई) के अन्तर्गत सदस्य—

1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, जावरा

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी—

1. तहसीलदार, जावरा.

बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

नरसिंहपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्र. 14966-स.अ.रा.-2016.—मैं, डॉ. आर.आर. भोंसले., (आई.ए.एस.) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नरसिंहपुर पूर्व में जारी किए गए समस्त कार्य विभाजन आदेश निरस्त करते हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण से निम्नानुसार कार्य विभाजन करता हूँ :—

(1) डॉ. आर. आर. भोंसले., जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, नरसिंहपुर.

(अ) दांडिक :

1. जिला दण्डाधिकारी, नरसिंहपुर की समस्त शक्तियों का प्रयोग.
2. सम्पूर्ण जिले के कार्यपालिक दंडाधिकारियों के कार्य पर नियंत्रण एवं निरीक्षण.

(ब) राजस्व :

1. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत धारा 107 को छोड़कर शेष मूल प्रकरणों का निपटारा.
2. अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 37 एवं उसके अंतर्गत बने नियंत्रण निर्देशों के अंतर्गत समस्त मूल प्रकरणों एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेशो के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अपील प्रकरणों का निराकरण.
3. राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4/1 अंतर्गत भूमि हस्तांतरण एवं 4/3 की कंडिका 20/1 के अंतर्गत अदला बदली प्रकरणों का निपटारा.
4. विभिन्न अधिनियमों एवं कार्यपालिक निर्देशों के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र के प्रकरणों का आवश्यकतानुसार निपटारा.
5. विभागीय जाँच की अपीलों का निराकरण.

(स) विविध :

1. नरसिंहपुर जिले में पदस्थ अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण तथा समन्वय.
2. आबकारी,
3. सामान्य निर्वाचन / लोकसभा / विधान सभा एवं स्थानीय निर्वाचन
4. नजूल
5. खनिज शाखा
6. जिला कोषालय
7. खाद्य शाखा,
8. लायसेंस शाखा
9. शहरी विकास अधिकरण
10. पंचायत शाखा, जिसमें कलेक्टर के आदेश की आवश्यकता हो.
11. जिला पंजीयक,
12. जिला योजना समिति
13. भू अर्जन नस्तियां अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के परीक्षण के माध्यम से प्रस्तुत होगी.
14. प्रस्तुतकार कलेक्टर
15. जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति.
16. सांख्य लिपिक.

17. भू-अभिलेख शाखा/भू-प्रबंधन
 18. किराया निर्धारण प्रमाण-पत्र एम.पी.एफ.सी. भाग-2 नियम 60 (11).
 19. जिले में पदस्थ अधीनस्थ डिप्टी कलेक्टर/तहसीलदार/नायब तहसीलदार के समस्त अवकाश, सामान्य भविष्य निधि के आंशिक विकर्षण/अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति.
 20. नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण.
 21. जो दायित्व अन्य अधिकारियों को न सौंपे गये हों.
- (2) सुश्री प्रतिभा पाल, अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, नरसिंहपुर.
(निम्नलिखित विभागों के लिये प्रभारी अधिकारी)
1. कृषि विभाग
 2. सहकारिता विभाग
 3. जिला महिला एवं बाल विकास विभाग
 4. जिला शिक्षा अधिकारी, नरसिंहपुर
 5. आदिम जाति कल्याण विभाग
 6. उद्यानिकी विभाग
 7. पशुपालन विभाग
 8. मत्स्य विभाग
 9. सर्व शिक्षा अभियान
 10. खादी ग्रामोद्योग विभाग/हाथकरघा विभाग
 11. आदिम जाति, अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं आदिम जाति लघु परियोजना, आदिम जाति व पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के प्रभारी अधिकारी की ओर से आने वाली नस्तियों का निराकरण (जो कलेक्टर स्तर तक जाने वाली न हो) जिला पंचायत से संबंधित विकास गतिविधियां तथा ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य.
- विविध:—**
1. शिक्षा मिशन/पढ़ना-बढ़ना/सर्व शिक्षा अभियान.
 2. समग्र स्वच्छता अभियान.
 3. जन समस्या निवारण शिविरों का आयोजन एवं समीक्षा.
 4. 11 सूत्रीय कार्यक्रम/15 सूत्रीय/20 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन.
 5. परख कार्यक्रम.
 6. प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा
 7. अल्पसंख्यक कल्याण.
 8. प्रभारी अधिकारी स्वरोजगार सेल.
 9. प्रभारी अधिकारी स्वास्थ्य.
 10. जिला उद्योग के कार्यों वित्त विकास निगम के प्रभारी अधिकारी.
 11. आदिम जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं आदिम जाति लघु परियोजना व पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के प्रभारी अधिकारी.
 12. पल्स पोलियो के नोडल अधिकारी.
 13. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्य.
- (3) डॉ. जे. पी. दुबे, अपर कलेक्टर एवं अपर दण्डाधिकारी नरसिंहपुर.
- (क) दाण्डिक
1. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, नरसिंहपुर.
 2. जिला सत्कार अधिकारी, नरसिंहपुर.
 3. जिला दण्डाधिकारी की अनुपस्थिति में उनके निर्देशानुसार कानून व्यवस्था बनाये रखना और आगन्तुकों/आवेदकों से मिलना.
- (ख) राजस्व
1. म. प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत धारा 107 के प्रकरणों का निपटारा.
 2. म. प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के तहत अपीलों तथा निगरानी प्रकरणों का निराकरण.
 3. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं द्वारा प्रस्तुत अपीलों का निराकरण एवं इस संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों की जाँच व निराकरण.
 4. म. प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अंतर्गत अपील तथा निगरानी प्रकरणों का निराकरण.
 5. राज्य शासन के विभिन्न विभागों के भूमि आवंटन के प्रकरणों में कार्यवाही एवं भूमि आवंटन के आदेश जारी करना.
 6. केन्द्र शासन/निजी व्यक्तियों/कंपनियों/संस्थाओं को शासकीय भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में कार्यवाही करना एवं प्रकरण शासन को आदेशार्थ भेजना एवं अन्य कार्यवाहियां.

7. सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाली अपीलों का निपटारा.
8. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अपीलों का निराकरण.
9. विशेष विवाह अधिकारी, जिला नरसिंहपुर.
10. आर.बी.सी. चार-1 की कंडिका 18 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभ्यावेदनों का निराकरण.
11. मंडी अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाली अपील तथा निगरानी प्रकरणों का निराकरण.
12. सीलिंग प्रकरणों तथा सीलिंग के तहत अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाली अपीलों का निराकरण.
13. नजूल स्थायी/अस्थायी पट्टों का नवीनीकरण के प्रकरणों का अंतिम रूप से निराकरण.
14. शासकीय कर्मचारियों के उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र.
15. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वेतनवृद्धि स्वीकृति.
16. ब्रिस्क योजना.
17. बैंकों की जानकारी तैयार करना.
18. जिला जनगणना अधिकारी/जनगणना से संबंधित सभी गार्ड फाईलों का संधारण एवं नियमानुसार क्रियान्वयन.
19. ऋण भार मुक्ति प्रमाण-पत्र.
20. The Reconstruction of Financoal Assets and Enforcement of Security Inerest Ac. 2002 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले प्रकरणों का निराकरण.
21. वरिष्ठ शाखा के अंतर्गत म. प्र. राज्य बीमारी एवं जिला राज्य बीमारी सहायता निधि के निर्धारित आवेदन-पत्रों पर हस्ताक्षर बाबत.

(ग) अन्य

- (1) राहत
- (2) अल्प बचत अभिकर्ताओं की अंतिम नियुक्ति का कार्य.
- (3) तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि, यात्रा देयक एवं चिकित्सा देयकों का अंतिम निराकरण का कार्य.

- (4) तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संपूर्ण अवकाश का अंतिम रूप से निराकरण किया जाना.
- (5) उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के लिये अंतिम रूप से प्रभारी अधिकारी नियुक्त करना.
- (6) विभिन्न सिविल एवं दाण्डिक न्यायालयों से प्राप्त होने वाले आदेशों का पालन करना. आय की जानकारी भेजना व अन्य आदेशों का समय-सीमा में पालन प्रतिवेदन भेजना.
- (7) वित्त/स्थापना शाखा की नस्तियां (अपर कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत होंगी).
- (8) सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन शाखा की नस्तियां अपर कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत की जायेंगी.
- (9) नोडल अधिकारी सी. एम. हेल्पलाइन (कलेक्टर स्तर की समस्त सी. एम. हेल्प लाइन की शिकायतों का निराकरण).
- (10) कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

वित्तीय कार्य—नियमानुसार अंतिम निराकरण कर सकेंगे.

- (1) उप जिलाध्यक्षों एवं तहसीलदारों के यात्रा एवं चिकित्सा (औषधि) देयक.
- (2) सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि योजना, 1974 समूह बीमा योजना, 1985 एवं सावधि सह बीमा योजना, 2003 की जमा राशि का अंतिम भुगतान तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की विभागीय भविष्य निधि का अंतिम भुगतान.
- (3) अधीक्षक/सहायक अधीक्षक स्तर/भू-अभिलेख एवं खाद्य/महिला बाल विकास शाखा के सामान्य भविष्य निधि यात्रा देयक एवं चिकित्सा/औषधि देयकों की स्वीकृति.
- (4) जिला स्तर के कार्यालय सहायक ग्रेड दो, तीन एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के चिकित्सा देयकों को स्वीकृत करना.
- (5) शासन नियमों की सीमा तक रु. 15000/- (अंकन पंद्रह हजार रुपये) के टेलीफोन/पी.ओ.एल. व्यय स्वीकृत करना.
- (6) शासकीय वाहनों की मरम्मत के कार्य में रु. 15000/- (अंकन पंद्रह हजार रुपये) तक की स्वीकृति.
- (7) शासकीय वाहनों के टायर ट्यूब एवं बैटरी क्रय करने संबंधी संपूर्ण अधिकार.
- (8) कार्यालयीन फर्नीचर मुद्रण एवं लेखन सामग्री के लिये रुपया 5000/- (अंकन पांच हजार रुपये) तक की स्वीकृति के अधिकार.

- (9) अनुपयोगी स्टॉक जो ₹. 5000/- (अंकन पांच हजार रुपये) तक की कीमत का अपलेखन का अधिकार.
- (10) चोरी हुये 2000/- (अंकन दो हजार रुपये) तक की कीमत की सामग्री का अपलेखन का अधिकार.
- (11) किराये पर लिये गये फर्नीचर पर होने वाले संपूर्ण व्यय को नियमानुसार स्वीकृति के अधिकार. उपरोक्त स्वीकृतियां शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/आदेशों के पालन करते हुये दी जावे.
- (12) दूरभाष विद्युत देयक एवं अन्य मामलों में रुपये 50000/- (अंकन पचास हजार रुपये) तक या अधिक तक की वित्तीय स्वीकृति के आधार अपर कलेक्टर को दिये जाते हैं.
- (घ) वित्तीय संहिता के नियम 100 के अंतर्गत अपर कलेक्टर को उनके प्रभार वाली शाखाओं में 20000/- तक आवर्ती व्यय की स्वीकृति के अधिकार सौंपे जाते हैं:—
1. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विभागीय व अन्य परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देना.
 2. जिला नाजरात की वे नस्तियां जिनमें जिला दण्डाधिकारी का आदेश आवश्यक है, को छोड़कर शेष का निराकरण.
 3. विभागीय जांच अधिकारी.
 4. सभी शाखाओं से भेजे जाने वाले विधान सभा प्रश्नों के उत्तर भेजना जिनमें कलेक्टर के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं हैं.
 5. बैंक वसूली/खनिज वसूली/राजस्व वसूली एवं विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त होने वाली वसूली वारंट तथा अन्य वसूली के प्रकरणों का निराकरण एवं समीक्षा.
 6. कार्यालय में प्राप्त डाक कलेक्टर के अवलोकन पश्चात् स्वयं अवलोकन उपरांत डाक वितरण के प्रभारी.
 7. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का निपटारा.
- (ङ) निम्नलिखित विभागों के लिये प्रभारी अधिकारी:—
1. जिला जेल विभाग/बोस्टल जेल विभाग, नरसिंहपुर.
 2. वन विभाग, नरसिंहपुर.
 3. श्रम विभाग नरसिंहपुर.
 4. जिला सैनिक कल्याण विभाग, नरसिंहपुर.
 5. अंत्यावसायी विभाग, नरसिंहपुर.
 6. लोक सेवा प्रबंधन, नरसिंहपुर.
 7. परिवहन विभाग, नरसिंहपुर.
 8. नगर सेना
 9. जाति प्रमाण-पत्र अभियान.
- (4) श्री डी. एम. तोमर, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी, नरसिंहपुर
- (अ) दाण्डिक
1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नरसिंहपुर अनुविभाग
 2. शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग.
- (ब) राजस्व:—
1. अनुविभागीय अधिकारी, नरसिंहपुर, अनुविभाग.
 2. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग.
 3. म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 34 के तहत पंजीयक लोक न्यास नरसिंहपुर अनुविभाग.
 4. भू-अर्जन अधिकारी, नरसिंहपुर, अनुविभाग नरसिंहपुर एवं करेली एवं सक्षम अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्रमांक 26 क एवं ख.
 5. म. प्र. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 के अंतर्गत नरसिंहपुर एवं करेली तहसील के प्रकरणों का निराकरण.
- (स) विविध:—
1. निष्क्रांत सम्पत्ति अधिनियम के अंतर्गत अभिरक्षण.
 2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत अपने अनुविभाग के तहत सक्षम अधिकारी.

3. जन्म मृत्यु पंजीयन नियम 1975 के अंतर्गत सम्पादित करना.
4. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, नरसिंहपुर.
5. अपने क्षेत्रांतर्गत सभी विकास कार्यों पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना.
6. जिला चिकित्सालय, नरसिंहपुर के समय-समय पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण हेतु नोडल अधिकारी.
7. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निपटारा.
- (5) श्री राजेन्द्र राय, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी, गाडरवारा
- (अ) दांडिक
1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, गाडरवारा अनुविभाग.
2. शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग.
- (ब) राजस्व:—
1. अनुविभागीय अधिकारी, गाडरवारा अनुविभाग.
2. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग.
3. म. प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 34 के तहत पंजीयक लोक न्यास नरसिंहपुर अनुविभाग.
4. भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा तहसील.
5. म. प्र. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 के अंतर्गत गाडरवारा तहसील के प्रकरणों का निराकरण.
- (स) विविध:—
1. निष्क्रांत सम्पत्ति अधिनियम के अंतर्गत अभिरक्षण.
2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत अपने अनुविभाग के तहत सक्षम अधिकारी.
3. जन्म-मृत्यु पंजीयन नियम 1975 के अंतर्गत सम्पादित करना.
4. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, गाडरवारा.
5. अपने क्षेत्रांतर्गत सभी विकास कार्यों पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना.
6. सत्कार अधिकारी, गाडरवारा.
7. नजूल शाखा, गाडरवारा.
8. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निपटारा.
- (6) श्री जी. एस. धुर्वे, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी, तेन्दूखेड़ा.
- (अ) दांडिक
1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तेन्दूखेड़ा अनुविभाग.
2. शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग.
- (ब) राजस्व:—
1. अनुविभागीय अधिकारी, तेन्दूखेड़ा अनुविभाग.
2. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग.
3. म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 34 के तहत पंजीयक लोक न्यास तेन्दूखेड़ा अनुविभाग.
4. भू-अर्जन अधिकारी, तेन्दूखेड़ा तहसील.
5. म. प्र. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 के अंतर्गत तेन्दूखेड़ा तहसील के प्रकरणों का निराकरण.
- (स) विविध:—
1. निष्क्रांत सम्पत्ति अधिनियम के अंतर्गत अभिरक्षण.
2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत अपने अनुविभाग के तहत सक्षम अधिकारी.

3. जन्म-मृत्यु पंजीयन नियम 1975 के अंतर्गत सम्पादित करना.
4. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, तेन्दूखेड़ा.
5. अपने क्षेत्रांतर्गत सभी विकास कार्यों पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना.
6. सत्कार अधिकारी, तेन्दूखेड़ा.
7. नजूल शाखा, तेन्दूखेड़ा.
8. प्रभारी अधिकारी जिला भू-अर्जन अधिकारी एवं एन.टी.पी.सी. के भूमि अर्जन का कार्य.
9. सी.एम. हेल्प लाईन भू-अर्जन संबंधी.
10. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निपटारा.

(7) श्री मो. शाहिद खान, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय डंडाधिकारी, गोटेगांव

(अ) दांडिक

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, गोटेगांव अनुविभाग
2. शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग.

(ब) राजस्व:—

1. अनुविभागीय अधिकारी, गोटेगांव अनुविभाग.
2. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग.
3. म. प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 34 के तहत पंजीयक लोक न्यास गोटेगांव अनुविभाग.
4. भू-अर्जन अधिकारी, गोटेगांव तहसील.
5. म. प्र. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 के अंतर्गत गोटेगांव तहसील के प्रकरणों का निराकरण.

(स) विविध:—

1. निष्क्रांत सम्पत्ति अधिनियम के अंतर्गत अभिरक्षण.

2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत अपने अनुविभाग के तहत सक्षम अधिकारी.
3. जन्म-मृत्यु पंजीयन नियम 1975 के अंतर्गत सम्पादित करना.
4. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, गोटेगांव
5. अपने क्षेत्रांतर्गत सभी विकास कार्यों पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना.
6. सत्कार अधिकारी, गोटेगांव.
7. नजूल शाखा, गोटेगांव.
8. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निपटारा.

(8) श्री जे. पी. सैयाम, संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी

1. नजूल अधिकारी, नरसिंहपुर/करेली एवं नजूल शाखा के प्रभारी.
2. सी.एम. हेल्प लाईन (राजस्व विभाग, सीमांकन, नजूल भूमि शाखा, निर्वाचन शाखा, भू-अभिलेख शाखा).
3. जिला योजना एवं सांख्यिकी
4. स्टेशनरी/लायब्रेरी/आवक शाखा/जावक शाखा/टाइपिंग शाखा
5. राजस्व अभिलेखागार/आंगल अभिलेखागार शाखा
6. सामान्य निर्वाचन/स्थानीय निर्वाचन (पंचायत नगरीय निकाय मण्डी).
7. भू-अभिलेख एवं भू-प्रबंधन शाखा
8. सांख्य लिपिक शाखा
9. सिविल शूट शाखा.

(9) सुश्री लता पाठक, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी

1. प्रभारी अधिकारी अल्प बचत
2. राहत एवं धर्मस्य शाखा
3. राजस्व अंकपाल शाखा 1 एवं 2
4. प्रस्तुतकार अपर कलेक्टर शाखा
5. अधीक्षक/सहायक अधीक्षक (सामान्य/राजस्व) सूचना का अधिकार के प्रभारी अधिकारी.
6. प्रधान प्रतिलिपिकार शाखा.

7. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निपटारा.
8. सी.एम. हेल्प लाइन (प्राकृतिक आपदा, कलेक्ट्रेट शाखा, धर्मस्य शाखा).
- (10) श्रीमती वंदना जाट, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी
1. प्रभारी अधिकारी लोक सेवा गारंटी केन्द्र तथा ई-गवर्नेंस
 2. महिला एवं बाल विकास विभाग नरसिंहपुर
 3. म. प्र. वित्तीय संहिता के नियम 100 के अन्तर्गत 1000/- तक की आवर्ती व्यय की स्वीकृति.
 4. शिकायत शाखा/जनसुनवाई/समस्त प्रकार की शिकायतें/स्टेनो शाखा.
 5. उत्कृष्ट विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय डाइट की नस्तियां भी परीक्षण उपरान्त कलेक्टर को प्रस्तुत की जाये.
 6. टी.एल. शाखा एवं कलेक्टर मॉनीटरिंग पेपर प्रभारी/विभिन्न आयोगों से प्राप्त आवेदन पत्रों/माननीय मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, अन्य मंत्रीगणों, विधायकगणों/वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही.
 7. शस्त्र लायसेंस शाखा
 8. टी. एल. बैठक/जनसुविधा केन्द्र के प्रभारी अधिकारी.
 9. विधान सभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करना एवं संबंधित उच्च कार्यालयों को प्रेषित किया जाना.
 10. सी. एम. हेल्प लाईन (सामान्य प्रशासन विभाग)
11. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निपटारा.
- (11) श्री अरविंद कुमार झा, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी.
1. स्थापना एवं वित्त शाखा
 2. जल प्रदाय तथा विद्युत् देयकों की स्वीकृति (अपर कलेक्टर के अनुमोदनार्थ पश्चात्) म. प्र. वित्तीय संहिता के नियम 1000 के अन्तर्गत 1000/- तक आवर्ती व्यय की स्वीकृति.
 3. समस्त शाखाओं के बजट सीमा में रुपये 1000/- (अंकन दस हजार रुपये) तक वित्तीय स्वीकृति के अधिकार दिये जाते हैं.
 4. वरिष्ठ लिपिक शाखा 1 एवं 2
 5. मान. मुख्यमंत्री की घोषणाओं की नस्ती
 6. कालोनी सेल
 7. नाजरात शाखा
 8. खनिज शाखा प्रभारी अधिकारी एवं आहरण/संवितरण अधिकारी.
 9. प्रस्तुतकार कलेक्टर शाखा.
 10. पुरातत्व शाखा.
 11. शहरी विकास अभिकरण (परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण का प्रभार).
- कार्यालय द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश अनुसार नियुक्त अधिकारियों के तालिका अनुसार लिंक अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं.:-

लिंक अधिकारी

क्र.	अधिकारी की अनुपस्थिति में	लिंक अधिकारी	लिंक अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री जे. पी. सैयाम, संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी.	श्रीमती वंदना जाट, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी.	श्री अरविंद कुमार झा, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी.
2	श्रीमती वंदना जाट, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी.	श्री जे. पी. सैयाम, संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी.	श्री अरविंद कुमार झा, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी.
3	श्री अरविंद कुमार झा, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी.	श्रीमती वंदना जाट, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी.	श्री जे. पी. सैयाम, संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी.
4	सुश्री लता पाठक, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी.	श्री जे. पी. सैयाम, संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी.	श्री अरविंद कुमार झा, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी.

आदेश तत्काल से प्रभावशील होगा.

आर. आर. भोंसले, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्र. 766 मंडी-निर्वा.-2016.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, निशांत वरवड़े, कलेक्टर, भोपाल, मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन), नियम, 2010 के अंतर्गत भोपाल जिले की बैरसिया कृषि उपज मंडी समिति के लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :—

क्र.	मंडी का नाम	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता	मंडी अधिनियम, 1972 की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मण्डी बैरसिया	श्री दीपक साहू आ. श्री गणेश राम साहू, मेन रोड, बैरसिया	धारा 11 (ज)
2		श्री खूबी लाल मारण उपाध्यक्ष, किसान सहकारी विपणन समिति मर्यादित, भोपाल	धारा 11(1) (घ)
3		श्री पी. एस. गोयल, कृषि विकास अधिकारी, विकास खण्ड, बैरसिया	धारा 11(1) (ज)
4		श्री पतिराम घोसी, संचालक, भोपाल को-ऑपरेटिव सेन्द्रल बैंक लिमिटेड	धारा 11(1) (झ)
5		श्रीमती आरती भीकम सिंह मीना, सदस्य, जिला पंचायत	धारा 11(1) (ज)

निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मुरैना, मध्यप्रदेश

मुरैना, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

क्र. एस.सी.2-स्था.अव.-2016.—कार्यालयीन आदेश क्र./एस.सी. 2/स्था.अव./2016/मुरैना, दिनांक 1 फरवरी 2016 के द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/एम 3-2/1999/1/4/भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, विनोद शर्मा (आई.एस.), कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मुरैना वर्ष 2016 के लिये मुरैना जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों/संस्थाओं के लिये स्थानीय अवकाश दिनांक 1 नवम्बर 2016 दीपावली की भाईदूज का अवकाश घोषित किया गया था.

उक्त दिनांक को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस 1 नवम्बर 2016 होने के कारण, स्थानीय अवकाश दीपावली की भाईदूज का निरस्त किया जाता है.

आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

विनोद शर्मा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर / 4 नवम्बर 2016

क्र. एफ-6-111-2015-सात.—नजूल राज्य शासन, एतद्द्वारा, स्थायी पट्टे पर आवंटित भूमियों को आवंटिती द्वारा वापस समर्पित किये जाने पर प्रीमियम की जमा राशि लौटाये जाने के संबंध में आवंटिती द्वारा स्थायी पट्टे पर आवंटित भू-खण्ड का उपयोग नहीं किये जाने की दशा में शासन के पक्ष में स्वेच्छा से समर्पित किए जाने के संबंध में निम्नानुसार प्रीमियम की जमा राशि लौटाये जाने की नीति जारी करती है:—

- (1) राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक 1 तथा तत्संबंधी समय-समय पर जारी किए गये विभिन्न परिपत्रों अथवा विभागीय नीतियों/निर्देशों के अन्तर्गत कृषि भिन्न प्रयोजन यथा-आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, शैक्षणिक या अन्य प्रयोजन के लिये स्थायी पट्टे पर आवंटित भू-खण्ड का आवंटिती द्वारा उपयोग नहीं किये जाने पर, शासन के पक्ष में समर्पण स्वीकार करने के लिए जिला कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अपर कलेक्टर 'प्राधिकृत अधिकारी' होंगे.
- (2) आवंटिती पट्टेदार पट्टाधीन भू-खण्ड शासन के पक्ष में समर्पित करने तथा उसके द्वारा जमा करायी गयी प्रीमियम की राशि प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करेगा. आवंटिती आवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि पट्टाधीन भू-खण्ड पूर्णतः विल्लंगम मुक्त (free from all encumbrances) है तथा किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विवादित नहीं है.
- (3) उक्तानुसार आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार से स्थल प्रतिवेदन प्राप्त करेगा जिसमें प्रमुखतः पट्टाधीन भू-खण्ड की वास्तविक स्थिति का उल्लेख होगा, यथा-स्थल पर पट्टाधीन भू-खण्ड रिक्त है, कोई अतिक्रमण आदि नहीं है, आवंटिती या किसी अन्य द्वारा स्थल पर कोई स्थायी या अस्थायी निर्माण आदि नहीं किये गये हैं, यदि कोई निर्माण किया गया था तो उसे हटा लिया गया है और स्थल पर पट्टाधीन भू-खण्ड को उसी स्थिति में वापस लाया जा चुका है जिस स्थिति में आवंटिती को आवंटन के समय कब्जा सौंपा गया था. तहसीलदार अपने प्रतिवेदन में सम्यक जांच उपरान्त यह भी पुष्टि करेगा कि पट्टाधीन भू-खण्ड पूर्णतः विल्लंगम मुक्त (free from all encumbrances) है.
- (4) प्राधिकृत अधिकारी आवंटन स्वीकृति/पट्टा में उल्लेखित देय बकाया वार्षिक भू-भाटक तथा अन्य देय प्रभार की गणना कर देयता निर्धारित करेगा.
- (5) प्राधिकृत अधिकारी पट्टाधीन भू-खण्ड के लिए आवंटिती द्वारा जमा की गयी प्रीमियम की राशि में से प्रारंभिक कटौती के रूप में जमा राशि के 10 प्रतिशत के बराबर तथा आवंटन स्वीकृति की दिनांक से पट्टाधीन भू-खण्ड समर्पण के आवेदन की दिनांक के बीच की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष के लिये दो प्रतिशत के मान से संगणित राशि समर्पण शुल्क के रूप में कटौती कर शेष राशि आवंटिती को वापस लौटाये जाने का निर्णय लेगा. आवेदक संस्था को प्रीमियम से वापस की जाने वाली संगणित राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा. उदाहरण के लिये 15 वर्ष पश्चात् समर्पण किये जाने पर $10+30=40$ प्रतिशत राशि काटी जाएगी:

परन्तु समर्पण के समय लौटाई जाने वाली संगणित राशि तत्समय के कलेक्टर गाईड लाईन से अधिक नहीं होगी.

- (6) समर्पण स्वीकार करने के पूर्व पट्टेदार से इस आशय का वचन-पत्र लिया जाए कि यदि उसके द्वारा किसी योजना के अन्तर्गत भू-खण्ड को दर्शाकर किसी प्रोजेक्ट के लिये अग्रिम अनुदान (सब्सिडी) प्राप्त की गयी है तो ऐसी ली गई सब्सिडी की राशि उसके द्वारा वापस जमा करा दी गई है.

- (7) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पट्टाधीन भू-खण्ड समर्पण के आवेदन को स्वीकृत किये जाने तथा आबंटिती को राशि लौटाये जाने का निर्णय लिये जाने पर आबंटिती प्राधिकृत अधिकारी अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी/कर्मचारी को पट्टाधीन भू-खण्ड का रिक्त कब्जा सौंपेगा।
- (8) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त पद (6) अनुसार राशि लौटाये जाने का निर्णय लिये जाने पर 30 दिवस के भीतर आबंटिती, यदि पट्टा निष्पादित किया जा चुका है, पट्टा निरस्तीकरण विलेख तैयार कराकर प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिसे प्राधिकृत अधिकारी पंजीकृत करायेगा। ऐसा पट्टा निरस्तीकरण विलेख स्टाम्प डियूटी तथा रजिस्ट्रीकरण फीस से मुक्त रहेगा।
- (9) पट्टा निरस्तीकरण विलेख पंजीकृत किये जाने के उपरान्त उपरोक्त पद (6) अनुसार राशि आबंटिती को वापस लौटाई जाएगी।
- (10) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार आबंटिती को राशि लौटाये जाने का निर्णय लिये जाने पर 'पट्टा निरस्तीकरण विलेख' के आधार पर भू-अभिलेख में अद्यतन प्रविष्टि प्रमाणित करने हेतु संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया जाएगा जो भू-अभिलेख अद्यतन करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।
- (11) रियायती दर पर आबंटित पट्टों पर भी नीति समान रूप से लागू होगी, ऐसे मामलों में रियायती आधार पर जमा प्रीमियम में से अनुपातिक कटौती कर राशि लौटाई जा सकेगी।
- (12) समर्पण की यह नीति/प्रावधान केवल उन्हीं भू-खण्डों, पर लागू होंगे जो राज्य सरकार से सीधे पट्टेदार को आबंटित हुए हैं, न कि उपक्रमों के माध्यम से, जैसे कि मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड, प्राधिकरण, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम आदि। इस संबंध में यदि उपक्रम चाहे तो पृथक् से अपनी नीति बनाये तथा लागू करें।
- (13) प्रीमियम में से लौटाई जाने वाली राशि को दोनों ही मामलों में, चाहे पट्टेदार द्वारा समर्पण के लिये आवेदन दिया गया हो अथवा कलेक्टर द्वारा पुनर्प्रवेश (री-एंट्री) की कार्यवाही की गयी हो, एक समान रूप से संगणना अनुसार राशि वापस लौटाई जाएगी।
- (14) समर्पण स्वीकार करने का अधिकार राज्य सरकार के पास सुरक्षित रहेगा, यह अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक मामले में समर्पण का आवेदन मात्र प्रस्तुत करने पर समर्पण स्वीकार ही किया जाए।
- (15) यदि भू-खण्ड पर कोई निर्माण आदि है और आवेदक पट्टेदार द्वारा समर्पण चाहा गया है किन्तु ऐसा निर्माण नहीं हटाया गया है तो समर्पण का आवेदन स्वीकार किये जाने के उपरान्त पट्टाधीन भू-खण्ड का कब्जा शासन हित में लिये जाने पर भू-खण्ड के साथ ऐसा निर्माण भी शासन में वेष्टित समझा जाएगा और निर्माण के लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
- (16) यदि भूमि समर्पण हेतु आवेदन दिनांक से तीन माह में निर्णय नहीं हो पाता, तो यह माना जावेगा कि आवेदन स्वीकार कर लिया गया है।
- (17) यदि भूमि का अधिपत्य उद्योग/परियोजना हेतु आवेदक को दिया गया है तो प्रस्ताव अनुसार राशि की कटौती की जावेगी, परन्तु यदि वनीकरण अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन हेतु भूमि आबंटित हुई है और अधिपत्य आवेदक को नहीं दिया गया है तो कटौती नहीं की जावेगी।
- (18) कलेक्टर द्वारा समर्पित की जा रही भूमि अन्य प्रयोजनों के लिए उपयुक्त प्रमाणित किए जाने पर, आबंटित भूमि के अंश भाग को भी समर्पित किया जा सकेगा।

2. उपरोक्तानुसार नीति परिपत्र के पालन में पट्टेदार को राशि लौटाये जाने के लिए राजस्व विभाग के विभागाध्यक्ष प्रमुख राजस्व आयुक्त के बजट प्रस्ताव में पृथक् बजट शीर्ष उपलब्ध कराते हुए समुचित बजट प्रावधान किया जावेगा।

3. यह परिपत्र राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक-1 का अनुलग्न भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण पाण्डेय, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2016

सूचना

क्र. एफ. 01-3-2016-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (1959 का क्रमांक 20) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा (1) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य शासन, भीमपुर को तहसील का दर्जा दिये जाने के संबंध में निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील भैसदेही जिला बैतूल की सीमाओं में परिवर्तन करने, कॉलम (2) में दर्शायी गई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार नवीन तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।

2. इस प्रस्ताव पर "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर विचार किया जावेगा. और इसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्त के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित में भेजे जा सकेंगे :—

अनुसूची

क्र.	प्रस्तावित तहसील	मुख्यालय	वर्तमान तहसील	परिवर्तन का प्रकार	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	भीमपुर	भीमपुर	भैसदेही	वर्तमान तहसील भैसदेही में रा.नि.मं. चिल्लौर के अन्तर्गत प.ह.क्र. नं. 1 से लगायत 28 तक एवं रा.नि.मं. भीमपुर अन्तर्गत प.ह.नं. 29 से लगायत 54 तक पटवारी हल्के अपवर्जित होकर प्रस्तावित तहसील भीमपुर में राजस्व निरीक्षक मण्डल चिल्लौर में कुल पटवारी हल्के 28 होंगे जिनमें 95 ग्राम होंगे एवं रा.नि.मं. भीमपुर में कुल पटवारी 26 होंगे जिनमें कुल 59 ग्राम होंगे इस प्रकार कुल पटवारी हल्कों की संख्या 54 तथा ग्रामों की संख्या 154 होगी।	पूर्व में—तहसील चिचोली पश्चिम में—जिला खण्डवा उत्तर में—जिला हरदा दक्षिण में—महाराष्ट्र प्रदेश एवं तहसील भैसदेही का शेष क्षेत्र।
2	भैसदेही	भैसदेही	भैसदेही	वर्तमान तहसील भैसदेही के राजस्व निरीक्षक मण्डल झल्लार के पटवारी हल्का 55 से लगायत 74 तक कुल 20 हल्के, 48 ग्राम एवं रा.नि.मं. भैसदेही 75 से लगायत 106 कुल 32 पटवारी हल्के तथा 98 ग्राम होंगे इस प्रकार कुल हल्कों की संख्या 52 तथा ग्रामों 146 होगी।	पूर्व में—तहसील आठनेर जिला बैतूल एवं तहसील चिचौली. पश्चिम में—महाराष्ट्र प्रदेश. उत्तर में—प्रस्तावित भीमपुर तहसील. दक्षिण में—महाराष्ट्र प्रदेश।

प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण मिश्रा, उपसचिव।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2016

सूचना

क्रमांक एफ-3-197/2012/32 :: मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उप धारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा खण्डवा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19(1)में अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्—

1. कलेक्टर, खण्डवा म0प्र0।
2. आयुक्त नगर निगम खण्डवा म0प्र0
3. उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला-कार्यालय खण्डवा म0प्र0।

2/- विकास योजना में नियोजन मापदण्ड के अनुसार आवासीय भू-उपयोग पर्याप्त मात्रा में होने तथा प्रश्नाधीन भूमियाँ नदी किनारे पर होने के कारण ग्राम सुजापुर कला के खसरा क्रमांक 153/3, 147/2, 146, 147/1, 148, 153/4, 153/1, 153/5, 153/2 पर आपत्ति सुनवाई की अनुशंसा से असहमत होते हुए प्रारूप विकास योजना के प्रस्ताव यथावत होंगे।

3/-खण्डवा विकास योजना 2011 में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा-23 (क) एवं धारा 35 के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा किये गये उपांतरण एवं अंतिम विकास योजना में दर्शित आरक्षण से निर्मुक्त भूमि खण्डवा विकास योजना 2031 का भाग होगा।

4/-यह विकास योजना मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. के. साधव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2016

क्र. एफ-3-197-2012-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना दिनांक 1 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. के. साधव, उपसचिव.

Bhopal, the 1st November 2016

NOTICE

No. F-3-197/2012/32: Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for , Khandwa, 2031 under sub- section (1) of section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:-

1. Collector, District Khandwa, M.P.
2. Commissioner, Municipal Corporation, Khandwa M.P.
3. Dy Director, Town & Country Planning Distt. Office Khandwa, M.P

2/ Land bearing Khasra number 153/3, 147/2, 146, 147/1, 148, 153/4, 153/1, 153/5, 153/2 of village Sujapur Kala are adjoining river bank and area of residential land use proposed in the development plan is as per the planning norms hence the recommendation of objection hearing is hereby not accepted. The land use proposal for the above stated lands will be as per draft development plan.

3/ Modification and deletion of reservation of designated plan of final development plan done by the State Government in Khandwa development Plan 2011, under Section 23-A and under section 35 will be the part of Khandwa development Plan 2031.

4/ The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice in M.P. Gazette under section 19 (5) of M.P. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

C. K. SADHAV, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ-25-123/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N 21°50'29" से N 21°50'46" उत्तर अक्षांश तथा E 79°58'55" से E 79°59'09" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - बालाघाट

तहसील - लालबर्गा

वनमंडल - दक्षिण बालाघाट (सा.)

वन परिक्षेत्र - वारासिवनी (सा.)

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	कंटगझरी (ब)	कंटगझरी	बड़े झाड़ का जंगल, घास	161	9.458	उत्तर - मुनारा क्रमांक 14 से 25 तक और मुनारा क्रमांक 25 से आरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 501 के मुनारा क्रमांक 19 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - आरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 501 के मुनारा क्रमांक 19 से 22 तक वन सीमा। दक्षिण - आरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 501 के मुनारा क्रमांक 22 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - मुनारा क्रमांक 1 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	9.458	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-478/ 82- FC दिनांक 28.04.1989 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्रणी, राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना संभाग क्रमांक-2 कुडवा, बालाघाट (म.प्र.) की स्वीकृत परियोजना राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना में प्रभावित 1715.020 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1024.875 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 9.458 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. /73/अ-59/90-91 दिनांक 18.11.1991 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
- अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार लालबर्गा, जिला-बालाघाट के प्रमाण-पत्रों के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

- व्यक्तिगत अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2016

एफ-25-123-2016-दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-123-2016-दस-3, दिनांक 2 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 2nd November 2016

No. F-25-123/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 21°50'29" to N 21°50'46" North Latitude and E 79°58'55" to E 79°59'09" East Longitude.

SCHEDULE

District :- Balaghat

Tahsil :- Lalburra

Forest Division: - South Balaghat (Territorial)

Forest Range :- Waraseoni (Territorial)

S. N.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1.	Katangjhari (B)	Katangjhari	Bade Jhad ka jungle, Ghans	161	9.458	<p>North- Artificial Forest Boundary of Forest Block from Pillar No. 14 to 25 to Pillar No. 19 of Reserved Forest Block of Compartment No. 501.</p> <p>East- Forest boundary from Pillar No. 19 to 22 of Reserved Forest Block of Compartment No. 501.</p> <p>South- Artificial Forest Boundary From Pillar No. 22 of Reserved Forest Block of Compartment No. 501 to Pillar No. 01 of Prposed Forest Block.</p> <p>West - Pillar No. 1 to 14 Artificial forest boundary .</p>
				Total	9.458	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No 8-478/82-FC dated 28.04.1989 and in lieu of 1715.020 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rajiv Sagar (Bawanthadi) Irrigation project of Executive Engineer, Rajiv Sagar (Bawanthadi) project, Division No. 2, Kudwa in Balaghat District of M.P., the above mentioned Non Forest Land of 9.458 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No. सं.प्र.क्र. /73/अ-59/90-91 dated 18.11.1991 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar Lalburra - District Balaghat are as under.

1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ-25-124/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N 21°48'20.5" से N 21°48'44" उत्तर अक्षांश तथा E 80°5'36" से E 80°5'47" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - बालाघाट

तहसील - लालबर्वा

वनमंडल - दक्षिण बालाघाट (सा.)

वन परिक्षेत्र - वारासिवनी (सा.)

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	लेण्डेझरी	लेण्डेझरी	छोटे झाड़ का जंगल	30/1	13.028	उत्तर - आरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 509 के मुनारा क्रमांक 23 से वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - मुनारा क्रमांक 01 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से आरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 509 के मुनारा क्रमांक 01 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - आरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 509 के मुनारा क्रमांक 01 से वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 23 तक की वन सीमा।
				योग	13.028	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-478/ 82- FC दिनांक 28.04.1989 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना संभाग क्रमांक-2 कुडवा, बालाघाट (म.प्र.) की स्वीकृत परियोजना राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना में प्रभावित 1715.020 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1024.875 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 13.028 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. /132/अ-59/90-91 दिनांक 18.11.1991 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
- अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार लालबर्वा, जिला-बालाघाट के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

- व्यक्तिगत अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित

किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2016

एफ-25-124-2016-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-124-2016-दस-3, दिनांक 2 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 2nd November 2016

No. F-25-124/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 21^o48'20.5" to N 21^o48'44" North Latitude and E 80^o5'36" to E 80^o5'47" East Longitude.

SCHEDULE

District : - Balaghat

Tahsil : - Lalburra

Forest Division: - South Balaghat (Territorial)

Forest Range : - Waraseoni (Territorial)

S. N.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hec.)	
1.	Lendejhari	Lendejhari	Chhote Jhad ka jungle	30/1	13.028	North- Artificial Forest Boundary of Forest Block from Pillar No. 23 Reserve forest block of Compartment No. 509 to Pillar No. 01. East- Pillar No. 01 to 04 Artificial forest boundary. South- Artificial Forest Boundary of Forest Block from Pillar No. 04 to Pillar No. 01 Reserve forest block of Compartment No. 509 West - Forest Boundary of Pillar No. 01 to Pillar No. 23 of Reserve forest block of Compartment No. 509
				Total	13.028	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No 8-478/82-FC dated 28.04.1989 and in lieu of 1715.020 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rajiv Sagar (Bawanthadi) Irrigation project of Executive Engineer, Rajiv Sagar (Bawanthadi) project, Division No. 2, Kudwa in Balaghat District of M.P., the above mentioned Non Forest Land of 13.028 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No. रा.प्र.क्र./132/अ-59/90-91 dated 18.11.1991 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons- Nil

- (B)** The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar Lalburra - District Balaghat are as under.

1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ-25-126/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N 21°59'10" से N 21°59'28" उत्तर अक्षांश तथा E 79°59'7.50" से E 79°59'48" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - बालाघाट

तहसील - लालबर्गा

वनमंडल - दक्षिण बालाघाट (सा.)

वन परिक्षेत्र - लालबर्गा (सा.)

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	मालगोदी	मालगोदी	बड़े झाड़ का जंगल	4/2	17.199	उत्तर - मुनारा क्रमांक 1 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - मुनारा क्रमांक 12 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - मुनारा क्रमांक 13 से संरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 753 के मुनारा क्रमांक 3 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 753 के मुनारा क्रमांक 3 से 5 तक की वन सीमा और मुनारा क्रमांक 5 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	17.199	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-478/ 82- FC दिनांक 28.04.1989 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्रि, राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना संभाग क्रमांक-2 कुडवा, बालाघाट (म.प्र.) की स्वीकृत परियोजना राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना में प्रभावित 1715.020 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1024.875 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 17.199 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. /135/अ-59/90-91 दिनांक 18.11.1991 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
- अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार लालबर्गा, जिला-बालाघाट के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

- व्यक्तिगत अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2016.

एफ-25-126-2016-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-126-2016-दस-3, दिनांक 2 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 2nd November 2016

No. F-25-126/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 21⁰59'10" to N 21⁰59'28" North Latitude and E 79⁰59'7.50" to E 79⁰59'48" East Longitude.

SCHEDULE

District :- Balaghat

Tahsil :- Lalburra

Forest Division: - South Balaghat (Territorial)

Forest Range : - Lalburra (Territorial)

S. N.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1.	Malgondi	Malgondi	Bade Jhad ka jungle	4/2	17.199	North- Pillar No. 1 to 12 Artificial forest boundary East- Pillar No. 12 to 13 Artificial forest boundary South- Artificial Forest boundary of forest Block from Pillar No. 13 to Pillar No. 03 of Compartment No. 753 of Protected forest Block. West- Forest Boundary of Pillar No. 03 to 05 of Compartment No. 753 of Protected forest Block and Artificial Forest boundary from Pillar No. 05 to Pillar no. 01.
				Total	17.199	

(A) Reason for publication of Notification :-

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No 8-478/82-FC dated 28.04.1989 and in lieu of 1715.020 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rajiv Sagar (Bawanthadi) Irrigation project of Executive Engineer, Rajiv Sagar (Bawanthadi) project, Division No. 2, Kudwa in Balaghat District of M.P., the above mentioned Non Forest Land of 17.199 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No. रा.प्र.क्र. /135/अ-59/90-91 dated 18.11.1991 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation.
- Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar Lalburra - District Balaghat are as under.

- Individual Rights - There are no individual rights on the said land.
- Community Rights - There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ-25-139/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N23°37'54.800" से N23°38'10.900" उत्तर अक्षांश तथा E75°14'12.500" से E75°14'59.700" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - रतलाम
वनमंडल - रतलाम

तहसील - जावरा
वन परिक्षेत्र - सैलाना

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हे.)	
1	हिरुखेड़ी	हिरुखेड़ी	पहाड़	2	30.00	उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 12 से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 09 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 04 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	30.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPC084/2011-BHO/1641 दिनांक 12-10-2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, भोपाल की स्वीकृत परियोजना पुन्याखेड़ी पवन ऊर्जा परियोजना में प्रभावित 20.780 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 30.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 30.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला, रतलाम के आदेश क्रमांक 6216/रीडर-1/2010 दिनांक 14-12-2010 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार, जावरा जिला, रतलाम के प्रतिवेदन क्रमांक - दिनांक 15-03-2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2016

एफ-25-139-2016-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-139-2016-दस-3, दिनांक 2 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 2nd November 2016

No. F-25-139/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government form time to time. This Forest Block lies between N23°37'54.800" to N23°38'10.900" North Latitude and E75°14'12.500" to E75°14'59.700" East Longitude.

SCHEDULE

District :- RATLAM
Forest Division :- RATLAM

Tahsil :- JAORA
Forest Range :- SAILANA

S. N.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hactare)	
1	Hirukhedi	Hirukhedi	Hill	2	30.000	North - Artificial Forest boundary From Pillar No. 01 to 12. East - Artificial Forest boundary From Pillar No. 12 to 09. South - Artificial Forest boundary From Pillar No. 09 to 04. West - Artificial Forest boundary From Pillar No. 04 to 01.
				Total	30.000	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No 6-MPC084/2011-BHO/1641 dated 12-10-2012 and in lieu of 20.780 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Puniyakhedi Wind Energy Scheme of Suzlon Energy Limited, Bhopal, mentioned Non Forest Land of 45.729 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No 6216/Reader-1/2010 dated 14-12-2010 of Collector, Dist. Ratlam for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons - Nill

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. - dated 15-03-2016 of Tahsildar, Jaora, District Ratlam are as under.

1. Individuals Rights - The Land is not Individual Rights
2. Community Rights - The Land is not Community Rights

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ-25-140/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N23°39'23.9" से N23°39'42.7" उत्तर अक्षांश तथा E75°14'31.9" से E75°15'25.0" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - रतलाम
वनमंडल - रतलाम

तहसील - जावरा
वन परिक्षेत्र - सैलाना

अ. क्र.	वनखण्ड की सीमाएं				
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हे.)
1	सिन्दुरकिया	सिन्दुरकिया	मगरा भूमि	397/1	35.572
उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 05 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 05 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 06 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 14 से 20 तक तथा 20 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।					
				योग	35.572

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-121/2006-FC दिनांक 28-04-2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, रतलाम की स्वीकृत परियोजना कनेरी जलाशय परियोजना में प्रभावित 98.780 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 35.572 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 35.572 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला, रतलाम के आदेश क्रमांक 1472/वाचक-1/15 दिनांक 14-05-2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

- अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार, जावरा जिला, रतलाम के प्रतिवेदन क्रमांक— दिनांक 04-02-2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2016

एफ-25-140-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-140-2016-दस-3, दिनांक 2 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 2nd November 2016

No. F-25-140/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government form time to time. This Forest Block lies between N23°39'23.9" to N23°39'42.7" North Latitude and E75°14'31.9" to E75°15'25.0" East Longitude.

SCHEDULE

District :- RATLAM **Tahsil** :- JAORA
Forest Division :- RATLAM **Forest Range** :- SAILANA

S. N.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hactare)	
1	Sindurkiya	Sindurkiya	Magra Land	397/1	35.572	North - Artificial Forest boundary From Pillar No. 01 to 05. East - Artificial Forest boundary From Pillar No. 05 to 06. South - Artificial Forest boundary From Pillar No. 06 to 14. West - Artificial Forest boundary From Pillar No. 14 to 20 and 20 to 01.
				Total	35.572	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No F.No.8-121/2006-FC dated 28-04-2016 and in lieu of 98.780 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Kaneri Tank Project of Executive Eng. WRD District Ratlam, the above mentioned Non Forest Land of 35.572 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No 1472/Reader-1/15 dated 14-05-2015 of Collector, Dist. Ratlam for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons - Nill

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. - dated 04-02-2016 of Tahsildar, Jaora, District Ratlam are as under.

1. Individuals Rights - The Land is not Individual Rights
2. Community Rights - The Land is not Community Rights

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ-25-141/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N23°33'04.2" से N23°33'19.5" उत्तर अक्षांश तथा E75°01'19.1" से E75°01'51.5" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - रतलाम
वनमंडल - रतलाम

तहसील - पिपलोदा
वन परिक्षेत्र - सैलाना

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हे.)	
1	कंचनखेड़ी	कंचनखेड़ी	चरनोई काबिल कास्त	181/1 204	10.906 2.620	उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 11 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 14 से 20 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 20 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	13.526	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-121/2006-FC दिनांक 28-04-2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, रतलाम की स्वीकृत परियोजना कनेरी जलाशय परियोजना में प्रभावित 98.780 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 22.550 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 13.526 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला, रतलाम के आदेश क्रमांक 1468/वाचक-1/15 दिनांक 14-05-2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार, जावरा जिला, रतलाम के प्रतिवेदन क्रमांक - दिनांक 10-06-2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2016

एफ-25-141-2016-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-141-2016-दस-3, दिनांक 2 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव,

Bhopal, the 2nd November 2016 .

No. F-25-141/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government form time to time. This Forest Block lies between N23°33'04.2" to N23°33'19.5" North Latitude and E75°01'19.1" to E75°01'51.5" East Longitude.

SCHEDULE

District :- RATLAM **Tahsil** :- PIPLODA
Forest Division :- RATLAM **Forest Range** :- SAILANA

S. N.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hactare)	
1	Khanchan kheri	Khanchan kheri	Charnoi Kabil Kast	181/1 204	10.906 2.620	North - Artificial Forest boundary From Pillar No. 01 to 11. East - Artificial Forest boundary From Pillar No. 11 to 14. South - Artificial Forest boundary From Pillar No. 14 to 20. West - Artificial Forest boundary From Pillar No. 20 to 01.
Total					13.526	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No F.No.8-121/2006-FC dated 28-04-2016 and in lieu of 98.780 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Kaneri Tank Project of Executive Eng. WRD District Ratlam, the above mentioned Non Forest Land of 13.526 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No 1468/Reader-1/15 dated 14-05-2015 of Collector, Dist. Ratlam for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons - Nill

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. - dated 10-06-2015 of Tahsildar, Jaora, District Ratlam are as under.

1. Individuals Rights - The Land is not Individual Rights
2. Community Rights - The Land is not Community Rights

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ (ब्यावरा), दिनांक 17 अक्टूबर 2016

क्र. 8868-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2013-2014 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम रोज्या के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत प्रभावित भूमि

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर	
		कुल प्रभावित रकबा (हे.में.)	
(1)	(2)	(3)	
1	रोज्या	164.246	
कुलयोग :-		164.246	

—: अनुसूची (2) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रोज्या तालाब के उन्नयन से प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम -रोज्या

तहसील :- राजगढ़

जिला :- राजगढ़

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हे.में.)	प्रभावित रकबा (हे.में.)
1	2	3	4	5
1	बदनबाई बेवा कालू जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	3	5.842	5.842
	किता	4/2	0.228	0.228
		2	6.070	6.070
2	दरियावसिंह पिता कालू मु. बदनबाई बेवा कालू जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	4/1	4.136	4.136
	किता	1	4.136	4.136
3	छोटेलाल पिता लालजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	5/1	1.947	1.947
		7	2.263	2.263
	किता	2	4.210	4.210

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हे.में.)	प्रभावित रकबा (हे.में.)
1	2	3	4	5
4	मोहनसिंह पिता प्रभुलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	5/2/1/1/1	0.695	0.695
	किता	1	0.695	0.695
5	रामचन्द्र पिता रूधनाथ जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	5/2/1/1/2	1.518	1.518
	किता	1	1.518	1.518
6	प्रेमबाई पति हशिसिंह जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	5/2/1/2	0.253	0.253
	किता	1	0.253	0.253
7	रामरतन पिता भेरूसिंह, बीरम पिता हीरालाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	5/2/2	2.453	2.453
		114/3	1.303	1.303
	किता	2	3.756	3.756
8	इन्द्रसिंह पिता दौलजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी.	6/1	1.387	0.534
		45/1	1.028	1.028
		52/1	0.143	0.143
	किता	3	2.558	1.705
9	धीरपसिंह पिता दौलजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	6/2	1.134	0.734
		45/2	1.028	1.028
		52/2	0.143	0.143
	किता	3	2.305	1.905
10	हिम्मतसिंह पिता दौलजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	6/3	1.134	0.534
		45/3	1.030	1.030
		52/3	0.144	0.144
	किता	3	2.308	1.708
11	कुमेरसिंह पिता गंगाराम जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	10/1/1	1.430	0.700
	किता	1	1.430	0.700
12	शिवनारायण, रामचन्द्र, छोटेलाल, मदनसिंह पिता भोनजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	10/1/2	0.049	0.025
	किता	1	0.049	0.025
13	बल्लमबाई पति धीरपसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	10/2	1.480	0.750
	किता	1	1.480	0.750
14	रामचन्द्र पिता करणसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	11/1	0.506	0.060
	किता	1	0.506	0.060

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हे.में.)	प्रभावित रकबा (हे.में.)
1	2	3	4	5
15	नारायणसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	11/2	0.506	0.060
	किता	1	0.506	0.060
16	देवसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	11/3	0.506	0.060
	किता	1	0.506	0.060
17	बद्रीलाल पिता बापूलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	11/4	0.506	0.060
	किता	1	0.506	0.060
18	शिवसिंह पिता राधाकिशन जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	11/5	1.012	0.100
	किता	1	1.012	0.100
19	मानसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	11/6	0.872	0.090
	किता	2	2.378	1.596
20	धीसालाल पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	11/7	0.872	0.090
	किता	2	2.377	1.595
21	मोहनसिंह पिता प्रभुलाल, केशरबाई बेवा प्रभुलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	11/8	0.872	0.090
	किता	1	0.872	0.090
22	मांगीलाल पिता कुमरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	11/9/1	0.436	0.050
	किता	3	2.439	1.802
23	लखनसिंह पिता कुमरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	11/9/2	0.436	0.436
	किता	2	1.189	1.189
24	महेन्द्रसिंह पिता बीरमसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	11/10/1	0.436	0.436
	किता	3	1.940	1.940
25	जीतेन्द्रसिंह पिता बीरमसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	11/10/2	0.436	0.436
	किता	2	1.188	1.188
26	हरीसिंह पिता देवीलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	12/1	1.012	0.090
	किता	1	1.012	0.090

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हे.में.)	प्रभावित रकबा (हे.में.)
1	2	3	4	5
27	अनोखबाई पति करणसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	12/2/2	2.529	2.020
	किता	1	2.529	2.020
28	बालूसिंह पिता विजयसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	12/3	0.759	0.600
		604/3	0.434	0.217
	किता	2	1.193	0.817
29	लक्ष्मीनारायण पिता विजयसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	13/2	1.182	1.182
	किता	1	1.182	1.182
30	धनराजगिर , सूरजबाई पिता रामगिर जाति गौसाई	13/2/2	1.675	1.675
	किता	1	1.675	1.675
31	चन्द्रप्रकाश पिता घीसालाल जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भू-स्वामी	13/3	1.834	1.834
	किता	1	1.834	1.834
32	दिलीप, कुलतीबाई पिता लक्ष्मीनाराण, रतनबाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	16/1	0.703	0.703
	किता	1	0.703	0.703
33	छोटेलाल, कन्हैयालाल, रामचन्द्र, जानीबाई, नबीबाई, शान्तीबाई पिता मांगीलाल जाति भील नि.ग्राम भू-स्वामी	16/2	3.795	3.795
	किता	1	3.795	3.795
34	देवीलाल पिता माधू जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	16/3	0.828	0.828
	किता	1	0.828	0.828
35	भगवानसिंह, बलवंतसिंह पिता भेरूसिंह हि. 50 पैसे कंवरलाल पिता हीरालाल हि. 50 पैसे जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	17/1	2.782	2.782
	किता	1	2.782	2.782
36	रामरतन पिता भेरूसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	17/2	1.448	1.448
	किता	1	1.448	1.448
37	बीरमसिंह पिता हीरालाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	17/3	1.448	1.448
	किता	1	1.448	1.448
38	गोपी पिता गब्बा जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	19/1/2	1.139	1.139
	किता	1	1.139	1.139
39	भंवरलाल पिता गिरधारी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	19/2/1/1	2.336	2.336
	किता	1	2.336	2.336

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हे.में.)	प्रभावित रकबा (हे.में.)
1	2	3	4	5
40	रामबाबू, गोकुल, प्रेमबाई पिता मांगीलाल मांगीबाई बेवा मांगीलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	19/2/2/1	1.830	1.830
	किता	1	1.830	1.830
41	धीरपसिंह, बट्टीलाल पिता इन्दरसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	19/2/2/2	0.506	0.506
	किता	1	0.506	0.506
42	भंवरलाल, मांगीलाल, केशरबाई पिता गिरधारी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	19/2/3	0.044	0.044
		19/5/1	0.253	0.253
	किता	2	0.297	0.297
43	दशरथसिंह पिता श्रीलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	19/3/1/1	0.452	0.452
	किता	1	0.452	0.452
44	प्रेमसिंह पिता श्री लाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	19/3/2/1	0.451	0.451
	किता	1	0.451	0.451
45	रामचन्द्र पिता उंकार जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	19/3/3/1	0.756	0.756
	किता	1	0.756	0.756
46	घनश्याम पिता बापूलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	19/3/4/1	0.756	0.756
	किता	1	0.756	0.756
47	जगदीश पिता रामचरण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	31/8/2	0.690	0.690
	किता	1	0.690	0.690
48	बालू पिता कालू जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	31/5/2	0.347	0.347
	किता	1	0.347	0.347
49	गंगाधर पिता नानूराम जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	32/1	0.080	0.080
	किता	1	0.080	0.080
50	रामचरण घीसालाल कैलाश मांगीबाई पिता मोती जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	32/2/2	3.225	3.225
	किता	1	3.225	3.225
51	मदनलाल पिता रत्ता जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	32/5	0.618	0.162
	किता	1	0.618	0.162
52	लक्ष्मीनारायण पिता विजयसिंह जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	43/2/1/2	1.264	1.264
	किता	1	1.264	1.264
53	लक्ष्मीनारायण पिता गुलाब जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	19/1/3	0.652	0.652
	किता	1	0.652	0.652

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हे.में.)	प्रभावित रकबा (हे.में.)
1	2	3	4	5
54	किशनलाल पिता पूरजी जाति सौंध्या नि.ग्राम भू-स्वामी	41/7/2	0.680	0.680
	किता	1	0.680	0.680
55	शिवनारायण पिता मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	33/2/2	3.512	3.512
	किता	1	3.512	3.512
56	रामचरण, घीसालाल, कैलाश, मांगीबाई पिता मोती जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	33/3	2.529	2.529
	किता	1	2.529	2.529
57	जगन्नाथ, हरीसिंह पिता भेरु, जानीबाई, नौरंगबाई, अनोखबाई पिता भेरु जाति सांधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	33/5/2	0.500	0.500
	किता	1	0.500	0.500
58	जगन्नाथ पिता भेरुसिंह जाति सांधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	34/1/2	2.544	2.544
	किता	1	2.544	2.544
59	कमलसिंह पिता जगन्नाथ जाति सांधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	34/2/2	1.670	1.670
	किता	1	1.670	1.670
60	रामप्रसाद पिता रामनारायण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	37/2/2	1.624	1.624
		609/3	1.265	1.265
		114/4	0.808	0.808
	किता	3	3.697	3.697
61	दरियावसिंह, सुरेश पिता हरिसिंह, रतनबाई बेवा हरिसिंह जाति सौंध्या नि.ग्राम भू-स्वामी	37/1/1	1.508	1.508
	किता	1	1.508	1.508
62	पप्पू पिता राधेश्याम, गोपाल पिता भागचन्द जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	37/3/1	0.343	0.343
	किता	1	0.343	0.343
63	चन्द्रलाल पिता शिवलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	37/3/2	0.343	0.343
	किता	1	0.343	0.343
64	तरवरसिंह पिता विजयसिंह जाति सांधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	37/4/1	1.608	1.608
		38/2/1	0.759	0.759
	किता	2	2.367	2.367
65	रामगोपाल पिता भागचन्द जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	37/5/1/1	0.172	0.172
		41/2/1/1	0.656	0.656
	किता	2	0.828	0.828

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हे.में.)	प्रभावित रकबा (हे.में.)
1	2	3	4	5
66	रामप्रसाद पिता भागचन्द जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	37/5/1/2	0.172	0.172
		41/2/1/2	0.656	0.656
	किता	2	0.828	0.828
67	हेमराज पिता गुलाब जाति सांधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	37/5/2	0.732	0.732
		37/5/3	0.732	0.732
		41/2/2	0.103	0.103
		41/2/3	0.103	0.103
	किता	4	1.670	1.670
68	पूरीबाई पति दरियावसिंह जाति सांधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	38/2/2	2.276	2.276
	किता	1	2.276	2.276
69	रामचन्द, इन्दरसिंह, ग्यारसीराम, छीतीबाई, मैनाबाई पिता श्रीलाल चतरीबाई बेवा श्री लाल मदनलाल पिता मोहनलाल मु. गंगाबाई बेवा मोहनलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	38/3	3.034	3.034
	किता	1	3.034	3.034
70	बद्रीलाल, रामप्रसाद पिता धीसालाल, भागूबाई बेवा धीसालाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	38/4	2.000	2.000
	किता	1	2.000	2.000
71	शिवनारायण, मनोहर पिता मांगीलाल, धीसीबाई बेवा मांगीलाल, नाथू धूलजी पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	39/1	1.025	1.025
		40/1	2.036	1.800
		621	1.290	0.650
	किता	3	4.351	3.475
72	कालू पिता जंकार जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	39/2	0.169	0.169
		40/5	0.244	0.225
		620/3	0.205	0.050
	किता	3	0.618	0.444
73	देवीलाल, कैलाश पिता मेहताब जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	39/3	0.169	0.169
		40/3	0.244	0.220
		620/4	0.205	0.055
	किता	3	0.618	0.444
74	बापूलाल पिता राधाकिशन जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	39/4	0.168	0.168
		40/6	0.155	0.135
	किता	2	0.323	0.303

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हे.में.)	प्रभावित रकबा (हे.में.)
1	2	3	4	5
75	इन्दरसिंह पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	41/1	1.081	1.081
		610/1	0.664	0.664
	किता	2	1.745	1.745
76	छीतालाल पिता किशनलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	41/3/1/2	0.532	0.532
	किता	1	0.532	0.532
77	धीरपसिंह पिता किशन जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	41/3/2/2	0.532	0.532
	किता	1	0.532	0.532
78	कमलसिंह पिता किशन जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	41/3/3/2	0.528	0.528
	किता	1	0.528	0.528
79	बजेसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	41/4/1/1/2	0.150	0.150
	किता	1	0.150	0.150
80	कैलाश पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	41/4/1/2/2	0.150	0.150
	किता	1	0.150	0.150
81	बद्रीलाल पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	41/4/2/2	0.300	0.300
	किता	1	0.300	0.300
82	हजारी पिता धूलजी जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	41/5	1.126	1.126
	किता	1	1.126	1.126
83	भंवरलाल पिता धूलजी जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	41/6	1.494	1.494
	किता	1	1.494	1.494
84	किशनलाल पिता पूरजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	41/7//2	0.680	0.680
	किता	1	0.680	0.680
85	लक्ष्मीनारायण पिता विजयसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	48/2/1	1.264	1.264
		53/1/1	0.270	0.270
	किता	2	1.534	1.534
86	लक्ष्मीचन्द्र पिता नारायणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	43/2/2/1	1.276	1.276
	किता	1	1.276	1.276
87	हेमराज पिता रामनारायण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	20/1/4/1	0.583	0.583
	किता	1	0.583	0.583

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हे.में.)	प्रभावित रकबा (हे.में.)
1	2	3	4	5
88	वल्लभ पिता बद्रीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	44	1.785	1.785
		114/2	0.152	0.152
	किता	2	1.937	1.937
89	भारतसिंह पिता प्रभुलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	46/4	1.504	1.504
		54/1	0.100	0.100
		55/1	0.949	0.200
	किता	3	2.553	1.804
90	जगदीश पिता रामचरण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	48/1/3	0.130	0.130
		58/1/2	0.139	0.139
	किता	2	0.269	0.269
91	रामप्रसाद, बापूलाल पिता रामनारायण, अयाध्याबाई पिता रामनारायण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	48/3	0.518	0.518
		58/4/1	0.139	0.139
		100/1	0.101	0.051
		102	0.025	0.025
		110/2	0.139	0.139
		112/3	0.164	0.006
		58/3	0.772	0.772
	किता	7	1.858	1.650
92	अयोध्याबाई पिता रामनारायण, महेशकुमार पिता बापूलाल, मुकेशकुमार पिता रामप्रसाद जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	48/4/2	0.177	0.177
		58/4/3	0.139	0.139
	किता	2	0.316	0.316
93	अयोध्याबाई पिता रामनारायण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	48/4/3	0.265	0.265
	किता	1	0.265	0.265
94	हेमन्तसिंह पिता दोलजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	52/3	0.144	0.144
	किता	1	0.144	0.144
95	हरीसिंह पिता घीसालाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	51/1	0.438	0.270
		51/3	0.438	0.270
	किता	2	0.876	0.540
96	विजयसिंह पिता घीसालाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	51/2	0.440	0.270
	किता	1	0.440	0.270
97	जगदीश पिता विजयसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	53/1/2	0.269	0.269
	किता	1	0.269	0.269
98	बंशीलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	48/1/1	0.259	0.259
	किता	1	0.259	0.259

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हे.में.)	प्रभावित रकबा (हे.में.)
1	2	3	4	5
99	आनन्दीलाल पिता रामचरण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	48/1/2	0.129	0.129
		58/1/3	0.139	0.139
		99/1	0.152	0.076
		103/3	0.101	0.101
		112/1/2	0.041	0.041
		112/4/2	0.089	0.089
	किता	6	0.651	0.575
100	रामप्रसाद, बापूलाल पिता रामनारायण जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	48/689	0.683	0.379
	किता	1	0.683	0.379
101	श्रीमती कोशल्याबाई पति आनन्दीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	58/4/2	0.506	0.506
	किता	1	0.506	0.506
102	गंगाधर पिता नानूराम जाति भील नि.ग्राम भू-स्वामी	31/2	0.604	0.604
	किता	1	0.604	0.604
103	हेमराज पिता गुलाब जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	36/3/3/2	0.156	0.156
	किता	1	0.156	0.156
104	अमृतलाल पिता गंगाराम जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	31/6/2	0.120	0.120
		48/4/1	0.089	0.089
		58/2	0.784	0.784
		48/2	0.519	0.519
		98	0.076	0.076
		103/2	0.076	0.076
		99/2	0.139	0.139
		615/2	1.202	1.202
	किता	112/2	0.177	0.177
	किता	9	3.182	3.182
105	मानसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	46/1	1.506	0.244
	किता	1	1.506	0.244
106	घीसालाल पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	46/2	1.505	0.244
	किता	1	1.505	0.244
107	मांगीलाल पिता कुमेरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	46/3/1	0.752	0.122
	किता	1	0.752	0.122
108	लखनसिंह पिता कुमेरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	46/3/2	0.753	0.122
	किता	1	0.753	0.122

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हे.में.)	प्रभावित रकबा (हे.में.)
1	2	3	4	5
109	भारतसिंह पिता प्रभुलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	46/4	1.504	0.244
	किता	1	1.504	0.244
110	महेंद्रसिंह पिता बीरमसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	46/5/1	0.752	0.122
	किता	1	0.752	0.122
111	कमलाबाई पिता बीरमसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	46/5/2	0.752	0.122
	किता	1	0.752	0.122
112	जगन्नाथ पिता गुलाब दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	108/1/1	0.026	0.020
		109/1	0.012	0.012
		116/2/1	0.057	0.028
		607/2	0.152	0.075
		129	0.025	0.025
		107/1/1	0.057	0.057
	किता	6	0.329	0.217
113	ममताबाई पति राधेश्याम दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	108/1/2	0.025	0.025
		107/1/2	0.570	0.570
		605/3/2	0.199	0.199
		116/2/2	0.057	0.057
	किता	4	0.851	0.851
114	रामचरण पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	110/1/2	0.039	0.039
	किता	1	0.039	0.039
115	जगदीश पिता रामचरण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	112/1/3	0.041	0.041
		607/4/1/2	1.000	0.549
		607/4/2	0.609	0.352
		103/1/2	0.038	0.048
	किता	4	1.688	0.990
116	उंकारबगस, राधेश्याम पिता अमान जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	112/4/1	0.088	0.088
	किता	1	0.088	0.088
117	उंकारबगस पिता अमान जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	31/7/1	1.800	1.800
	किता	1	1.800	1.800
118	नारानसिंह पिता मेहताबसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	113/1	0.621	0.621
	किता	1	0.621	0.621
119	कमलाबाई पति मोहनलाल दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	113/2/1	0.821	0.821
	किता	1	0.821	0.821

स.क.	प्रमावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हे.में.)	प्रमावित रकबा (हे.में.)
1	2	3	4	5
120	लक्ष्मीनारायण पिता विजयसिंह जाति सौध्या नि.ग्राम भू-स्वामी	113/2/2	0.076	0.076
	किता	1	0.076	0.076
121	लक्ष्मीचंद पिता नारायणसिंह जाति सौध्या नि.ग्राम भू-स्वामी	113/692/2	1.416	0.708
	किता	1	1.416	0.708
122	देवीराम पिता घीसाराम जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	107/2/1	0.038	0.038
		605/1/1	0.284	0.284
		607/3/1	0.049	0.049
		116/3/1	0.038	0.019
	किता	4	0.409	0.390
123	लक्ष्मीनारायण पिता घीसालाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	107/2/2	0.038	0.038
		607/3/2	0.048	0.024
		605/1/2	0.285	0.285
	किता	3	0.371	0.347
124	रामप्रसाद पिता घीसालाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	107/2/3	0.038	0.038
		605/1/3	0.285	0.285
		607/3/3	0.048	0.024
		116/3/3	0.038	0.019
	किता	4	0.409	0.366
125	प्रमूलाल पिता मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	107/3	0.126	0.030
		130/2	0.026	0.026
		116/4	0.114	0.055
		109/3	0.013	0.013
	किता	4	0.279	0.124
126	मांगीलाल पिता भैंवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	107/4/1	0.038	0.019
		607/1/1	0.323	0.165
	किता	2	0.361	0.184
127	बापूलाल पिता भैंवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	107/4/2	0.038	0.005
		607/1/2	0.322	0.165
	किता	2	0.360	0.170
128	मांगीलाल पिता गिरधारी जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	121/1	0.057	0.030
		118	0.038	0.038
		633/1/1	0.278	0.278
		119	0.063	0.063
	किता	4	0.436	0.409
129	जगदीश पिता गिरवर जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	121/2	0.114	0.070
		633/1/3	0.279	0.279

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हे.में.)	प्रभावित रकबा (हे.में.)
1	2	3	4	5
	किता	2	0.393	0.349
130	कन्हैयालाल पिता गिस्वारी जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	121/3	0.057	0.003
	किता	1	0.057	0.003
131	मांगीलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	128/1	0.008	0.008
		116/1/1	0.038	0.019
	किता	2	0.046	0.027
132	बापूलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	128/2	0.008	0.008
		116/1/2	0.037	0.018
	किता	2	0.045	0.026
133	रामचरण पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	128/3	0.009	0.009
		607/1/3	0.322	0.165
		607/4/1/1	0.050	0.050
		116/1/3	0.038	0.019
	किता	4	0.419	0.243
134	धीसालाल पिता गुलाब जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	130/1	0.025	0.025
		116/3	0.114	0.114
	किता	2	0.139	0.139
135	मुकेश पिता रामनारायण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	131/1	0.089	0.089
	किता	1	0.089	0.089
136	रामप्रसाद, बापूलाल पिता रामनारायण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	131/2	0.089	0.089
		110/2	0.139	0.139
		112/3	0.164	0.164
		615/3	1.556	1.556
		131/3	0.089	0.089
	किता	5	2.037	2.037
137	कन्हैयालाल पिता नन्दलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	134/4	0.070	0.070
		40/2/4	1.549	0.750
	किता	2	1.619	0.820
138	धीसालाल पिता गुलाब जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	109/2	0.013	0.013
		किता	1	0.013

रा.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हे.में.)	प्रभावित रकबा (हे.में.)
1	2	3	4	5
139	बंशीलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	101	0.012	0.012
		110/1/1	0.100	0.100
		615/1/1	0.814	0.814
		112/1/1	0.082	0.082
	किता	4	1.008	1.008
140	रामचरण जाति भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	110/1/2	0.039	0.039
		किता	1	0.039
141	शिवनारायण, बद्री पिता नाथू जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	110/2	0.139	0.139
		633/3	1.205	1.205
	किता	2	1.344	1.344
142	लक्ष्मीरायण पिता घीसालाल जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	605/1/2	0.285	0.285
		116/3/2	0.038	0.019
		607/3/2	0.048	0.048
	किता	3	0.371	0.352
143	बापूलाल पिता रामनारायण जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	609/1/1	0.506	0.506
		609/2	0.759	0.759
	किता	2	1.265	1.265
144	लीलाबाई पिता महेश कुमार जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	609/1/2	1.100	1.100
		किता	1	1.100
145	ग्यारसीराम पिता श्रीलाल जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	610/2	0.242	0.242
		611	0.696	0.696
	किता	2	0.938	0.938
146	रामचंद्र पिता श्रीलाल जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	610/3	1.522	1.522
		किता	1	1.522
147	नारायणसिंह पिता करणसिंह जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	613/1	0.507	0.507
		किता	1	0.507
148	बनेसिंह पिता करणसिंह जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	613/2	0.508	0.508
		किता	1	0.508
149	रामचन्द्र पिता करणसिंह जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	613/3	0.508	0.508
		किता	1	0.508

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हे.में.)	प्रभावित रकबा (हे.में.)
1	2	3	4	5
150	देवसिंह पिता बापूलाल जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	613/4	0.761	0.761
	किता	1	0.761	0.761
151	बद्रीलाल पिता बापूलाल जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	613/5	0.761	0.761
	किता	2	1.640	1.640
152	कालूसिंह पिता शिवसिंह जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	613/6	0.761	0.761
	किता	1	0.761	0.761
153	मदन पिता शिवसिंह जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	613/7	0.761	0.761
	किता	1	0.761	0.761
154	ललताबाई पिता राधेश्याम जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	615/1/2	0.357	0.357
	किता	3	1.493	1.493
		615/4/2	0.879	0.879
		615/1/3	0.257	0.257
155	प्रभुलाल पिता गिरवर जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	615/690	0.835	0.835
	किता	3	1.541	1.528
		608/2	0.427	0.414
		633/1/2	0.279	0.279
156	बद्रीलाल पिता नाथू जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	633/2	1.296	1.296
	किता	1	1.296	1.296
157	जगदीश पिता मांगीलाल जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	605/2/1	0.451	0.451
	किता	1	0.451	0.451
158	प्रभुलाल पिता मांगीलाल जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	605/2/2	0.450	0.450
	किता	1	0.450	0.450
159	अनारबाई पिता मांगीलाल जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	605/2/3	0.076	0.076
	किता	1	0.076	0.076
160	मोतीलाल पिता जगनाथ जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	605/3/1	0.600	0.600
	किता	2	0.772	0.685
		608/3/1	0.172	0.085
161	रामकैलाश, मुकेश कुमार पिता रामचन्द्र जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	608/3/2	0.172	0.085
	किता	1	0.172	0.085
162	प्रेमसिंह पिता केशर जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	604/1	0.434	0.217
	किता	1	0.434	0.217

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हे.में.)	प्रभावित रकबा (हे.में.)
1	2	3	4	5
163	जगदीश पिता दरियाव जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	604/2	0.435	0.218
	किता	1	0.435	0.218
164	बंशीलाल पिता धुलीलाल जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	620/1	0.217	0.035
	किता	1	0.217	0.035
165	रामेश्वर पिता रामचन्द्र जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	620/2	0.205	0.050
		40/4	0.253	0.225
	किता	2	0.458	0.275
166	रामचन्द्र पिता गिस्थारीजाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	40/2/1	0.516	0.450
	किता	1	0.516	0.450
167	मोतीलाल पिता गिस्थारीजाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	40/2/2	0.516	0.450
	किता	1	0.516	0.450
168	रतनलाल पिता गिस्थारी, जसोदाबाई पिता गिस्थारी जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	40/2/3	0.517	0.450
	किता	1	0.517	0.450
169	दोलजी पिता रूघनाथ जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	40/3/2	0.190	0.170
	किता	1	0.190	0.170
170	रामेश्वर पिता रामचन्द्र जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	40/4	0.190	0.170
	किता	1	0.190	0.170
171	रामचन्द्र पिता राधाकिशन जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी	40/7	0.090	0.080
	किता	1	0.090	0.080
	किता	286	189.434	164.246

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़

जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 8870-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित मकान की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2014-2015 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम नलखेड़ा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित आबादी की भूमि सर्वे न. 88 रकबा 0.278 हेक्टेयर एवं सर्वे न. 129/18/1 रकबा 2.835 हेक्टेयर पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश मकानों का अर्जन किया जा चुका है धारा-11(3) के प्रावधानों का अनुपालन पूर्व में किया जा चुका है।

—: अनुसूची (1) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :— ग्राम नलखेड़ा

स.क्र.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4		5
1	88	0.278	आबादी		3806.660
2	129/18/1	2.835	आबादी		547.310
महायोग :-					4353.970

—: अनुसूची (2) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :— ग्राम नलखेड़ा

1	88	0.278	दूलीचन्द, चैनसिंह पिता मांगीलाल जाति हरिजन	1	121.920
2			शंकरलाल पिता घीसालाल जाति तंवर	3	150.000
3			रंगलाल पिता घीसालाल जाति तंवर	4	156.000
4			मांगीबाई पति प्रभूलाल, गजराजसिंह पिता प्रभूलाल जाति हरिजन	7	78.200
5			लालजी पिता किशनलाल जाति हरिजन	9	83.700
6			जगन्नाथ पिता रामलाल जाति हरिजन	11	72.800
7			भंवरलाल पिता देवसिंह जाति तंवर	13	81.000
8			गोवरधन पिता देवसिंह जाति तंवर	14	81.000
9			भंवरलाल, कालूसिंह, रंगलाल पिता कालूसिंह, ममता पुत्री कालूसिंह, रतनलाल पिता रामसिंह जाति तंवर	15	233.100

स.क.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4		5
10			कमलसिंह पिता घीसालाल जाति तंवर	16	181.900
11			बद्रीलाल, मदनलाल पिता हीरालाल, पर्वतसिंह पिता नारायणसिंह जाति तंवर	17	219.800
12			सरदारबाई बेवा नारायणसिंह, अमरीबाई बेवा नारायणसिंह जाति तंवर	18	74.900
13			केसरसिंह, देवसिंह, गुलाबबाई पति देवसिंह जाति तंवर	19	149.400
14			करणसिंह पिता किशनलाल, प्रेमसिंह, खुबानसिंह, चन्द्र पिता करणसिंह जाति तंवर	20	123.680
15			कालूसिंह पिता बापूलाल, बबलू पिता बापूलाल जाति तंवर	22	337.800
16			बनेसिंह, कालूसिंह पिता भीमाजी, भंवरलाल, दरियावसिंह पिता बनेसिंह, हरिसिंह, ललित पिता कालूसिंह जाति तंवर	23	353.280
17			रामलाल पिता देवजी जाति तंवर	25	113.400
18			कमलसिंह, भेरूसिंह पिता चैनसिंह जाति तंवर	32	105.600
19			रामप्रसाद, रामकैलाश पिता गोवर्धन जाति तंवर	33	89.600
20			रामनारायण पिता रामचन्द्र, रामचन्द्र पिता मनाजी जाति तंवर	34	141.240
21			नानूराम पिता प्यारजी, हेमराज, प्रेम पिता नानूराम जाति तंवर	35	150.000
22			गंगाराम पिता घीसालाल, लालसिंह पिता गंगाराम जाति तंवर	36	129.470
23			रमेश, उमराव पिता गोवर्धन जाति तंवर	38	164.000
24			सुरेश पिता रमेश जाति तंवर	47	23.600
25			मानसिंह पिता हीरालाल जाति तंवर	48	35.750
26			राजूबाई पिता बनेसिंह जाति तंवर	51	32.200
27			भगवानसिंह पिता राधेश्याम जाति तंवर	52	16.000

स.क्र.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4		5
28			गोवर्धन पिता मनाजी जाति तंवर	54	32.450
29			रामप्रसाद पिता गोवर्धन जाति तंवर	55	38.400
30			चेनसिंह पिता मनाजी जाति तंवर	56	51.460
31			इन्द्राबाई पिता करणसिंह जाति तंवर	57	42.750
32			बापूलाल पिता किशनलाल जाति तंवर	58	49.920
33			मांगीलाल, भगवानसिंह पिता शंकरलाल जाति तंवर	59	44.890
34			देवराज पिता किशन, कैलाश पिता मानसिंह जाति तंवर	61	47.450
योग :-					3806.660
35	129/18/1	2.835	मांगीलाल, घनश्याम पिता अमरसिंह जाति हरिजन	44	78.900
36			लखन, सुरेश पिता कालूजी जाति तंवर	46	247.500
34			गंगाराम पिता घीसालाल जाति तंवर	50	56.800
38			बबलू, दिलीप पिता भंवरलाल जाति तंवर	62	50.160
39			इन्द्राबाई पिता कालूसिंह जाति तंवर	63	69.550
40			मदन पिता हीरालाल, हीरालाल पिता खीमाजी जाति तंवर	64	44.400
योग :-					547.310
कुल योग :-					4353.970
				या (हे.में)	0.435

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 8871-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित मकान की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2014-2015 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम बानपुर के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित आबादी की भूमि सर्वे न. 160 रकबा 1.214 हेक्टेयर, सर्वे न. 308/6 रकबा 1.000 हेक्टेयर एवं सर्वे न. 379/9 रकबा 0.500 हेक्टेयर पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश मकानों का अर्जन किया जा चुका है धारा-11(3) के प्रावधानों का अनपालन पूर्व में किया जा चुका है।

—: अनुसूची (1) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :- ग्राम बानपुर

स.क्र.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	रिमांक
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा				
1	2	3	4	5	6	
1	160	1.214	आबादी		1296.150	
2	308/6	1.000	आबादी आवास		310.280	
3	273/9	0.500	आबादी		1218.910	
	3	2.714			2825.340	

—: अनुसूची (2) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :- ग्राम बानपुर

1	160	1.214	गौराबाई पति गूलाबसिंह तंवर	45	183.52	
2			गूलाबबाई पति रूगनाथ चमार	57	128.00	
3			बापुलाल पिता पाँचुलाल तंवर	49	257.14	
4			जीवन पिता गौरीलाल तंवर	148	42.32	
5			भांवसिंह पिता चंदा तंवर	25	115.32	
6			अन्नु पिता चन्दा तंवर	26	115.32	
7			रमेश पिता रायसिंह तंवर	32	128.93	
8			रतनलाल पिता अमरसिंह हरिजन	172	85.86	
9			बंशीलाल पिता अमरसिंह हरिजन	173	57.60	
10			राजेन्द्र पिता मांगीलाल ब्राह्मण	174	56.20	
11			रामचन्द्र पिता भंवरलाल	175	52.80	
12			हेमराज पिता रामनारायण	180	73.14	
			योग		1296.15	

स.क.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	रिमांक
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा				
1	2	3	4	5	6	
13	273/9	0.500	इन्दरसिंह पिता मांगीलाल जाति तंवर	91	69.38	
14			जगदीश पिता देवचन्द जाति तंवर	94 C	137.60	
15			रुगनाथ पिता देवीराम जाति तंवर	99	48.60	
16			गंगाराम पिता देवीराम जाति तंवर	112	136.65	
17			मोरसिंह पिता गिरधारी जाति तंवर	168	166.83	
18			नन्दूबाई पति मांगीलाल जाति तंवर	169	75.04	
19			नारदसिंह पिता चम्पालाल जाति तंवर	166	134.40	
20			करणसिंह पिता गोर्धन जाति तंवर	167	152.85	
21			रामबाबू पिता रतनलाल जाति तंवर	176	166.60	
22			मांगीलाल पिता गिरधारी जाति तंवर	178	52.70	
23			रामबाबू पिता गिरधारी जाति तंवर	179	78.26	
24			गोर्धन पिता खीमाजी जाति तंवर	72 C		
25			फूलसिंह पिता गोर्धन जाति तंवर	71		
योग					1218.91	
26	308/6	1.000	हीराबाई पति बालाबगस जाति सुतार	170	186.08	
27			भगवानसिंह पिता गंगाराम जाति तंवर	171	56.00	
28			धीरपसिंह पिता जगन्नाथ जाति तंवर	177	68.20	
योग					310.28	
Total :-					2825.34	
					या (हे.मे.)	0.283

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 8872-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित मकान की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2014-2015 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम गोपालपुरा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित आबादी की भूमि सर्वे न.28/15/1 रकबा 0.500 हेक्टेयर एवं सर्वे न. 58 रकबा 0.443 हेक्टेयर पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश मकानों का अर्जन किया जा चुका है धारा-11(3) के प्रावधानों का अनपालन पूर्व में किया जा चुका है।

—: अनुसूची (1) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :- ग्राम गोपालपुरा

स.क्र.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4		5
1	28/15/1	0.500	आबादी		509.93
2	58	0.443	आबादी		754.700
महायोग :-					1264.630

—: अनुसूची (2) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :- ग्राम गोपालपुरा

1	28/15/1	0.500	धीरपसिंह / माधु सौधिया	03	121.61
2			कल्दार / रामचन्द्र सुतार	06	25.56
3			हिन्दु / अमरसिंह सौधिया	11	85.80
4			पुरजी, मातीलाल, नारायणसिंह, उँकारसिंह हिन्दुसिंह पिता अमरसिंह सौधिया	14	81.90
5			पुरजी पिता अमरसिंह सौधिया	15	125.00
6			मोतीलाल पिता अमरसिंह सौधिया	16	33.32
7			नारायणसिंह पिता अमरसिंह सौधिया	17	36.74
योग :-					509.93
8	58	0.443	गजराज पिता बजेसिंह सौधिया	84	36.50
9			बनेसिंह पिता लालजी सौधिया	127	49.20
10			मोतीलाल पिता अमरसिंह सौधिया	128	24.00
11			भंवरीबाई पति सेवालाल हरिजन	189	25.00

स.क्र.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4		5
12			रेशमबाई पति कुमेरसिंह सौधिया	190	27.00
13			लाड़बाई पति गजराजसिंह सौधिया	191	64.00
14			गायत्रीबाई पति बीरम कलाबाई पति बनेसिंह सौधिया	192	88.00
15			सुरेश पिता बद्रीलाल सौधिया	193	120.00
16			जशरथ पिता रमेश सौधिया	194	120.00
17			रमेश पिता मोतीलाल सौधिया	195	120.00
18			देवबगस पिता मांगीलाल सुतार	196	81.00
योग :-					754.70
कुल योग :-					1264.630
				या (हे.में)	0.126

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 8873-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित मकान की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2014-2015 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम लक्ष्मणपुरा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित आबादी की भूमि सर्वे न. 133 रकबा 0.025 हेक्टेयर, सर्वे न. 164 रकबा 0.316 हेक्टेयर एवं सर्वे न. 217/3 रकबा 0.316 हेक्टेयर पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक

प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश मकानों का अर्जन किया जा चका है धारा-11(3) के प्रावधानों का अनपालन पूर्व में किया जा चका है।

—: अनुसूची (1) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :— ग्राम लक्ष्मणपुरा

स.क.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4		5
1	133	0.025	आबादी गांवठान		529.860
2	164	0.316	आबादी गांवठान		8161.640
3	217/3	0.316	आबादी		3479.620
	3	0.657			12171.120

—: अनुसूची (2) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :— ग्राम लक्ष्मणपुरा

1	164	0.316	कन्हैयालाल पिता देवीराम जाति तंवर	1	123.590
2			पर्वतसिंह पिता देवीराम जाति तंवर	1(i)	83.980
3			रोड़ीबाई पति देवीराम जाति तंवर	1(ii)	82.540
4			राजाराम पिता मोरसिंह जाति तंवर	2(i)	68.400
5			बापूलाल पिता रामसिंह जाति तंवर	3	128.980
6			राधेश्याम पिता बट्टीलाल जाति तंवर	4	67.450

स.क्र.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4		5
7			बद्रीलाल पिता रामसिंह जाति तंवर	4(i)	93.500
8			नारायण पिता बद्रीलाल जाति तंवर	4(ii)	93.100
9			मोतीलाल पिता गिरधारी जाति तंवर	5	194.720
10			हजारी पिता गोरधन जाति तंवर	8	68.200
11			नन्नूलाल पिता गोरधन, सुरेश पिता नन्नूलाल जाति तंवर	9	207.660
12			लालसिंह पिता गोरधन जाति तंवर	10	47.200
13			भंवरीबाई पति मांगीलाल जाति तंवर	12(i)	123.000
14			किशनलाल पिता हरिसिंह, भंवरलाल पिता हरिसिंह जाति तंवर	13	96.390
15			गंगाराम पिता नवलजी जाति तंवर	16(i)	40.710
16			रामनारायण पिता भंवरलाल जाति तंवर	17	226.630
17			प्रभूलाल पिता दोलजी जाति तंवर	18	233.440
18			जगदीश पिता चैनसिंह जाति तंवर	19	75.660
19			कुमेरसिंह पिता चैनसिंह जाति तंवर	20	48.280
20			मांगीलाल पिता चैनसिंह, इंदरसिंह पिता चैनसिंह जाति तंवर	22	99.480
21			नन्दराम पिता देवसिंह जाति तंवर	22(i)	144.120
22			श्रीलाल पिता गिरधारी जाति तंवर	24	65.200

स.क.	आबादी का विवरण हे.में:		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4		5
23			छगनसिंह पिता श्रीलाल जाति तंवर	24(i)	63.600
24			भारतसिंह पिता श्रीलाल जाति तंवर	25	82.470
25			रामप्रसाद पिता मांगीलाल जाति तंवर	26	87.720
26			धूलजी पिता मांगीलाल जाति तंवर	27	54.480
27			धीरपसिंह पिता मांगीलाल जाति तंवर	28	74.810
28			अभयसिंह पिता बद्रीलाल जाति तंवर	29	98.800
29			बनेसिंह पिता मोतीलाल, रमेश पिता मोतीलाल जाति तंवर	31	64.600
30			किशोरजी पिता गोपीलाल जाति तंवर	32	75.650
31			कैलाश पिता गंगाराम जाति तंवर	34	68.700
32			कमलसिंह पिता मांगीलाल जाति तंवर	35	88.170
33			मांगीलाल पिता भागचन्द्र जाति तंवर	37(iii)	42.580
34			खीमाजी पिता दोलजी जाति तंवर	38	84.230
35			भारतसिंह पिता खीमाजी जाति तंवर	38(i)	20.880
36			बीरम पिता रामकिशन, कंवरीबाई पिता रामकिशन जाति तंवर	39	183.740
37			दरियाव पिता किशोरजी जाति तंवर	40	30.000
38			मोतीलाल पिता गोपीलाल जाति तंवर	40(i)	33.750

स.क्र.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4		5
39			गोपीलाल पिता दोलजी जाति तंवर	42	146.030
40			करनसिंह पिता दोलजी , रामबगस पिता करनसिंह जाति तंवर	43	173.250
41			रंगलाल पिता नाथूलाल जाति तंवर	44	137.760
42			कमलसिंह पिता नाथूलाल जाति तंवर	45	137.760
43			गंगाराम पिता अमरलाल, केशरसिंह पिता गंगाराम जाति तंवर	46	120.140
44			तुलसीराम पिता चैनसिंह जाति तंवर	47	176.170
45			रामनारायण पिता भंवरलाल जाति तंवर	48	258.500
46			हीरालाल पिता बीरम जाति तंवर	50	72.150
47			बंशीलाल पिता ईशरजी जाति तंवर	51(i)	212.730
48			लाखन पित जगन्नाथ जाति तंवर	52(i)	58.560
49			उर्जन पिता गोरीलाल जाति तंवर	55	78.400
50			मांगीलाल पिता दोलजी जाति तंवर	56	103.800
51			प्रेमसिंह पिता चन्दाजी जाति तंवर	57	167.530
52			देवसिंह पिता हजारीलाल जाति तंवर	59	235.200
53			बनेसिंह पिता गुलाबसिंह जाति तंवर	60	78.390
54			प्रेमसिंह पिता देवीराम जाति तंवर	62	170.090

स.क.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4		5
55			राहुल पिता रूगनाथ जाति तंवर	64(i)	120.750 ✓
56			सुगनबाई पिता नारायणसिंह, दुर्गीबाई पति बजेसिंह, दल्लूबाई पति रूगनाथ जाति तंवर	64(ii)	91.000 ✓
57			बापूलाल पिता देवाजी जाति तंवर	66	230.150 ✓
58			भंवरीबाई पति बापूलाल जाति तंवर	66(i)	25.200 ✓
59			गुलाबबाई पति अमरसिंह जाति तंवर	66(iii)	63.700 ✓
60			प्रभूलाल पिता भंवरलाल जाति तंवर	67	123.540 ✓
61			महेश पिता प्रभूलाल जाति तंवर	67(i)	45.360 ✓
62			नारायणसिंह पिता मांगीलाल जाति तंवर	70	89.280 ✓
63			हीरालाल पिता बीरम जाति तंवर	72	87.060 ✓
64			मिथुन पिता हीरालाल जाति तंवर	72(i)	83.060 ✓
65			सुशीला पति मोहन जाति तंवर	72(ii)	64.750 ✓
66			हेमराज पिता प्रभूलाल जाति तंवर	72(iii)	96.750 ✓
67			रामचन्द्र पिता देवीसिंह जाति तंवर	74(ii)	149.160 ✓
68			मोतीलाल पिता गोपीलाल, रमेश, बनेसिंह पिता मोतीलाल जाति तंवर	75	297.920 ✓
69			नारायण पिता किशनलाल जाति तंवर	76	181.480 ✓
70			भंवरलाल पिता हरिसिंह जाति तंवर	77(i)	252.000 ✓

स.क.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4		5
71			कंचनबाई पति धूलजी जाति तंवर	77(ii)	43.260
72			पप्पु पिता गंगाराम जाति तंवर	78	127.360
73			रेशमबाई बेवा मोहनलाल जाति तंवर	80(ii)	24.420
74			भंवरीबाई पति हीरालाल जाति तंवर	80(iii)	31.320
75			राजाराम पिता भागचन्द जाति तंवर	80(iv)	41.250
योग :-					8161.640
76	133	0.025	रोड़ीबाई पिता भागचन्द जाति तंवर	80(v)	33.120
77			मोड़सिंह पिता काशीराम जाति तंवर	81	117.000
78			कैलाशबाई पिता कालूसिंह जाति तंवर	81(ii)	42.300
79			नोरंगबाई पिता कन्हैयालाल जाति तंवर	81(iii)	26.980
80			मनोहर, फूलसिंह, रमेश पिता खीमालाल जाति तंवर	83	310.460
योग :-					529.860
81	217/3	0.316	मोरसिंह पिता चैनसिंह जाति तंवर	85	229.210
82			विक्रम पिता मोरसिंह जाति तंवर	85(i)	66.030
83			जानीबाई पिता चैनसिंह जाति तंवर	85(ii)	52.400
84			रायसिंह पिता प्रेमसिंह जाति तंवर	88	167.270

स.क्र.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4	5	5
85			मांगीलाल पिता किशोरजी जाति तंवर	90	259.080
86			विष्णु पिता किशोर जाति तंवर	91	84.580
87			ओमप्रकाश पिता तुलसी जाति तंवर	94	84.600
88			केशरसिंह पिता गंगाराम जाति तंवर	96	115.370
89			कैलाश पिता गंगाराम, जगदीश पिता कैलाश जाति तंवर	96(i)	110.340
90			मोरमबाई पति कैलाश जाति तंवर	97	86.460
91			मंजूलता पिता कैलाश जाति तंवर	97(i)	86.460
92			भारत पिता गंगाराम जाति तंवर	98	101.880
93			गंगाराम पिता अमरलाल जाति तंवर	100	86.370
94			ललिताबाई पिता गंगाराम जाति तंवर	100(i)	44.100
95			प्रेमबाई बेवा मांगीलाल जाति तंवर	101	85.140
96			रामलखन पिता किशनलाल, गुड्डीगाई पति किशनलाल जाति तंवर	104	202.120
97			चेनसिंह पिता हजारी जाति तंवर	105	74.790
98			मांगीलाल पिता चेनसिंह जाति तंवर	106(iv)	84.590
99			इंदरसिंह पिता चेनसिंह जाति तंवर	106(i)	69.090
100			जगदीश पिता चेनसिंह जाति तंवर	106(ii)	69.090

स.क.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4		5
101			कुमेरसिंह पिता चैनसिंह जाति तंवर	106(iii)	96.400
102			मोहनसिंह पिता रामनारायण जाति तंवर	111	127.420
103			गोविंद पिता भंवरलाल जाति तंवर	112	91.080
104			पप्पु पिता गंगाराम जाति तंवर	114	47.040
105			मांगीलाल पिता दोलजी जाति तंवर	115	56.120
106			रामस्वरूप पिता रंगलाल जाति तंवर	122(i)	86.420
107			विष्णु पिता रामप्रसाद जाति तंवर	123	133.210
108			मोतीलाल पिता गोपीलाल जाति तंवर	123(i)	28.000
109			संतराबाई पिता पांचूलाल जाति तंवर	117	25.920
110			रामकन्याबाई पिता भंवरलाल जाति तंवर	125	98.280
111			संतराबाई पिता रायसिंह जाति तंवर	129	38.080
112			प्रेमसिंह पिता चंदरलाल जाति तंवर	57(1)	42.500
113			इंदरसिंह पिता प्रेमसिंह जाति तंवर	58(i)	42.500
114			दिनेश पिता करणसिंह जाति तंवर	126	69.080
115			नाथूलाल पिता प्यारजी जाति तंवर	44(i)	50.400
116			रेशमबाई पिता देवीलाल जाति तंवर	44(ii)	25.200

स.क.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4		5
117			रमेश पिता बंशीलाल जाति तंवर	51(ii)	150.560
118			रामबाबू पिता गुलाबसिंह जाति तंवर	60(i)	112.440
योग :-					3479.620
कुल योग :-					12171.120
				या (हे.में)	1.217

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 8874-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित मकान की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2014-2015 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम मांजरीखो के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित आबादी की भूमि सर्वे न.48 रकबा 0.252 हेक्टेयर पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश मकानों का अर्जन किया जा चुका है धारा-11(3) के प्रावधानों का अनुपालन पूर्व में किया जा चुका है।

-: अनुसूची (1) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :- ग्राम मांजरीखो

स.क.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4		5
1	48	0.252	आबादी		661.730
	1	0.252			661.730

-: अनुसूची (2) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :- ग्राम मांजरीखो

1	48	0.252	रामचन्द्र पिता पांचुलाल जाति तंवर	3	197.770	
				4	197.770	
2			देवी सिंह पिता गोपीलाल जाति तंवर	10 स	38.610	
3			कन्हैयालाल पिता मांगीलाल जाति तंवर	23 अ	27.850	
				23 ब	27.850	
				23 स	27.850	
				23 द	27.850	
				27 इ	27.850	
4			लाल सिंह पिता देवचन्द्र जाति तंवर	37 स	88.330	
योग :-					661.730	
					या (हे.में)	0.066

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 8875-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2013-2014 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम कराडिया के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है

किं निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित आबादी की भूमि सर्वे नं. 22 27/1/2 ,27/1/3 ,156 ,232, 27/3/1 रकबा 0.693 हेक्टेयर पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश मकानों का अर्जन किया जा चुका है धारा-11(3) के प्रावधानों का अनुपालन पूर्व में किया जा चुका है।

—: अनुसूची (1) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :- ग्राम कराडिया

स.क.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा.			
1	2	3	4		5
1	22	0.177	आबादी		644.290
2	27/1/2	0.101	आबादी		
3	27/1/3	0.101	आबादी		
4	156	0.051	आबादी		
5	232	0.013	आबादी		
6	27/3/1	0.250	आबादी		
महायोग :-					644.290

—: अनुसूची (2) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :- ग्राम कराडिया

1		शंकरलाल पिता मन्नालाल जाति तंवर	29	72.80
2		मांगीलाल पिता उदाजी जाति मेवाडे	35/2	7.20
3		भानू पिता कालूसिंह जाति राजपूत	54/2	141.80

स.क्र.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4		5
4			कान्हा पिता कालूसिंह जाति राजपूत	54/3	9.36
5			देवीसिंह पिता रामप्रसाद जाति तंवर	105/1	60.48
6			बद्रीलाल, राधेश्याम पिता रतनलाल	115	140.46
7			भारत पिता भंवरलाल जाति बंजारा	120	54.00
8			फूलसिंह पिता गोरीलाल जाति बंजारा	133	15.00
9			भारत पिता पप्पू जाति बंजारा	134	27.00
10			भंवरलाल पिता भावसिंह जाति बंजारा	140	80.80
11			भारत पिता भंवरलाल जाति बंजारा	151	14.00
12			भगवानसिंह पिता रामनाथ जाति मेवाडे	162/1	21.39
योग :-					644.290
				या (हे.में)	0.064

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 8876-भू-अर्जन-2015.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2014-2015 चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम नेशबोरदा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूँकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम नेशबोरदा

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर		
		सिंचित	असिंचित	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नेशबोरदा	4.748	4.230	8.978
कुलयोग :-		4.748	4.230	8.978

—: अनुसूची (2) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम नेशबोरदा

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
1	नन्दनसिंह, मोतीलाल, देवसिंह, रामनारायण पिता रामसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम गोगडिया	22/1	0.380	0.000	0.380	0.380
योग		1	0.380	0.000	0.380	0.380
2	प्रेमसिंह पिता माधूसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम घोघडिया स्वामी	22/2	0.379	0.000	0.379	0.379
योग		1	0.379	0.000	0.379	0.379
3	कालूसिंह पिता रामसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	24/5	0.379	0.379	0.000	0.379
		29/5	2.782	2.782	0.000	2.782
योग		2	3.161	3.161	0.000	3.161

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
4	मुकेश कुमार पिता बलवंतसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	29/3/2	0.927	0.000	0.927	0.927
	योग	1	0.927	0.000	0.927	0.927
5	हरिसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	2/3 9/3 11/3 29/1/13	0.054 0.054 0.060 0.363	0.054 0.054 0.060 0.363	0.000 0.000 0.000 0.000	0.054 0.054 0.060 0.363
	योग	4	0.531	0.531	0.000	0.531
6	रामरतन पिता जगन्नाथ जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	2/4 9/4 10/4 11/4	0.054 0.055 0.028 0.059	0.000 0.000 0.000 0.000	0.054 0.055 0.028 0.059	0.054 0.055 0.028 0.059
	योग	4	0.196	0.000	0.196	0.196
7	कृष्णबल्लभ पिता प्यारेलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	2/5 9/5 10/5 11/5 29/1/18	0.055 0.054 0.029 0.059 0.365	0.055 0.054 0.029 0.000 0.365	0.000 0.000 0.000 0.059 0.000	0.055 0.054 0.029 0.059 0.365
	योग	5	0.562	0.503	0.059	0.562
8	नारानसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	2/6 9/6 10/6 11/6 29/1/12	0.055 0.055 0.029 0.059 0.364	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.055 0.055 0.029 0.059 0.364	0.055 0.055 0.029 0.059 0.364
	योग	5	0.562	0.000	0.562	0.562
9	विजयसिंह पिता करणसिंह, धूलीबाई बेवा करणसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	2/7 9/7 10/7 11/7	0.072 0.072 0.038 0.079	0.000 0.000 0.000 0.000	0.072 0.072 0.038 0.079	0.072 0.072 0.038 0.079
	योग	4	0.261	0.000	0.261	0.261
10	सजनसिंह पिता दोलजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	2/8/1 9/8/1 10/8/1 11/8/1 29/1/9	0.024 0.024 0.013 0.026 0.162	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.024 0.024 0.013 0.026 0.162	0.024 0.024 0.013 0.026 0.162
	योग	5	0.249	0.000	0.249	0.249
11	जगदीश पिता दोलजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	2/8/2 9/8/2 10/8/2 11/8/2 29/1/10	0.025 0.024 0.013 0.026 0.162	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.025 0.024 0.013 0.026 0.162	0.025 0.024 0.013 0.026 0.162
	योग	5	0.250	0.000	0.250	0.250

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
12	प्रतापसिंह पिता दोलजी, लीलाबाई विधवा दोलजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	2/8/3 9/8/3 10/8/3 11/8/3 29/1/11	0.024 0.025 0.012 0.027 0.163	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.024 0.025 0.012 0.027 0.163	0.024 0.025 0.012 0.027 0.163
	योग	5	0.251	0.000	0.251	0.251
13	बलवंतसिंह पिता करणसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	2/9 9/9 10/9 11/9 29/1/8	0.073 0.073 0.038 0.079 0.484	0.073 0.073 0.038 0.079 0.290	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.073 0.073 0.038 0.079 0.290
	योग	5	0.747	0.553	0.000	0.553
14	सतीश ना.बा.पिता चन्द्रसिंह, अक्ताबाई राखी, पूजा ए काली ना.बा. पुत्री चन्द्रसिंह सर.माता ललताबाई देवा चन्द्रसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	29/1/17	0.090	0.000	0.090	0.090
	योग	1	0.090	0.000	0.090	0.090
15	कमलसिंह पिता रामरतन, रामकलाबाई पुत्री रामरतन जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	29/1/16	0.090	0.000	0.090	0.090
	योग	1	0.090	0.000	0.090	0.090
16	यादवसिंह पिता रामरतन जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	29/1/15	0.091	0.000	0.091	0.091
	योग	1	0.091	0.000	0.091	0.091
17	पृथ्वीसिंह पिता रामरतन जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	29/1/14	0.091	0.000	0.091	0.091
	योग	1	0.091	0.000	0.091	0.091
18	कैलाशबाई, मनोहरबाई, सुशीलाबाई, पवित्राबाई पिता प्यारेलाल, भवरीबाई देवा प्यारेलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	25/1/4	0.354	0.000	0.354	0.354
	योग	1	0.354	0.000	0.354	0.354
	कुलयोग :-	52	9.172	4.748	4.230	8.978

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 8877-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2014-2015 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम लाइनपुर के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम लाइनपुर

स. क.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर		
		सिंचित	असिंचित	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	लाइनपुर	119.394	6.400	125.794
कुलयोग :-		119.394	6.400	125.794

—: अनुसूची (2) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम लाइनपुर

स. क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
1	अनारसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	127/332/2/2	0.518	0.518	0.000	0.518
		188/2	0.050	0.050	0.000	0.050
		189/2	0.835	0.835	0.000	0.835
		198/2	0.007	0.007	0.000	0.007
		200/2	0.228	0.228	0.000	0.228
	योग	6	1.663	1.663	0.000	1.663
2	अर्जनसिंह पिता मोड़सिंह राजपूत नि ग्राम भू-स्वामी	218	0.278	0.278	0.000	0.278
		231	0.038	0.038	0.000	0.038
		233	0.089	0.089	0.000	0.089
		235	0.025	0.025	0.000	0.025
	योग	4	0.430	0.430	0.000	0.430

स. क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
3	इन्द्रसिंह, अनोख सिंह पिता पर्वतसिंह मु पेपकुवर बेवा पर्वतसिंह राजपुत नि ग्राम भू-स्वामी	155/334/1	0.582	0.582	0.000	0.582
		169	0.304	0.304	0.000	0.304
		169/338	0.076	0.076	0.000	0.076
	योग	3	0.962	0.962	0.000	0.962
4	अनोखबाई पति गजराज सिंह रूबाला नि ग्राम भू-स्वामी	9/1/4	0.822	0.822	0.000	0.822
		योग	1	0.822	0.822	0.000
5	उंकारसिंह पिता कोकसिंह राजपुत नि ग्राम भू-स्वामी	251/1	0.063	0.063	0.000	0.063
		301/2/1	0.084	0.084	0.000	0.084
		योग	2	0.147	0.147	0.000
6	कमल सिंह पिता उमरावसिंह राजपुत नि ग्राम भू-स्वामी	196/4/2	0.196	0.196	0.000	0.196
		211/3	0.084	0.084	0.000	0.084
		226/1/1	0.076	0.076	0.000	0.076
		227/2	0.025	0.025	0.000	0.025
		230/4	0.022	0.022	0.000	0.022
		279/2/3	0.079	0.079	0.000	0.079
	योग	6	0.482	0.482	0.000	0.482
7	कनीराम पिता मुन्नालाल बंजारा नि ग्राम भू-स्वामी	299/6	0.069	0.069	0.000	0.069
		योग	1	0.069	0.069	0.000
8	कुमरसिंह पिता अर्जुनसिंह राजपुत नि.ग्राम भू-स्वामी	110/2/2	0.034	0.034	0.000	0.034
		234	0.063	0.063	0.000	0.063
		236/1	0.007	0.007	0.000	0.007
		255/1	0.026	0.026	0.000	0.026
		256/1	0.007	0.007	0.000	0.007
		176/3/1	1.687	1.687	0.000	1.687
		280/2/1	0.408	0.408	0.000	0.408
	योग	7	2.232	2.232	0.000	2.232
9	कालुसिंह पिता दंवीसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	286/1/1	0.999	0.999	0.000	0.999
		योग	1	0.999	0.999	0.000

स. क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
10	गोवर्धनसिंह पिता उमरावसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	279/2/1	0.078	0.078	0.000	0.078
	योग	1	0.078	0.078	0.000	0.078
11	गोवर्धनसिंह हिन्दुसिंह प्रेमसिंह विजयसिंह कमलसिंह पिता उमरावसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	279/2/6	0.025	0.025	0.000	0.025
	योग	1	0.025	0.025	0.000	0.025
12	गंगाबाई पति रतनलाल सौंध्या नि. ग्राम भू-स्वामी	9/1/1/1 9/335/2	2.426 0.493	2.426 0.493	0.000 0.000	2.426 0.493
	योग	2	2.919	2.919	0.000	2.919
13	गोपीलाल मांगीलाल पिता उम्मेदराम सौंध्या नि. ग्राम भू-स्वामी	3/337/2 223 224 225/1 242 243 244 245 246	1.580 0.101 0.076 0.236 0.013 0.215 0.038 0.304 0.076	1.580 0.101 0.076 0.236 0.013 0.215 0.038 0.304 0.076	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	1.580 0.101 0.076 0.236 0.013 0.215 0.038 0.304 0.076
	योग	9	2.639	2.639	0.000	2.639
14	गोपीलाल पिता मुन्नालाल बंजारा नि. ग्राम भू-स्वामी	299/4	0.070	0.070	0.000	0.070
	योग	1	0.070	0.070	0.000	0.070
15	ग्यारसीराम शम्भु पिता घीसा चमार नि. ग्राम भू-स्वामी	278/1/2	0.500	0.500	0.000	0.500
	योग	1	0.500	0.500	0.000	0.500
16	गुमान कुँवर पति अनार सिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	127/332/1/1 188/1 189/1 198/1 200/1 219/1	0.455 0.051 0.742 0.006 0.227 0.026	0.455 0.051 0.742 0.006 0.227 0.026	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.455 0.051 0.742 0.006 0.227 0.026
	योग	6	1.507	1.507	0.000	1.507

स. क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
17	ग्यारसीराम पिता घीसा चमार नि. ग्राम भू-स्वामी	250	0.013	0.013	0.000	0.013
		254/1	0.038	0.038	0.000	0.038
	योग	2	0.051	0.051	0.000	0.051
18	चेनसिंह पिता प्यारजी सौध्या नि. ग्राम भू-स्वामी	258/2	0.026	0.026	0.000	0.026
		260/3	0.076	0.076	0.000	0.076
	योग	2	0.102	0.102	0.000	0.102
19	छगनलाल जीतमल पिता भागमल रूहेला नि. ग्राम भू-स्वामी	203	0.316	0.316	0.000	0.316
	योग	1	0.316	0.316	0.000	0.316
20	छोगमल पिता मुन्नालाल रूहेला नि. ग्राम भू-स्वामी	109/1/3	0.015	0.015	0.000	0.015
		124/5/6	0.021	0.021	0.000	0.021
		132/326/1/4	0.157	0.157	0.000	0.157
		194/2/2	0.011	0.011	0.000	0.011
		206/3/2	0.021	0.021	0.000	0.021
		270/4	0.260	0.260	0.000	0.260
		272/2/2	0.090	0.090	0.000	0.090
	योग	8	1.017	1.017	0.000	1.017
21	छमाबाई पति गोरीलाल कमला बाई सोरमबाई पिता गोरीलाल खुशीलाल पिता कनीराम रूहेला नि. ग्राम भू-स्वामी	2/2	1.300	1.300	0.000	1.300
	योग	1	1.300	1.300	0.000	1.300
22	जगदीशसिंह पिता हरिसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	284/3	0.300	0.300	0.000	0.300
	योग	1	0.300	0.300	0.000	0.300
23	दिलीपसिंह पिता अर्जुनसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	110/2/1	0.034	0.034	0.000	0.034
		176/3/2	2.879	2.879	0.000	2.879
		236/2	0.006	0.006	0.000	0.006
		255/2	0.025	0.025	0.000	0.025
		256/2	0.006	0.006	0.000	0.006
	योग	6	3.358	3.358	0.000	3.358

सं. क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
24	दरियावसिंह पिता मुन्नालाल रुहेला नि. ग्राम भू-स्वामी	109/1/1	0.016	0.016	0.000	0.016
		124/5/2	0.021	0.021	0.000	0.021
		194/2/7	0.011	0.011	0.000	0.011
		206/3/7	0.021	0.021	0.000	0.021
		270/7	0.261	0.261	0.000	0.261
		272/2/7	0.090	0.090	0.000	0.090
		272/340/2/7	0.443	0.443	0.000	0.443
	योग	7	0.863	0.863	0.000	0.863
25	दिनेश महेश पिता नरसंग रुहेला नि. ग्राम भू-स्वामी	108/2	0.057	0.057	0.000	0.057
		193/4	0.079	0.079	0.000	0.079
		194/1	0.063	0.063	0.000	0.063
		124/3	0.042	0.042	0.000	0.042
	योग	4	0.241	0.241	0.000	0.241
26	दत्तात्रय टंडन पिता फततुलाला छीपा राम रुहेला नि. ग्राम भू-स्वामी	301/2/2	0.085	0.000	0.085	0.085
	योग	1	0.085	0.000	0.085	0.085
27	धीरपसिंह पिता रत्तीराम रुहेला नि. ग्राम भू-स्वामी	189/3/1	0.085	0.085	0.000	0.085
	योग	1	0.085	0.085	0.000	0.085
28	धीरपसिंह पिता प्यारजी सौध्या नि. ग्राम भू-स्वामी	257/1	0.025	0.025	0.000	0.025
		260/4	0.076	0.076	0.000	0.076
		261	0.126	0.126	0.000	0.126
	योग	3	0.227	0.227	0.000	0.227
29	नानजी पिता मुन्ना लाल रुहेला नि. ग्राम भू-स्वामी	109/1/8	0.016	0.016	0.000	0.016
		124/5/1	0.022	0.022	0.000	0.022
		194/2/8	0.012	0.012	0.000	0.012
		206/3/8	0.021	0.021	0.000	0.021
		270/5	0.261	0.261	0.000	0.261
		272/2/5	0.090	0.090	0.000	0.090
	योग	7	0.865	0.865	0.000	0.865

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
30	नारायण सिंह पिता प्यारजी सौध्या नि. ग्राम भू-स्वामी	257/3	0.026	0.026	0.000	0.026
		260/1	0.076	0.076	0.000	0.076
	योग	2	0.102	0.102	0.000	0.102
31	नौरंग बाई पति गोपीलाल सौध्या नि. ग्राम भू-स्वामी	9/335/4	0.247	0.247	0.000	0.247
		9/336	0.506	0.506	0.000	0.506
	योग	2	0.753	0.753	0.000	0.753
32	पुनमचंद पिता रत्तीराम रूहेला नि. ग्राम भू-स्वामी	108/1	0.057	0.057	0.000	0.057
		124/2	0.043	0.043	0.000	0.043
		189/3/2	0.008	0.008	0.000	0.008
		193/3	0.142	0.142	0.000	0.142
	योग	4	0.250	0.250	0.000	0.250
33	प्रभु पिता चेना भोपा नि. ग्राम भू-स्वामी	202/2	0.011	0.011	0.000	0.011
	योग	1	0.011	0.011	0.000	0.011
34	प्रेमसिंह पिता उमरावसिंह अनार बाई बेवा उमरावसिंह राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी	211/2	0.084	0.084	0.000	0.084
		226/1/3	0.076	0.076	0.000	0.076
		227/3	0.025	0.025	0.000	0.025
		230/3	0.022	0.022	0.000	0.022
		279/2/4	0.078	0.078	0.000	0.078
		196/4/1	0.069	0.069	0.000	0.069
	योग	6	0.354	0.354	0.000	0.354
35	प्रेमसिंह पिता ग्यारसीराम चमार नि. ग्राम भू-स्वामी	278/1/1	0.500	0.500	0.000	0.500
		278/4/1	0.250	0.250	0.000	0.250
		278/5/2	0.250	0.250	0.000	0.250
		278/8/2	0.192	0.192	0.000	0.192
		289/1/1	0.050	0.050	0.000	0.050
		289/1/3	0.050	0.050	0.000	0.050
	योग	6	1.292	1.292	0.000	1.292
36	प्रेमसिंह अमृतसिंह पिता देवीलाल काली बाई वि. देवीलाल नाई नि. ग्राम भू-स्वामी	106	0.063	0.063	0.000	0.063
		110/1	0.085	0.085	0.000	0.085
	योग	2	0.148	0.148	0.000	0.148

स. क्र.	प्रभावित कृषक का.नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
37	बाबुलाल पिता रतीराम रुहेला नि. ग्राम भू-स्वामी	127/332/1/2	0.443	0.443	0.000	0.443
	योग	1	0.443	0.443	0.000	0.443
38	बंशीलाल पिता प्यारजी सौंध्या नि. ग्राम भू-स्वामी	258/1	0.025	0.025	0.000	0.025
		260/2	0.076	0.076	0.000	0.076
	योग	2	0.101	0.101	0.000	0.101
39	बापुलाल पिता प्यारजी सौंध्या नि. ग्राम भू-स्वामी	257/2	0.025	0.025	0.000	0.025
		259	0.076	0.076	0.000	0.076
	योग	2	0.101	0.101	0.000	0.101
40	बापु पिता नाथु चमार नि. ग्राम भू-स्वामी	12/1/1	0.999	0.000	0.999	0.999
		277/2	0.531	0.000	0.265	0.265
	योग	1	1.530	0.000	1.264	1.264
41	बिहारीलाल प्रेमसिंह भारतसिंह गजराजसिंह पिता जगन्नाथ मु. जानकी बाई वि. जगन्नाथ रुवाला नि. ग्राम भू-स्वामी	272/1	12.026	12.026	0.000	12.026
	योग	1	12.026	12.026	0.000	12.026
42	भंवरलाल छगनलाल जीत जीतमल पिता भागमल रुहेला नि. ग्राम भू-स्वामी	50/1	0.019	0.019	0.000	0.019
		55	0.873	0.873	0.000	0.873
		109/2	0.026	0.026	0.000	0.026
		123	0.076	0.076	0.000	0.076
		124/6	0.092	0.092	0.000	0.092
		125	0.557	0.557	0.000	0.557
		206/1	0.247	0.247	0.000	0.247
		213	0.240	0.240	0.000	0.240
		267/1	2.276	2.276	0.000	2.276
		268/3	3.542	3.542	0.000	3.542
		269/2	1.518	1.518	0.000	1.518
		271	1.480	1.480	0.000	1.480
		132/326/2	0.379	0.379	0.000	0.379
	योग	13	11.325	11.325	0.000	11.325
43	भंवरलाल पिता भागमल रुहेला नि.ग्राम भू-स्वामी	284/4	0.500	0.500	0.000	0.500
	योग	1	0.500	0.500	0.000	0.500

स. क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
44	भंवरलाल पन्नालाल गोरीलाल प्रभुलाल खुशीलाल पिता कनीराम हि. 1/4 मांगीलाल चन्दर पिता बापु हि.1/4 मांगीलाल पिता जालम पिता रत्तीराम नरसंग पिता नन्दराम भागमल मुन्नालाल पिता हीरालाल हि.1/4 बद्रीलाल पिता देवचन्द किशनलाल बंशीलाल आ.अमरसिंह बिहारीलाल भारतसिंह प्रमराज रामसिंह आ. जगन्नाथ मु. जानीबाई बेवा जगन्नाथ रुहेला	43	0.025	0.025	0.000	0.025
	योग	1	0.025	0.025	0.000	0.025
45	भोनजी पिता कनीराम भंवरलाल धनराज राधेश्याम रामरतन पिता घीसालाल सम्प्रतबाई वि. घीसालाल देवबाई बेवा कनीराम सौध्या नि. ग्राम भू-स्वामी	262 263 264 265 266 267/2 268/2 268/4	0.354 0.038 0.291 0.126 0.278 0.759 0.797 0.278	0.354 0.038 0.291 0.126 0.278 0.759 0.797 0.278	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.354 0.038 0.291 0.126 0.278 0.759 0.797 0.278
	योग	8	2.921	2.921	0.000	2.921
46	भारतसिंह पिता मोकमसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	163/2 164/2 286/2/2 73/1/1	0.120 0.120 1.300 0.038	0.120 0.120 1.300 0.038	0.000 0.000 0.000 0.000	0.120 0.120 1.300 0.038
	योग	4	1.578	1.578	0.000	1.578
47	भंवरलाल प्रभुलाल खुशीलाल आ. कनीराम घीसी बाई बेवा पन्नालाल देवनारायण गंगा भगवती बाई दरियाव बाई पिता पन्नालाल कमला पति श्रीनाथ सोरम पति प्रेमसिंह छमाबाई बेवा गोरेलाल जाति रुहेला नि. ग्राम भू-स्वामी	34/1 84/4 220 221 252 253	0.366 3.794 0.025 0.202 0.063 0.076	0.366 3.794 0.025 0.202 0.063 0.076	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.366 3.794 0.025 0.202 0.063 0.076
	योग	6	4.526	4.526	0.000	4.526
48	रघुवीरसिंह गोपालसिंह प्यारसिंह करण सिंह हिम्मरसिंह पिता भीमसिंह रूपकुंवर बेवा भीमसिंह नि. ग्राम भू-स्वामी	232 248 280/1	0.089 0.025 1.118	0.089 0.025 1.118	0.000 0.000 0.000	0.089 0.025 1.118
	योग	3	1.232	1.232	0.000	1.232

स. क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
49	भगवानसिंह पिता कोकसिंह राजपुत नन्दा चमार नि. ग्राम भू-स्वामी	251/2	0.051	0.051	0.000	0.051
		201/1	0.011	0.000	0.011	0.011
		301/2/5	0.084	0.084	0.000	0.084
	योग	3	0.146	0.135	0.011	0.146
50	भंवरिया अनार लीला पिता नन्दा चमार नि. बख्तावरपुरा	323/3	2.023	0.800	0.000	0.800
		योग	1	2.023	0.800	0.000
51	मोहनसिंह पिता भेरूसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	176/4	1.832	1.832	0.000	1.832
		योग	1	1.832	1.832	0.000
52	मांगीलाल पिता मुन्नालाल बंजारा नि. ग्राम भू-स्वामी	299/3	0.069	0.000	0.069	0.069
		योग	1	0.069	0.000	0.069
53	मांगीलाल पिता नेदराम रूहैला नि. ग्राम भू-स्वामी	111	0.051	0.051	0.000	0.051
		112	0.101	0.101	0.000	0.101
		113	0.038	0.038	0.000	0.038
		124/1	0.042	0.042	0.000	0.042
		193/2	0.143	0.143	0.000	0.143
	योग	5	0.375	0.375	0.000	0.375
54	मांगीलाल नरसंग जगदीश पिता गोरी लाल रूहैला नि. ग्राम भाटखेड़ी	279/1	10.270	10.270	0.000	10.270
		योग	1	10.270	10.270	0.000
55	मदनलाल पिता प्रमसिंह सौध्या नि. ग्राम मांडाखेड़ा	90/2/1	2.213	2.000	0.000	2.000
		योग	1	2.213	2.000	0.000
56	मुन्नालाल पिता हीरालाल रूहैला नि. ग्राम भू-स्वामी	99/2	1.518	1.518	0.000	1.518
		132/326/1/6	0.157	0.157	0.000	0.157
	योग	2	1.675	1.675	0.000	1.675

स. क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
57	मथरालाल पिता बलदेव नंदराम बनवारीलाल	57	0.038	0.038	0.000	0.038
	गोपाल पिता लखमीचन्द संतोष बाई राधा बाई	100/1	1.581	1.581	0.000	1.581
	पिता लखमीचंद मु. गंगाबाई वि. लखमीचंद पिता	214	0.114	0.114	0.000	0.114
	बलदेव धाकड़ पीपलहेड़ा भू-स्वामी	222	0.025	0.025	0.000	0.025
		238	0.051	0.051	0.000	0.051
		240	0.304	0.304	0.000	0.304
	योग	6	2.113	2.113	0.000	2.113
58	रामनारायण पिता बापुलाल रूहेला नि. ग्राम	56	0.658	0.658	0.000	0.658
	भू-स्वामी	97/2/1	1.843	1.843	0.000	1.843
		104	0.190	0.190	0.000	0.190
		133/2/1	0.174	0.174	0.000	0.174
		208	0.266	0.266	0.000	0.266
	योग	5	3.131	3.131	0.000	3.131
59	रत्तीराम पिता भँवरलाल रूहेला नि. ग्राम	4/3	0.025	0.025	0.000	0.025
	भू-स्वामी	85/3	1.253	1.253	0.000	1.253
	योग	2	1.278	1.278	0.000	1.278
60	रमेश जुझारसिंह राधेश्याम प्रेमनारायण पिता	114	0.063	0.063	0.000	0.063
	जालम सिंह जसुबाई बेवा जालमसिंह रूहेला नि.	115	0.481	0.481	0.000	0.481
	ग्राम भू-स्वामी	124/4	0.042	0.042	0.000	0.042
		132/2/1	0.225	0.225	0.000	0.225
		193/1	0.142	0.142	0.000	0.142
		155/334/2	0.354	0.354	0.000	0.354
	योग	6	1.307	1.307	0.000	1.307
61	रामबाबु पिता ग्यारसीराम चमार नि. ग्राम	278/1/2	0.500	0.500	0.000	0.500
	भू-स्वामी	278/4/2	0.250	0.250	0.000	0.250
		278/5/1	0.250	0.250	0.000	0.250
		278/8/1	0.192	0.192	0.000	0.192
		289/1/4	0.050	0.050	0.000	0.050
		289/1/2	0.050	0.000	0.050	0.050
	योग	6	1.292	1.242	0.050	1.292

स. क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
62	रामबाबु तुलाराम पिता बंदीलाल मु. रूकमाबाई	48	0.076	0.076	0.000	0.076
	बेवा बंदीलाल देवचन्द पिता किशनलाल	49	0.038	0.038	0.000	0.038
	घीसालाल चन्द्रसिंह कालूराम पिता बंशीलाल	51	0.013	0.013	0.000	0.013
	बिहारी प्रेम भारतसिंह गजराजसिंह पिता	52	0.455	0.455	0.000	0.455
	जगन्नाथ मु.जानीबाई बेवा जगन्नाथ रुहेला नि.	53	0.316	0.316	0.000	0.316
	ग्राम भू-स्वामी	54	4.085	4.085	0.000	4.085
		58	0.177	0.177	0.000	0.177
		107	0.126	0.126	0.000	0.126
		118	0.379	0.379	0.000	0.379
		119	0.228	0.228	0.000	0.228
	122	0.063	0.063	0.000	0.063	
	207/1	0.215	0.215	0.000	0.215	
	योग	12	6.171	6.171	0.000	6.171
63	रामबाबु तुलाराम पिता बंदीलाल रूकमीबाई बेवा बंदीलाल देवचन्द पिता किशनलाल बिहारी लाल प्रेमसिंह भारतसिंह गजराजसिंह पिता जगन्नाथ मांगीलाल जालम रत्तीराम नरसंग	3	1.354	1.354	0.000	1.354
	योग	1	1.354	1.354	0.000	1.354
64	रूकमीबाई बेवा बमरा रुहेला नि. गाम भू-स्वामी	85/2	2.000	2.000	0.000	2.000
	योग	1	2.000	2.000	0.000	2.000
65	रामपालसिंह पवित्रा पिता जगदीशसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	286/1/2	0.998	0.998	0.000	0.998
	योग	1	0.998	0.998	0.000	0.998
66	लक्ष्मीनारायण पिता रत्तीराम रुहेला नि. ग्राम भू-स्वामी	182/4	0.408	0.408	0.000	0.408
	योग	1	0.408	0.408	0.000	0.408
67	लालसिंह पिता मुन्नालाल रुहेला नि. ग्राम भू-स्वामी	109/1/7	0.016	0.016	0.000	0.016
		124/5/8	0.021	0.021	0.000	0.021
		194/2/4	0.011	0.011	0.000	0.011
		206/3/4	0.021	0.021	0.000	0.021
		270/8	0.261	0.261	0.000	0.261
		272/2/8	0.090	0.090	0.000	0.090
		272/340/2/8	0.443	0.443	0.000	0.443
	योग	7	0.863	0.863	0.000	0.863

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
68	विजयसिंह पिता उमराव सिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	69/331	0.063	0.063	0.000	0.063
		202/1	0.022	0.022	0.000	0.022
		226/1/2	0.076	0.076	0.000	0.076
		227/1	0.025	0.025	0.000	0.025
		230/2	0.023	0.023	0.000	0.023
		249	0.089	0.089	0.000	0.089
		279/2/2	0.079	0.079	0.000	0.079
		301/1	0.721	0.000	0.100	0.100
	योग	8	1.098	0.377	0.100	0.477
69	विजयसिंह प्रेमसिंह पिता उमरावसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	195/2	0.266	0.266	0.000	0.266
		योग	1	0.266	0.266	0.000
70	विपतसिंह पिता रतनसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	103/2	0.017	0.017	0.000	0.017
		204/2	0.110	0.110	0.000	0.110
	योग	2	0.127	0.127	0.000	0.127
71	विशाल पिता श्याम सुन्दर महाजन भू-स्वामी	3/337/1	1.581	1.581	0.000	1.581
		268/1	0.455	0.455	0.000	0.455
	योग	2	2.036	2.036	0.000	2.036
72	विपतसिंह सुन्दरसिंह आ. रतनसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	154/333	0.417	0.417	0.000	0.417
		204/1	0.219	0.219	0.000	0.219
		205/1	0.025	0.025	0.000	0.025
		103/1	0.034	0.034	0.000	0.034
	योग	4	0.695	0.695	0.000	0.695
73	विजयसिंह पिता मुन्नालाल रूहेला नि. ग्रा. भू-स्वामी	109/1/2	0.016	0.016	0.000	0.016
		124/5/3	0.021	0.021	0.000	0.021
		132/326/1/3	0.157	0.157	0.000	0.157
		194/2/6	0.011	0.011	0.000	0.011
		206/3/6	0.022	0.022	0.000	0.022
		270/6	0.261	0.261	0.000	0.261
		272/2/6	0.091	0.091	0.000	0.091
272/340/2/6	0.443	0.443	0.000	0.443		
	योग	8	1.022	1.022	0.000	1.022

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
74	शान्तीबाई पति शंकरलाल रूहैला नि. ग्राम भू-स्वामी	9/1/2	0.316	0.316	0.000	0.316
	योग	1	0.316	0.316	0.000	0.316
75	सीमाबाई पति विजयसिंह रूहैला नि. ग्राम भू-स्वामी	9/1/3	0.316	0.316	0.000	0.316
	योग	1	0.316	0.316	0.000	0.316
76	शिवनारायण पिता रामनारायण रूहैला नि. ग्राम भू-स्वामी	36/1	0.063	0.063	0.000	0.063
		97/1/1	2.556	2.556	0.000	2.556
		100/2	1.290	1.290	0.000	1.290
		120	0.266	0.266	0.000	0.266
	योग	4	4.175	4.175	0.000	4.175
77	शोभाराम पिता मुन्नालाल बंजारा नि. ग्राम भू-स्वामी	299/5	0.069	0.069	0.000	0.069
	योग	1	0.069	0.069	0.000	0.069
78	शिवनारायण पिता मांगीलाल रामनारायण पिता बापुलाल रूहैला नि. ग्राम भू-स्वामी	117	0.253	0.253	0.000	0.253
		96	0.190	0.190	0.000	0.190
	योग	1	0.443	0.443	0.000	0.443
79	शंकरलाल पिता मुन्नालाल रूहैला नि.ग्राम भू-स्वामी	109/1/6	0.016	0.016	0.000	0.016
		124/5/5	0.021	0.021	0.000	0.021
		132/326/1/2	0.157	0.157	0.000	0.157
		194/2/3	0.011	0.011	0.000	0.011
		206/3/3	0.021	0.021	0.000	0.021
		270/1	0.261	0.261	0.000	0.261
		272/2/4	0.090	0.090	0.000	0.090
	योग	8	1.019	1.019	0.000	1.019
80	सुरेन्द्रसिंह पिता करणसिंह सौध्या नि. ग्राम भू-स्वामी	9/335/3	0.247	0.247	0.000	0.247
		90/4/2	0.421	0.000	0.084	0.084
		90/4/4	0.421	0.000	0.084	0.084
	योग	1	1.089	0.247	0.168	0.415

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
81	शंकर पिता रामलाल भोपा नि. ग्राम भू-स्वामी	268/5	0.506	0.506	0.000	0.506
		272/339/2	1.543	1.543	0.000	1.543
		99/3	3.794	2.800	0.000	2.800
		योग	3	5.843	4.849	0.000
82	सुमित्रा बाई पति भीमसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	127/332/2/1	0.379	0.379	0.000	0.379
		योग	1	0.379	0.379	0.000
83	हिन्दुसिंह पिता उमरावसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	211/1	0.085	0.085	0.000	0.085
		226/1/4	0.076	0.076	0.000	0.076
		227/4	0.026	0.026	0.000	0.026
		228	0.569	0.569	0.000	0.569
		229	0.354	0.354	0.000	0.354
		230/1	0.022	0.022	0.000	0.022
		279/2/5	0.078	0.078	0.000	0.078
योग	7	1.210	1.210	0.000	1.210	
84	हरिसिंह पिता कोकसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	196/3	0.355	0.355	0.000	0.355
		301/2/6	0.085	0.000	0.085	0.085
		299/1	0.070	0.000	0.070	0.070
		299/2	0.070	0.000	0.070	0.070
योग	4	0.580	0.355	0.225	0.580	
85	हेमराज सिंह पिता मोकमसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	73/2	0.051	0.051	0.000	0.051
		163/1	0.120	0.120	0.000	0.120
		164/1	0.120	0.120	0.000	0.120
		286/2/1	0.215	0.215	0.000	0.215
		152/2	0.063	0.036	0.000	0.036
योग	5	0.569	0.542	0.000	0.542	

स. क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
86	हरिनारायण पिता मुन्नालाल रुहेला नि. ग्राम भू-स्वामी	109/1/4	0.016	0.016	0.000	0.016
		124/5/4	0.021	0.021	0.000	0.021
		132/326/1/5	0.157	0.157	0.000	0.157
		194/2/5	0.011	0.011	0.000	0.011
		206/3/5	0.022	0.022	0.000	0.022
		272/2/3	0.090	0.090	0.000	0.090
		272/340/2/3	0.443	0.443	0.000	0.443
		270/3	0.261	0.261	0.000	0.261
	योग	7	1.021	1.021	0.000	1.021
87	जगन्नाथ पिता कोकसिंह जति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी	301/2/3	0.084	0.000	0.084	0.084
	योग	1	0.084	0.000	0.084	0.084
88	प्रेमसिंह पिता कोकसिंह जति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी	301/2/4	0.084	0.000	0.084	0.084
	योग	1	0.084	0.000	0.084	0.084
89	प्रेमसिंह पिता उमरावसिंह जति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी	269/6	1.265	0.000	0.070	0.070
	योग	1	1.265	0.000	0.070	0.070
90	बद्रीलाल पिता किशनलाल जति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी	269/3/1/1	3.946	0.000	1.900	1.900
	योग	1	3.946	0.000	1.900	1.900
91	बलराम पिता नंदराम जति धाकड़ नि. ग्राम भू-स्वामी	300	0.215	0.000	0.215	0.215
	योग	1	0.215	0.000	0.215	0.215
92	शिवनारायण पिता मुन्नालाल जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी	124/5/7	0.021	0.021	0.000	0.021
		132/326/1/1	0.157	0.000	0.157	0.157
		194/2/1	0.011	0.000	0.011	0.011
		270/2	0.260	0.000	0.260	0.260
		206/3/1	0.021	0.000	0.021	0.021
		272/340/2/1	0.442	0.000	0.442	0.442
		109/1/5	0.015	0.000	0.015	0.015
	योग	7	0.927	0.021	0.906	0.927
93	देवीलाल पिता मुन्नालाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	85/4	1.000	0.000	1.000	1.000
	योग	1	1.000	0.000	1.000	1.000
94	नानूबाई पति प्रभूलाल जाति रूवाला नि.ग्राम मांडाखेड़ा	90/4/3	0.844	0.000	0.169	0.169
	योग	1	0.844	0.000	0.169	0.169
कुलयोग :-		308	133.728	119.394	6.400	125.794

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 22 जुलाई 2016

प्र. क्र. 05-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सुजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में.)	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	हरसी	253	0.014	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय	हरसी उच्चस्तरीय नहर
			254	0.115	नहर संभाग क्र. 2, डबरा, जिला	निर्माण हेतु.
			योग . . .	0.129	ग्वालियर.	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 14 अक्टूबर 2016

संशोधित अधिसूचना

प्र. क्र.3-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1)		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
होशंगाबाद	बाबई	बागरा मानामांवा	1.087	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद.	बागरातवा स्टेशन से सोनतलाई स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन के दोहरीकरण परियोजना हेतु ग्राम बागरामानामांवा की निजी भूमि का अर्जन.	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.—बागरातवा स्टेशन से सोनतलाई स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाइन के दोहरीकरण परियोजना हेतु ग्राम बागरामानागांव की निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश लवानिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 19 अक्टूबर 2016

प्र. क्र. 1-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	भागोर	5.62	कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया (म. प्र.).	दतिया जिले के अंतर्गत खराघाट सिंचाई योजना के माइनर नहर निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्टर दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. दस-भू-अर्जन-2016-प्र. क्र.-23-अ-82-2015-16-4046.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15(1) 2014-सात-शा-2 ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को

उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	बराछ	1.263	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल, म. प्र.	बलौडी जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-2016-प्र. क्र.-24-अ-82-2015-16-4048.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15(1) 2014-सात-शा-2 ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	सन्नौसी	25.963	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल, म. प्र.	बलौडी जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-2016-प्र. क्र.-25-अ-82-2015-16-4047.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15(1) 2014-सात-शा-2 ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	पुरैना	39.058	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल, म. प्र.	बलौडी जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-2016-प्र. क्र.-26-अ-82-2015-16-4045.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15(1) 2014-सात-शा-2 ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	सीधी	33.143	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल, म. प्र.	रिमर जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-2016-प्र. क्र.-28-अ-82-2015-16-4044.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15(1) 2014-सात-शा-2 ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	महुआटोला	1.070	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल, म. प्र.	रिमर जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-2016-प्र. क्र.-29-अ-82-2015-16-4043.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15(1) 2014-सात-शा-2 ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	रिमर	31.289	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल, म. प्र.	रिमर जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

शहडोल, दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-30-अ-82-2015-16-4129.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	कौआसरई	3.957	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल, म. प्र.	बिछली नाला जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-31-अ-82-2015-16-4128.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	तेन्दूहा	0.676	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल, म. प्र.	बिछली नाला जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-32-अ-82-2015-16-4127.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है.

राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	मढा	0.738	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल, म. प्र.	बिछली नाला जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-33-अ-82-2015-16-4126.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	ढोलर	2.418	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल, म. प्र.	बिछली नाला जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-34-अ-82-2015-16-4125.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	मोहनी	54.827	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल, म. प्र.	बिछली नाला जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व
विभाग

जबलपुर, दिनांक 2 अगस्त 2016

ज्ञाप क्र. 596-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम (2) में वर्णित भूमि के कॉलम में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. 2 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—भैरोंघाट (प.ह.नं. 02)
(घ) रा.नि.मण्डल—पिपरियाकला
(ङ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल—0.190 हेक्टेयर एवं इस पर आने वाली सम्पत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
132/1	0.150
133	0.040
कुल योग . .	0.190

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पिपरिया भैरोंघाट मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
(3) चूंकि उक्त कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है एवं मार्ग निर्माण का कार्य पूर्व से प्रचलित है, अतः धारा 19 की उपधारा (2) के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेवसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है.

- (5) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र. 2 जबलपुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेश चंद चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2016

रा. मा. प्र. क्र. 1 अ-82 वर्ष 2015-16 पत्र क्र. 315.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—करेली
(ग) ग्राम—सिमरिया खुर्द, नं. बं. 567 प. ह. नं. 54
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.300 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
173/6	0.300
योग . .	0.300

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—आमगांव माईनर नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 में देखा जा सकता है.
(4) धारा 19 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम.—कार्यपालन यंत्री, रानी अवंतीबाई लोधी सागर डिस्ट्रेट संभाग, नरसिंहपुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. भोंसले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 10 अक्टूबर 2016

प्र. क्र. 03ए-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—इकहरा
(घ) क्षेत्रफल—0.080 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
221	0.080

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर की रशीदपुर डिस्ट्रीब्यूटरी की 4 मायनर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04ए-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर

- (ग) ग्राम—इकहरा
(घ) क्षेत्रफल—0.270 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
102/मिन/1/क	0.270

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर की एम-1 मायनर एवं एम-3 मायनर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—दुहिया
(घ) क्षेत्रफल—0.180 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
845/1 मिन	0.090
845/2 मिन	0.090
योग	0.180

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर की रशीदपुर डिस्ट्रीब्यूटरी की 3 आर मायनर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6ए-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—सिहारा
(घ) क्षेत्रफल—0.105 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
61/1	0.105

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर की एम 1 उपशाखा नहर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—उदयपुर
(घ) क्षेत्रफल—0.440 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
275/2 मिन 2	0.130
274/1	0.070

(1)	(2)
788	0.020
785	0.080
786/ मिन 1	0.140
योग . .	0.440

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर एवं एम 4 उपशाखा नहर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—सोनी
(घ) क्षेत्रफल—0.459 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
290	0.125
1295/2, 1296/4	0.150
58/2	0.020
59	0.209
योग . .	0.459

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर की एम 1 माइनर एवं एम 3 मायनर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 20 अक्टूबर 2016

प्र. क्र. 1200-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत एद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम—झगरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.25 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
429	0.110
596	0.040
428	0.020
597	0.030
590	0.030
420	0.010
425/1	0.01
योग	0.25

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय चुरहट सीधी में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 7175-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—गोपदबनास
(ग) ग्राम—विजयपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.484 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
142	0.050
143	0.050
145	0.030
146	0.040
149	0.264
191	0.032
198	0.180
205	0.100
214/1	0.060
218	0.070
220	0.320
221	0.080
233	0.024
234/1	0.060
235/1	0.124
योग	1.484

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय गोपदबनास सीधी में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 7177-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—गोपदबनास

(ग) ग्राम—जोरौधा	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.159 हेक्टर.	143	0.140
खसरा	अर्जित रकबा	
नम्बर	(हेक्टर में)	
(1)	(2)	
3	0.040	
4	0.040	
16	0.019	
17	0.160	
21	0.040	
22	0.040	
23	0.570	
24	0.160	
25	0.030	
26	0.060	
योग . . .	1.159	1.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय गोपदबनास सीधी में देखा जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय गोपदबनास सीधी में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 7181-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—गोपदबनास
(ग) ग्राम—कुकड़ीझर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.932 हेक्टर.

पत्र क्र. 7179-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—गोपदबनास
(ग) ग्राम—महराजपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.028 हेक्टर.

खसरा	अर्जित रकबा	
नम्बर	(हेक्टर में)	
(1)	(2)	
28	0.016	
30	0.036	
33	0.120	
34	0.048	
35	0.032	
37	0.008	
39	0.080	
41	0.160	
44	0.264	
64	0.160	
65	0.008	
योग . . .	0.932	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय गोपदबनास सीधी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभय वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 20 अक्टूबर 2016

क्र. 10346-भू-अर्जन-02-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके लिये वह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—हरदा
(ख) तहसील—सिराली
(ग) नगर/ग्राम—रामपुरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.053 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	विवरण
(1)	(2)	(3)
67/15	0.053	सिंचित

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आमाखाल जलाशय की 2 आर माइनर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2016

प्र. क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 6837-एफ-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—जैतहरी
(ग) ग्राम—बेंकटनगर (डूब क्षेत्र)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—18.871 हेक्टर.

खसरा क्र.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
3	0.214	0.180
4	1.438	0.738
5	0.117	0.117
7	0.227	0.227
10	3.019	3.019
8	0.214	0.214
9	0.162	0.162
12/1/क	0.259	0.259
12/1/ख	0.906	0.906
12/2/क	0.991	0.991
72/2	1.032	1.032
12/2ख	0.433	0.433
12/2/ग	0.024	0.024
468/1/क	1.214	1.214
12/2/घ/1	0.678	0.678
13	0.437	0.437
12/2/घ/2	0.343	0.343
12/2/2घ/3	0.566	0.566
468/2	0.105	0.105
14	0.117	0.117
15/3	0.923	0.923

(1)	(2)	(3)
16	0.247	0.247
17/2/ग	0.328	0.328
15/1	0.753	0.753
470	0.963	0.041
473/1ख	0.405	0.405
472/1	0.364	0.160
15/2	0.174	0.174
17/1	0.202	0.202
72/1/क	1.012	0.706
465/1	0.615	0.250
473/1/क	2.322	0.750
17/2	0.514	0.080
17/2ख	0.065	0.004
72/3	0.061	0.061
465/2	0.425	0.425
73	0.053	0.053
74	0.523	0.523
75	0.332	0.308
466	0.215	0.175
468/1/ख	0.405	0.405
472/2	0.405	0.068
473/2	0.202	0.068
कुल रकबा निजी भूमि.	24.04	18.871

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सिंहपुर डायवर्सन योजना निर्माण के शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतहरी के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 6837-एफ-2016-17.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—जैतहरी

(ग) ग्राम—खोड़री (डूब क्षेत्र)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—6.343 हेक्टर.

खसरा क्र.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
300	2.894	0.405
356	0.356	0.250
393	0.809	0.400
394/1क	1.938	1.100
394/1ख	1.938	1.100
394/1ग	1.938	1.100
394/1घ	1.938	0.700
394/1ङ	1.938	0.758
394/1च	1.937	0.530
कुल रकबा निजी भूमि.	15.686	6.343

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सिंहपुर डायवर्सन योजना निर्माण के शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतहरी के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 6837-एफ-2016-17.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—जैतहरी
(ग) ग्राम—खैरी (डूब क्षेत्र)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—4.327 हेक्टर.

खसरा क्र.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
560/785	0.971	0.971
561/786	0.081	0.081

(1)	(2)	(3)
561/787	0.097	0.097
602/1	0.172	0.172
602/2	0.172	0.101
603/1	0.384	0.184
603/2	0.202	0.202
603/788	0.210	0.210
604	0.271	0.271
605	0.081	0.081
606	0.858	0.718
610	0.077	0.077
611/1	0.097	0.097
609/1	0.105	0.040
611/2	0.097	0.097
612	0.233	0.233
615	0.287	0.287
614	0.040	0.040
613	0.065	0.065
616	0.364	0.050
617	0.607	0.050
622/1	0.051	0.051
621/2	0.075	0.060
622/2	0.051	0.024
601	0.170	0.070
कुल रकबा निजी भूमि .	5.818	4.327

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सिंहपुर डायवर्सन योजना निर्माण के शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतहरी के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 6837-एफ-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—जैतहरी

- (ग) ग्राम—खोड़री (मुख्य नहर क्षेत्र)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—0.060 हेक्टर.

खसरा क्र.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
299/1	2.758	0.060
कुल रकबा निजी भूमि .	2.758	0.060

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सिंहपुर डायवर्सन योजना निर्माण के मुख्य नहर कार्य क्षेत्र हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतहरी के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 6837-एफ-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—जैतहरी
(ग) ग्राम—खैरी (मुख्य नहर क्षेत्र)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—2.122 हेक्टर.

खसरा क्र.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
537/1	0.131	0.046
537/2	0.131	0.046
537/3	0.131	0.046
538	0.539	0.151
534/2	0.262	0.031
516/1	0.273	0.077
516/2	0.266	0.077
517	0.291	0.077
518	0.223	0.048

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
505/1	0.109	0.082	629/5	0.143	0.060
504/1	0.147	0.022	493/10/ग	0.101	0.060
504/2	0.148	0.038	493/1/छ	0.405	0.270
503	0.065	0.024	493/12/2क	0.020	0.015
484/1/1/ख	0.320	0.061	493/1/1	0.101	0.037
484/2	1.216	0.240	493/1/3/क	0.203	0.060
495	1.348	0.180	493/1/3/ख	0.202	0.060
478/4	1.202	0.091	582/2/2	0.156	0.037
478/1/ख	0.405	0.062	582/1/ख/1	0.158	0.057
478/2	0.809	0.062	582/1/क	0.626	0.110
501/1ग	0.405	0.151	584/1/क	0.055	0.045
501/1/ख	0.405	0.076	584/1/ख	0.055	0.037
500/5	2.023	0.151	584/1/ग	0.055	0.037
554	0.142	0.012	584/2/2	0.073	0.037
554/780	0.700	0.046	586	0.470	0.067
556/1	0.780	0.225	587/1	0.066	0.006
कुल रकबा निजी भूमि .	12.471	2.122	587/2	0.254	0.060
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सिंहपुर डायवर्सन योजना निर्माण के मुख्य नहर कार्य क्षेत्र हेतु.			588/3	0.240	0.075
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतहरी के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.			588/1	0.160	0.045
प्र. क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 6837-एफ-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—			582/1/घ/1	0.372	0.100
			582/1/घ/2	0.253	0.100
			613/2/क	0.202	0.100
			613/2/स	0.081	0.030
			613/1ख	0.202	0.060
			612/2	0.389	0.060
			612/1	0.254	0.037
			629/1	0.202	0.075
			629/2क	0.035	0.030
			626/1घ	0.809	0.120
			626/2	1.647	0.165
			626/4	0.713	0.135
			648/9/ख	0.203	0.054
			648/9क	0.202	0.033
			648/9/घ	0.202	0.040
			648/9/ग	0.202	0.052
(क) जिला—अनूपपुर			411/1	1.508	0.105
(ख) तहसील—जैतहरी			411/2	0.366	0.105
(ग) ग्राम—सुलखारी (मुख्य नहर क्षेत्र)			407/1	0.174	0.105
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—5.376 हेक्टर.			409	0.741	0.066
खसरा	कुल रकबा	अर्जित रकबा	408	0.158	0.090
क्र.	(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)	399/1	0.809	0.067
(1)	(2)	(3)	399/2	0.575	0.090
506/2	0.405	0.075	373	0.922	0.105
493/9	0.364	0.225	372/1	1.602	0.076

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
370/2	0.304	0.048	39	0.809	0.150
371/1	0.138	0.076	35/1	0.081	0.037
371/2	1.700	0.151	35/2	0.077	0.038
1413/2क	0.335	0.060	34	0.125	0.075
1413/2ख	0.240	0.053	103	0.450	0.053
1413/2/ख/2	0.109	0.045	24/1	0.084	0.017
1415/2	0.765	0.300	24/2	0.121	0.017
1415/1ख	0.419	0.098	24/3	0.121	0.019
1419/2	0.188	0.066	22	0.097	0.053
1420	0.628	0.168	16/2	0.129	0.053
1426/2/क	0.840	0.420	15/1	0.344	0.120
1431/1	0.922	0.150	120	0.611	0.068
1431/2	0.809	0.151	121/1	0.328	0.060
1431/4	1.433	0.105	122	0.567	0.053
1431/3/क	0.405	0.060	123	0.304	0.053
1431/3/ख	0.404	0.060	142	0.421	0.030
कुल रकबा निजी भूमि.	26.739	5.376	141/1	0.263	0.095
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सिंहपुर			141/2	0.178	0.030
डायवर्सन योजना निर्माण के मुख्य नहर कार्य क्षेत्र हेतु.			140	0.420	0.050
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी			124/1	0.263	0.045
(राजस्व) जैतहरी के कार्यालय में निःशुल्क किया जा			124/2	0.324	0.060
सकता है.			182	0.053	0.038
प्र. क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 6837-एफ-2016-17.—चूंकि,			183/918	0.053	0.030
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई			185/1	0.097	0.030
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3)			185/2	0.097	0.038
में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है.			186	0.138	0.015
भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता			204	0.283	0.026
का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा			203/1	0.065	0.030
19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि			202/2ख	0.445	0.098
की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—			206/1	0.081	0.023
अनुसूची			206/2	0.222	0.060
(1) भूमि का वर्णन—			216	0.061	0.053
(क) जिला—अनूपपुर			215	0.036	0.030
(ख) तहसील—जैतहरी			214	0.101	0.015
(ग) ग्राम—गोधन (मुख्य नहर क्षेत्र)			217/1ख	0.280	0.068
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)— 4.161 हेक्टर.			217/2	0.113	0.015
खसरा	कुल रकबा	अर्जित रकबा	217/15	0.089	0.018
क्र.	(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)	230/1	0.279	0.038
(1)	(2)	(3)	203/2	0.279	0.098
39/932/1	0.069	0.037	231/906	0.166	0.070
39/932/2	0.065	0.038	231	0.409	0.050

भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—जैतहरी
(ग) ग्राम—चोरभठी (मुख्य नहर क्षेत्र)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—2.573 हेक्टर.

(1)	(2)	(3)
444	0.174	0.038
262/6	0.139	0.068
439/3	0.531	0.090
439/1	0.425	0.060
439/2	0.425	0.038
388/1	0.416	0.023
435/2	0.202	0.053
434/1	0.308	0.023
434/2	0.105	0.083
433/1/क	0.053	0.015
433/1/ख	0.522	0.008
392	0.313	0.158
397	0.186	0.015
394	0.295	0.045
393/1	0.125	0.038
397/2	0.125	0.015
622	0.404	0.113
588/2	0.607	0.023
618/3	0.081	0.090
618/2	0.162	0.072
617/2	0.202	0.113
612/4ख	0.470	0.223
612/3	0.202	0.038
612/2	0.809	0.053
612/1	0.567	0.038
607	0.421	0.150
608	0.611	0.250
609	0.243	0.103
435/937	0.028	0.004
435/922	0.045	0.004
कुल रकबा निजी भूमि.	18.818	4.161

खसरा क्र.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1406/1484	0.053	0.012
1408	0.077	0.077
1406	0.053	0.008
1410/2	0.073	0.032
1411/3	0.065	0.028
1421	0.028	0.028
1422	0.150	0.048
1426	0.138	0.040
1424/1क	0.093	0.008
930	0.146	0.028
931/1	0.061	0.028
931/2	0.061	0.028
933/1ख	0.097	0.028
933/1ग	0.049	0.028
933/1घ	0.024	0.024
937/1ख	0.186	0.040
937/1ग	0.372	0.040
943	0.231	0.050
944	0.251	0.120
962/1	0.031	0.031
962/2	0.030	0.030
580	0.534	0.080
579/2	0.242	0.081
572/1/ग	0.109	0.020
572/2/1	0.069	0.050
572/1/क	0.109	0.050
559/2	0.040	0.028
559/3	0.065	0.028
563/2	0.113	0.025
563/1ग	0.113	0.025
563/1/ख	0.113	0.025
564	0.150	0.060
562	0.125	0.012
322/1	0.069	0.069
321	0.142	0.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सिंहपुर डायवर्सन योजना निर्माण के मुख्य नहर कार्य क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतहरी के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 6837-एफ-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है.

(1)	(2)	(3)
308/2	0.069	0.021
308/1/क	0.065	0.065
309/1	0.024	0.024
309/2	0.028	0.028
310/1	0.008	0.008
310/2	0.012	0.012
310/3	0.012	0.012
311	0.053	0.053
312/1	0.061	0.053
273/1/क	0.053	0.053
271	0.032	0.032
266	0.061	0.061
264/2	0.096	0.016
267	0.049	0.049
268	0.032	0.032
244/2	0.024	0.024
244/1	0.028	0.028
247	0.040	0.040
249/2	0.040	0.040
249/1	0.040	0.040
222/2	0.061	0.061
220/1	0.057	0.057
218/1	0.077	0.077
215/2/ख	0.170	0.081
215/4	0.259	0.130
212	0.105	0.081
213	0.101	0.040
कुल रकबा निजी भूमि.	5.779	2.573

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सिंहपुर डायवर्सन योजना निर्माण के मुख्य नहर कार्य क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतहरी के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 6837-एफ-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—जैतहरी

(ग) ग्राम—उमरिया (मुख्य नहर क्षेत्र)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—1.904 हेक्टर.

खसरा क्र.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
360	0.109	0.081
359/2	0.154	0.081
355/1	0.445	0.041
355/2	0.445	0.041
355/3	0.445	0.081
352/1	0.065	0.065
352/2	0.138	0.065
353/1	0.061	0.061
353/3	0.068	0.068
337/2	0.118	0.061
337/1	0.113	0.061
336/1	0.061	0.013
314/2	0.050	0.050
314/1	0.101	0.085
315/1/क	0.243	0.081
315/3/ग	0.069	0.013
323/1	0.121	0.060
223/2	0.181	0.026
318	0.470	0.160
319/1/ख	0.230	0.065
319/1/क/2/1/ख	0.240	0.065
319/2/1/क/2/1/क	0.238	0.065
227/2	0.336	0.120
227/1/ख	0.166	0.041
230/1	0.206	0.040
230/2/ख	0.076	0.020
230/2/ग	0.065	0.020
250/3	0.202	0.081
244/4/ख	0.036	0.008
245/7/3	0.101	0.055
245/1	0.040	0.040
247/1/क	0.223	0.040
247/3	0.405	0.050
कुल रकबा निजी भूमि.	5.921	1.904

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सिंहपुर डायवर्सन योजना निर्माण के मुख्य नहर कार्य क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतहरी के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.